(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 22 वां दिवस [संख्या 16

शुक्रवार,

दिनांक 9-3-1973.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विकास, सहकारिता, पंचायत, आयुर्वेदिक, सार्वजनिक निर्माण, राजस्थान नहर परियोजना, विधि, विद्युत्, खादी ग्रामोद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, यातायात, एवं राजस्व विभाग)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री विजयसिंह।

रजत जयन्ती वर्ष में ग्रामों का चयन

383. **श्री विजयसिंह (मांडल) :** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि स्वाधीनता की रजत जयन्ती वर्ष में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के दो ग्रामों को सर्वांगीण विकास हेतु चयनित किया है? यदि हां, तो क्या ऐसे चयनित ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या और कहां कहां और यदि नहीं उठाये हैं तो कब तक इस विषय में कोई कार्यवाही की जानी है?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में दो दो गांवों का चयन किया गया। चयनित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये पीने के पानी की सुविधा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास सुविधायें, पाठशाला भवनों में सुधार, सड़कों, नालियों का निर्माण तथा बिजली इत्यादि के कार्यक्रमों को मौजूदा साधनों को दृष्टि में रखते हुये उपलब्ध करवाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये राज्य सरकार ने कोई रकम का प्रावधान रखा है क्या?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री विजयसिंह : 464 गांव, अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री विजयसिंह : तो क्या जल्दी ही सरकार से इसके लिये रकम मिलने वाली है?

Page No 2

(2)

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रोविजन नहीं किया है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है कि उस ब्लाक में काम को भी प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री विजयसिंह : जो काम रजत जयन्ती वर्ष में लिये गये थे इस वर्ष क्या वे स्वर्ण जयन्ती तक खतम हो जायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सम्भव नहीं है कि सारे काम एक ही वर्ष में पूरे हों।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमें आश्वासन मिला था कि जो काम रजत जयन्ती के अन्दर लिया गया है, उनके अन्दर कुछ न कुछ किया जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : इसको फिर से कोर्डिनेट करना चाहता हूं लेकिन यह आशा नहीं करनी चाहिये कि सारे काम एक ही वर्ष में समाप्त हो जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): पंचायत समिति में जो बजट है, उसके अनुसार प्राथमिकता है अथवा जो काम आप लेना चाहते हैं उनमें प्राथमिकता इन गांवों को देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यानि दूसरी पंचायत समितियों के काम सफर करेंगे, आपने 'जी हां' कहा है, क्योंकि इनको प्राथमिकता देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अगर गलत कह गया हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। प्रायोरिटी इनको दी जायगी।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या मंत्री महोदय ने पंचायत समितियों को निर्देश दिये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, । फिर भी इनको रीकास्ट करना होगा। और जहां कहीं आस पास में बिजली आ गई है वहां अवश्य ध्यान रखा जायगा लेकिन जो बिजली से बहुत दूर है और बिजली लगाने में काफी रुपया व्यय हो वहां प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : कोई भी आपने जो योजना बनाई है उसमें अजमेर जिले में...

श्री हरिदेव जोशी : क्षमा कीजिये डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, उन गांवों में सड़क और बिजली का इन्तजाम होगा, मैं यह जानना चाहता हूं जो सलेक्टेड गांव हैं और जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है तो क्या उनको फिफ्थ प्लान में इन्क्ल्यूड करेंगे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री पी. के. चौधरी : मान लीजिये पंचायत समिति ने मिल कर तय किया कि इन इन गांवों को चाहते हैं उनके बाद [illegible]

Page No 3

(3)

(श्री पी. के. चौधरी)
तो कमिट कर सकते हैं कि फिफ्थ प्लान में सड़क या बिजली का प्रावधान होगा।

श्री हरिदेव जोशी : अब किसी पंचायत समिति ने यही ध्यान में रखा हो कि उस गांव का नाम लेने से सड़क वहां तक आ जायगी तो बात दूसरी है। मैंने निवेदन किया इस सारे को फिर से देखा जा रहा है और टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री पी. के. चौधरी : सरकार ने घोषणा की है कि सड़क, बिजली देंगे। आज गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि सलेक्टेड गांव इसके अन्दर सड़क और बिजली से इक्ल्यूड किये जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा हम प्रायरिटी दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त आने वाली है उसके अन्दर यह वर्ष समाप्त हो जायगा। जिन गांवों को पंचायत समिति या जिला परिषद् प्राथमिकता देना चाहती हैं केवल यह समझ कर कि रजत जयन्ती में सलेक्टेड हो गये हैं और फिर भी उनके अन्दर काम नहीं हो, इसका जो नुकसान हुआ है, इसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा दृष्टिकोण कतई नहीं है। सारी पंचायत समितियों को लिखा गया है कि इन चार पांच कामों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकारी होल सेल भण्डार टौंक का आडिट

384. श्री **अजीतसिंह** (टौंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टौंक शहर के सहकारी होल सेल भण्डार का क्या कभी आडिट हुआ है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि भण्डार घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो कृपया भण्डार की लेनदारी व देनदारी का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस भण्डार में प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह) :

(1) जी हां। वर्ष 70–71 की आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भण्डार की लेनदारी व देनदारी का विवरण 30 जून, 1972 का सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अजीतसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो लिस्ट मांगी है इसका कारण यह था कि आप इसका पूरा अध्ययन करते तो आपको सारी स्थिति का ज्ञान हो जाता। आपने इसका अच्छी तरह अध्ययन नहीं

Page No 4

(4)

(श्री अजीतसिंह)
किया है। जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो और जब नुकसान में जा रहे हैं तो व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है।

श्री नारायणसिंह : चूंकि यह काफी बड़ा नुकसान हो चुका था। भण्डार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि आगे चल सके। यह अभी तक उस क्राइटेरिया में नहीं आया है इसलिये लिक्विडेशन की कार्यवाही की है। लिक्विडेटर मुकर्रर हो जायगा। अभी इसलिये मुकर्रर नहीं हुआ है कि उन्होंने अपील की है। इसकी स्टेडी करके फिर से चालू करने की जैसी स्थिति में होगी तो उस प्रकार की रिपोर्ट दे देंगे।

श्री अजीतसिंह : कोई स्थिति सुधरी नहीं है, आप ध्यान दीजिये। बहुत नुकसान हो रहा है। सारी लिस्ट को देख कर आप जवाब देते तो ज्यादा अच्छा होता और यह लिक्विडेटर कब कायम करेंगे···

श्री नारायणसिंह : लिक्विडेटर अपाइन्ट करने के बराबर ही है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

पंचायत के तालाबों की मरम्मत

385. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान मे पंचायत के तालाबों की मरम्मत के लिये राज्य सरकार ने वसूल राजस्व का 40 प्रतिशत पंचायतों को देने के आदेश सन् 1959 मे प्रसारित किये थे? यदि हां, तो क्या उसका पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? तथा अब कब तक पालन करने का सरकार इरादा रखती है?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां। ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा 29 मई सन् 60 में जारी हुआ था। अभी तक इस आदेश का पालन पूर्ण रूप से सिंचाई एवं राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सका है। उक्त आदेश को क्रियान्वित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, यह कई दिनों से मामला पड़ा है यह हर तहसील और हर जिले के लिये लागू होता है किन्तु सिंचाई विभाग नहीं चाहता इन कामों को हाथ में लिया जाय। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा इस काम को तत्परता से लिया जाय। इस तरह के कई तालाब पड़े हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं वे एक मीटिंग करके सारी चीज को सोचें और जिनको पंचायत समिति मेन्टेन नहीं कर पाती है उनको रखूंगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश दिये हैं और क्रियान्विति के प्रश्न पर जो चिन्तन हो रहा है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरा आदमी नहीं बोलें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ··कितना विलम्ब हुआ है, इसका क्या कारण है क्या सिंचाई मंत्री जी कारण हैं या आप स्वयं ? इन दोनों में से बतला दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इस प्रश्न के सिलसिले में फाइल को देखा है। फाइल पर कोई कारण दिखाई नहीं देता। मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं मुख्य मंत्री जी मीटिंग बुला लें और नीति निर्धारण कर लें···

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइल में कागज हैं ही नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : ···अभी तक न मीटिंग हुई, न फैसला हुआ और न किसी प्रकार कोई प्रोसिडिंग है। इसलिये मैं चाहता हूं एक मीटिंग बुला कर जल्दी निर्णय किया जा सके।

श्री केसरीमल : माननीय मंत्री जी इस समय बहुत जबरदस्त अकाल है। बहुत से ऐसे तालाब हैं जो इस पंचायत समिति में आते हैं। यह पूरा हो जाय तो बहुत से व्यक्ति काम में लग सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह दोनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन जहां तक मेन्टोनेन्स और रिपेयर्स का सवाल है तालाबों को उनको कभी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और फेमिन रिलीफ में ले लिया जाना चाहिए।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करूं कि जो बड़े बड़े तालाब हैं इनमें पक्का काम करवाने की भी कोई योजना है ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकती है, पक्का काम करवाने की मनाही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अब्दुल हादी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पारटेंन्ट क्वेश्चन है, इसको ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : समय मिलेगा तो ले लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाये बहुत अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर के यूनानी कालेज को अनुदान

386. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) व **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर) [श्री अब्दुल हादी (चौहटन) की अनुपस्थिति में] : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के एक यूनानी कालेज को सालाना 8 हजार रुपया एड मिलती थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालेज को 3 साल से एड नहीं मिलती है ?

(3) क्या सरकार इस कालेज को अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि इस कालेज से परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सर-

Page No 6

(6)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कारी मान्यता दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायण सिंह):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जो नहीं।

(4) जी नहीं, यूनानी तिब्बिया कालेज, जयपुर की परीक्षा वर्तमान में राज्य सरकार की भिषगाचार्य परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: मन्त्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह एक हो संस्था है तमाम राजस्थान में और उसको भी एड बन्द कर दी गई है?

श्री नारायणसिंह: यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आपने जो एड बन्द की है वह एक ही कालेज है न अपनी किस्म को?

श्री नारायणसिंह: मेरे ख्याल से एक ही कालेज है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह बतावें कि किस आधार पर बन्द की गई?

श्री नारायणसिंह: इसका निरीक्षण किया गया और अन्य जो पढ़ाने वाला स्टाफ था वह योग्यता के अनुपार नहीं था, जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा था वह मान्य क्रम के अनुसार नहीं था इसलिए इसको बन्द किया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी: यूनानी पद्धति के बारे में जो दृष्टिकोण है सरकार का वह गलत है और इससे जो भी चैन्जेज माननीय मन्त्री महोदय लाना चाहते वह ला सकते थे, उसका कार्यकलाप बदल सकते थे लेकिन चूंकि हमारा दृष्टिकोण दूषित है यूनानी पद्धति के बारे में, इसलिए कालेज बन्द हुआ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आप इसमें हस्तक्षेप करके कोई परिवर्तन ला सकते थे या नहीं? आपका जूरिस्डिक्शन था या नहीं? यदि था, तो आपने एक्सरसाइज क्यों नहीं किया?

श्री नारायणसिंह: मेरा विचार है कि मैं इस पर गम्भीर विचार करूंगा और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है वह करके इसको फिर से चालू कराने की हालत में लाने की कोशिश की जायेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी: यह आश्वासन टाइम लिमिट में कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह कितना पुराना कालेज है और इसको देख कर फिर प्रथम बार इन्सपेक्शन किया और यह मकशिका पड़ गयी। इसके पहले मकशिका नहीं थी।

श्री नारायण सिंह: यह काफी अर्से से चालू है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: 50 साल पहले का है क्या यह ठोक है?

श्री नारायणसिंह : यह मैं नहीं कह सकता इस समय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जयपुर स्टेट का कालेज है क्या यह ठीक है ?

श्री नारायणसिंह : मेरे पास यह इन्फार्मेशन नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर स्टेट का है यह ठीक है और एक ही निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जैसे आश्वासन दिया है वह हमें आश्वस्त कर दें कि बहुत शीघ्र ही इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर ग्रान्ट इन एड दिलवायेंगे और उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करवाने की माननीय गफ्फार अली भी कोशिश करेंगे और आप महरबानी करके जो ग्रान्ट इन एड बन्द कर रखी है और जिसकी वजह से बड़ी परेशानी में कालेज पड़ा हुआ है उसको चालू करवाने की बात करें।

श्री नारायणसिंह : मेरे पास रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं और मैं जागरूक हूं कि यह एक ही कालेज है और हमें चालू रखना चाहिए। टेक्निकली कौनसी बातें लेकर इसको बन्द किया गया है मैं इतनी गम्भीरता में नहीं उतर सका लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी प्रकार से तिब्बिया कालेज मान्य स्टेन्डर्ड के बराबर आ सके और चालू रह सके।

प्रश्न संख्या 387

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शांतिलाल कोठारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

प्रेस कर्मचारियों के लिये नियम

388. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुद्रणालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुद्रणालयों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि मुद्रणालयों में काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को संचालित करने के लिए तीन पृथक् पृथक् कानून हैं व कुछ श्रमिकों को आर.एस.आर. का लाभ उपलब्ध है तो कुछ को नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि विधि विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि सभी श्रमिकों को आर. एस. आर. का लाभ दिया जावे किन्तु राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया ?

(4) क्या राज्य सरकार अब भी सभी प्रेस कर्मचारियों को राजस्थान सर्विस रूल्स का लाभ देने को तैयार है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री मुद्रणालय (श्री मूलचन्द) :

(1) इस समय इस विभाग के पांचों राजकीय मुद्रणालयों में कुल 1072 श्रमिक कार्यरत हैं।

(2) मुद्रणालयों में काम करने वाले श्रमिकों की सेवायें राजस्थान गवर्नमेन्ट प्रेसेज सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1959 के अन्तर्गत संचालित हैं किन्तु मात्र अवकाश के लिए निम्नलिखित तीन नियम लागू हैं :

(श्री मूलचन्द)

1. राजस्थान सेवा नियम : दिनांक 1–11–1957 से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के लिए।

2. राजस्थान इलेक्ट्रिकल एण्ड वाटर वर्क्स एम्पलाइज लीव रूल्स, 1955 दिनांक 1–11–57 से दिनांक 31 जुलाई, 66 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों के लिए।

3. फैक्ट्रीज एक्ट की धारायें 79 से 84 दिनांक 31 जुलाई, 66 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों के लिए।

(3) व (4) राज्य सरकार समस्त राजकीय औद्योगिक संस्थाओं के श्रमिकों के लिए एक समान सेवा नियम बनाने के प्रश्न को जांच रही है। और संबन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आप आर. एस. आर. को लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं?

श्री नारायणसिंह : आर. एस. आर. तो लागू है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सन् 57 तक जो लोग थे उनके ऊपर लागू है। उसके बाद 57 से 61 तक थे उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कानून लागू हैं और उनके बाद फैक्ट्री एक्ट लागू हैं। वह तो अलग अलग तीनों प्रथायें आपने बता दीं तो इसके खिलाफ सिफारिश है और यह कहा जा रहा है कि आप आर. एस. आर. लागू करें तो क्यों नहीं करना चाहते हैं?

श्री नारायणसिंह : आर. एस. आर. लागू करने का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेन्ट के विभिन्न विभागों में भी इस प्रकार से तीन तीन रूल्स लागू हैं कई जगहों पर और इस प्रकार की एनामाली मौजूद है। उन सब को दुरुस्त करने के लिये सर्वांगीण रूप से कवर करते हुए रूल्स बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत यह भी कवर हो जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय, यह तो आप मानते हैं कि कर्मचारियों पर अलग अलग तीन नियम लागू हैं और इससे विकृतियां, कर्मचारियों की जहां तक सुविधाओं का सवाल है, छुट्टियों का सवाल है वह रहती है। आप इस पर सहमत हैं कि एक ही कानून होना चाहिए और यदि आप सहमत हैं तो एक कानून लागू करने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हम यूनीफार्मिटी चाहते हैं और एक ही कानून आर. एस. आर. लागू हो जाये इसलिए कर्मचारीगण इसको चूज कर लें कि कौन सा कानून वह चाहते हैं। कर्मचारियों ने आपके पास प्रार्थना-पत्र देकर यह अनुमान ले लिया कि हम आर. एस. आर. लागू करना चाहते हैं–इस सारे सन्दर्भ में आपने अब तक क्या चिन्तन कर लिया और चिन्तन कर लिया तो क्या एक महीने में आपका यह चिन्तन परिपक्व हो जायेगा?

श्री नारायण सिंह : फैक्ट्री एक्ट में अलग सुविधायें हैं और आर. एस. आर. के अन्दर अलग प्रकार की रियायतें मिलती हैं और इन सब बातों को तकनीकी तौर पर जांच करने के लिए ही राज्य सरकार ने उचित समझा कि विभिन्न सर्विसेस के अन्दर जो इस प्रकार से अलग अलग रूल्स लागू हैं उनका समानीकरण करने के लिए एक प्रकार के रूल्स बना दिये जायें। वह अभी लॉ डिपार्टमेन्ट के पास पड़े हैं और विचाराधीन हैं और वह मैं समझता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक सवाल और है। आपने कहा कि लॉ डिपार्टमेन्ट के विचाराधीन है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचाराधीन नहीं है। लॉ डिपार्टमेन्ट ने आपको अपनी राय से अवगत करा दिया है और बहुत पहले अवगत करा दिया था। उसके बावजूद भी आप उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। मैं आपको लॉ डिपार्टमेन्ट की राय पढ़ कर सुना देता हूं। उन्होंने अन्त में लिखा है :

"I have considered the matter and discussed it in detail with the Advocate General and the Labour Commissioner. I continue to be of the same view as before which I have expressed in para 120tn and the Labour Commissioner agrees to the same."

ऊपर जो लिखा है कि यूनिफार्मिटी होनी चाहिए यूनीफार्मिटी के आधार पर एक नियम आर. एस. आर. लागू कर दिया जाना चाहिए। यह आपको मिला 13-10-71 को और उस समय आपको ओपीनियन लॉ डिपार्टमेन्ट की मिल गयी और सन् 71 के बाद तक आप कह रहे हैं कि वह लॉ डिपार्टमेन्ट के विचाराधीन है। ऐसा नहीं है और सन् 71 के बाद में लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन पर आपने क्या क्रियान्विति का कदम लिया ?

श्री नारायण सिंह : लॉ डिपार्टमेन्ट की राय और एडवोकेट जनरल की राय विभिन्नता की है और इस विभिन्नता के होते हुए भी राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि समान प्रकार के रूल्स बनने चाहिए। वह विचाराधीन उस दृष्टि में है कि सभी डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर इस प्रकार के रूल्स बना दिये जायें जिससे तीन तीन प्रकार के रूल्स से कर्मचारी गवर्न न हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आखिरी प्रश्न यह रहता है कि एडवोकेट जनरल, लॉ डिपार्टमेन्ट और कमिश्नर लेबर इन तीनों की राय का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया और वह निचोड़ सन् 71 में आपके सामने आ गया। अब मैं यह मानकर चलूं कि सारा मसला 1980 तक समाप्त हो जायेगा आपके यहां या कब यह कलबलाता रहेगा ?

श्री नारायण सिंह : यह शीघ्र हो जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक महीने के अन्दर कोई कदम ले लेंगे ?

श्री नारायण सिंह : सारे रूल्स के समानीकरण पर विचार होकर एक महीने का तो मैं नहीं कहता...

Page No 10

(10)

श्री निरंजननाथ आचार्य : 15 दिन और ले लीजिए।

श्री नारायणसिंह : एक महीने का वायदा तो नहीं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री शंकरलाल (पाली) : प्रश्न सं. 389।

श्री मोहम्मद गफूफार अली : जो आर. एस. आर. स गर्न होते हैं तो क्या यह सही है कि आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वे दूसरे रूल्स अपनायें हों ? इसलिए यह सही रास्ता नहीं है कि आप उनको दूसरे रूल्स लेने के लिए मजबूर करें।

श्री नारायणसिंह : इन सब मुद्दों को देखकर ही कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफूफार अली : आप कर रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन क्या आप उनको मजबूर कर सकते हैं ? मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्या यह सही है या मजबूर कर सकते हैं ?

श्री नारायणसिंह : किस प्रकार के रूल्स बना सकते हैं""

श्री मोहम्मद गफूफार अली : आप मजबूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : न वे उनको मजबूर कर सकते हैं और न आप उनको मजबूर कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफूफार अली : अध्यक्ष महोदय, आप तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री शंकरलाल : प्रश्न सं. 389।

श्री अध्यक्ष : आपके लिये लिखा हुआ तो नहीं है।

श्री शंकरलाल : अथोरिटी दे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मान लेता हूं।

श्री शंकरलाल : अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा। कल रात को देकर गए हैं।

श्री अध्यक्ष : समय पर मिलनी चाहिये।

जंगलात में निःशुल्क चराई की व्यवस्था

389. **श्री शंकरलाल (पाली)** [श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) की अनुपस्थिति में]: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अकाल के कारण मवेशियों को जंगलात में निःशुल्क चराई हेतु सुविधा देने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब ? और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) जालोर जिले में उक्त आदेश के तहत किन किन जंगलात को कब कब निःशुल्क चराई हेतु मवेशियों के लिये छोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखावें।

वन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण .. .. न सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : यह तारीख बतायें कि किस तारीख को आदेश भेजा और कौन सी तारीख से अनुपालना की गई है यह तिथि बताने की कृपा करें। (विराम) आपने आदेश कब भेजे और उनकी पालना कब हुई, उसकी तारीख बतावें ?

श्री हरिदेव जोशी : दि. 2-12-72 को आदेश प्रसारित किए गए थे। मैं जालौर जिले में गया था तब मुझसे कई पशुपालक मिले थे, रेबारी और दूसरे लोग और उन्होंने यह बात मेरे सामने रखी कि चराई के आदेश होने के बाद भी चराई की छूट नहीं दी जाती है। मैंने वहां के असिस्टेन्ट कंजरवेटर आफ फोरेस्ट से सारी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि उस समय तक पूरी घास की कटाई नहीं हो सकी थी इसलिए चराई के लिए नहीं छोड़ा गया था लेकिन इसके बाद में चराई के लिए छोड़ दिया है।

श्री शंकरलाल : मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा कि 2-12-72 के आदेश हैं तो ये पूरे राजस्थान के अन्दर ही देरी से पहुंचे हैं. और उनकी पालना बहुत कम हुई है इसलिए मैं इनकी पालना की तारीख जानना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि आदेश 2-12-72 के हैं।

श्री शंकरलाल : इसकी पालना कब हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : 4-12-72 को यहां से सारे आदेश रवाना किए जा चुके थे।

श्री शंकरलाल : आदेश रवाना करने का प्रश्न है। जोड़ों में मवेशी कौनसी तारीख को छोड़े गये यह बतावें।

श्री हरिदेव जोशी : बीड़ ऊपर्ली जालौर 7-2-73 को छोड़ी।

बीड़ हातिम ताई 26-2-73।

जोड़ भूंकाजी को 26-2-73 को छोड़ा गया।

जोड़ जसवन्तपुरा को 21-1-73 को और

जोड़ भवातड़ा को 7-1-73 को छोड़ा गया है।

श्री केसरीमल : राजस्थान के सारे जिलों में ही ऐसा किया है या केवल जालौर के लिए किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : एक पर्टीक्यूलर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रश्न किया गया है इसलिए मेरे पास में सारे जिलों की इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं··

श्री शंकरलाल : मवेशियों में सारे ही मवेशी शामिल हैं या कुछ ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अकाल की वजह से यह समस्या सारे राजस्थान में व्याप्त है ? क्या राज्य सरकार इस बारे में इस प्रकार का विचार करने का इरादा रखती है। आज सारे राजस्थान, जो अकाल ग्रस्त है, में मवेशियों को चरने के लिए छोड़ने की आवश्यकता है।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैंने निवेदन किया है कि सारे राजस्थान के लिए फ्री ग्रेजिंग के आदेश हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें दो चीजें थी कि राज्य सरकार ने आदेश कब प्रसारित किए और डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट आफिसर के यहां से ये आदेश कब जारी हुए उसके बीच में गैप क्या था।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल।

श्री शंकरलाल : मवेशियों में सारे ही शामिल हैं या गाय बैल वगैरह ही हैं भेड़ बकरी नहीं हैं।

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य।

सिरोही भूमि विकास बैंक से ऋण

390. श्री जेठमल आर्य (रैवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही भूमि विकास बैंक से गत वर्षों में अधिकतर भूतपूर्व जागीरदारों ने ही कर्जे प्राप्त करके ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट खरीदे हैं ? यदि हां, तो किस किस में कितनी कितनी रकम बकाया है ? और किस किस में कितने अवधि पार हो चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक का पैसा अधिकतर भूतपूर्व जागीरदारों पर है ? यदि हां, तो बसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) सिरोही जिले के कृष्णगंज की ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यों पर कितना पैसा अवधिपार है और किस किस में कितना कितना बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) भूतपूर्व जागीरदारों को ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट खरीदने के लिए कितना ऋण दिया गया व कितना बकाया है की सूचना बैंक में नहीं रखी जाती है।

(2) प्रश्न 1 में उत्तर दिया जा चुका है।

(3) सिरोही जिले के कृष्णगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र की तेलमोखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के किन किन सदस्यों पर कितना पैसा अवधिपार बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जेठमल आर्य : माननीय मंत्री महोदय, यह भूमि विकास बैंक का कर्जा इतने समय से बकाया चला आ रहा है वह कब तक वसूल किया जा गा क्योंकि दूसरे काश्तकारों को कर्जा नहीं मिल रहा है।

श्री नारायणसिंह : कार्यवाही की जा रही है।

श्री जेठमल आर्य : कब तक कार्यवाही हो जाएगी ?

श्री नारायणसिंह : शीघ्र ही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय।

श्री हनुमान सहाय : प्रश्न सं. 391।

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : अथोरिटी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये स्वयं ही तो बैठे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I solemnly affirm that he is Hanuman Saha.

श्री अध्यक्ष : आप उधर बैठते हैं, इसलिए पहचान नहीं सका ।

सामोद—अमरसर सड़क

391. **श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की सामोद से अमरसर सड़क की स्वीकृति कब हुई और कब कार्य शुरू हुआ तथा अब तक कितना निर्माण हुआ ? और यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 72-73 के बजट में इस सड़क निर्माण के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान रखा हुआ है ? यदि हां, तो यह धनराशि क्यों नहीं व्यय की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) यह सड़क 8-11-63 को स्वीकृत हुई है । 1 जनवरी, 1966 को कार्य प्रारम्भ हुआ है । 1 मील पूर्ण हो चुकी है । मील 2 से 13 का कार्य प्रगति पर है । अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(2) वर्ष 72—73 में 60,000) रुपया दिया गया है ।

श्री हनुमान सहाय : मैं जानना चाहता हूं कि यह इस साल में पूरी हो जाएगी या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : इस साल में नहीं होगी ।

श्री हनुमान सहाय : बजट में प्रावधान रखा है 1 लाख 60 हजार का और काम भी ज्यादा बाकी नहीं है । मेटिरियल भी वहीं पर पड़ा हुआ है केवल पत्थर जमा कर रोलर कराना है । कम्पलीट सड़क पर रोड़ी पत्थर आदि सारा सामान पड़ा है तीन साल से, केवल रोलिंग जमा कर करवाना है

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस साल से मतलब माननीय सदस्य का 72—73 से नहीं 73—74 से है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आफ हैंड कुछ नहीं कह सकता हूं । मगर आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में बिल्कुल काम नहीं हुआ । इस वर्ष 60 हजार रुपया रखा गया था उसके बदले में 80 हजार का खर्चा किया गया है और नेक्स्ट ईयर में रुपया 40 हजार रखा गया है । इसका मतलब है कि मंशा जल्दी ही कम्पलीट करवाने की है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी ।

खादी के विस्तार एवं प्रसार की योजना

392. **श्री गोपाल जोशी (बीकानेर):** क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार खादी के विस्तार एवं प्रसार के लिए कार्,

Page No 14

(14)

(श्री गोपाल जोशी)
विस्तृत योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या?

खादी सिन्थेटिक मेटीरियल भी काम में लाने की योजना है?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द) : जी हां। खादी कार्यक्रम के विस्तार एवं प्रसार के लिए पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

अभी खादी उत्पादन में सिन्थेटिक मैटीरियल उपयोग में लाने की कोई योजना नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि खादी के प्रति लोगों में जो अरुचि पैदा हो रही है उसमें रुचि पैदा करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यक्रम रखा है? क्योंकि मैं यह चाहता था कि खादी सस्ती, सुन्दर और टिकाऊ बननी चाहिए जिससे कि लोगों को मिलता रहे, इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि इसको पोपुलर बनाने के लिए क्या योजना है?

दूसरा मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि खादी प्रतिष्ठानों में यह अधिकतर जो गड़बड़ियां होती हैं, वहां के लोग अधिक मुनाफा करते हैं, अनियमितताएं बहुत करते हैं इसके बारे में आपने कुछ सोचा है?

श्री मूलचन्द : पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि सिन्थेटिक मैटिरियल्स को काम में लेने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि मजदूरों को सूती कताई का कार्य मिलता है और उसमें जो मजदूरी मिलती है उतनी इसमें उनको मजदूरी मिल सकना सम्भव है या नहीं। इसलिए पहले इस पर विचार करने के पश्चात् ही इस ओर आगे बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है। और जहां तक कार्यक्रम सम्बन्धी बात है वह तो आपको बता दी गई है। अनियमितता की बात अलग है। इसमें कोई खास किसी विशेष संस्था के बारे में बतायेंगे तो उसके बारे में कुछ बताया जा सकेगा।

श्री गोपाल जोशी : आर्टिफिशियल सिंथेटिक कपड़े पर···

श्री हरिदेव जोशी : एक मिनिट, मैं बता दूं। अध्यक्ष महोदय, खादी को राज्य सरकार शत प्रतिशत कंट्रोल नहीं करती। भारत सरकार के द्वारा खादी कमीशन बनाया गया है आल इण्डिया खादी कमीशन। खादी क्या हो इसकी परिभाषा वह तय करता है उसमें सिन्थेटिक मेटेरियल इन्ट्रोड्यूज किया जाए अथवा नहीं किया जाए यह भी खादी आयोग द्वारा तय होता है इसलिए राज्य सरकार इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकती है। हमारे यहां पर आइसोलेटेड वे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। खादी का पिछले वर्षों में विकास हुआ है। पिछले 20 वर्षों में खादी का इतना विकास हुआ है कि इसे आशातीत विकास कहा जा सकता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : विकास के साथ साथ डिसारडर भी हो रहा है। पहले चरखा ही चलाया जाता था, उसके बाद अम्बर चरखा आया और बिजली से चरखे को चलाने की आप सोच रहे हैं और उसमें

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
दूसरा मेटेरियल भी दाखिल करने की सोच रहे हैं इसलिए खादी का जो उद्देश्य है उससे तो आपका यह डिपारचर ही है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। किसी भी विकसित कार्य के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा जा सकता है इसलिए अब भी इस पर एक्सपीरियंस के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है कि चरखा अधिक उत्पादन करने वाला कैसे बनाया जाए? अम्बर चरखा अवश्य इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार से करघा है। इस पर भी इम्प्रूव्ड मेथड के लिए कार्य किया जा रहा है ताकि लेबर को पैसा ज्यादा मिल सके। इसके पीछे यही दृष्टिकोण है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या गांधीजी का मकसद यही था, क्या गांधीजी यह सोचते थे कि चरखे में बिजली को इनकारपोरेट किया जाए?

श्री हरिदेव जोशी : गांधीजी ने भी यह कभी नहीं कहा कि चरखे में बिजली इनकारपोरेट नहीं की जाए। यह भी नहीं कहा कि बिजली को इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जाना चाहिए।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, खादी के क्षेत्र में जो बुनकर काम करते हैं, उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि उससे उनका पेट नहीं भरता है। इसलिए उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है और उनमें बेरोजगारी फैलती जा रही है। इसके विपरीत जो खादी का व्यापार करते हैं, वे अनाप शनाप खादी के व्यापार से कमा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी खादी से चाहते थे मास प्रोडक्शन एज वेल एज बाय मासेज। अगर खादी में भी विद्युतीकरण हो जाएगा तो मासेज इसका प्रोडक्शन नहीं कर पायेंगे। एकआध व्यक्ति के पास ही यह उद्योग हो जाएगा मशीनीकरण हो जाने पर?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके इस विचार के लिए धन्यवाद।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको भी धन्यवाद।

श्री हरिदेव जोशी : इम्प्रूव्ड चरखा मास प्रोडक्शन के लिए ही बनाया जा रहा है। इसमें स्ट्रेन कम पड़े इसलिए बिजली को इसमें इन्ट्रोड्यूज कर रहे है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि आज कामगरों एवं बुनकरों की जो खादी का काम करते हैं उनकी क्या हालत है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। मशीन को इम्प्रूव्ड करके उनको और बेरोजगार बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार को इन्तजाम करना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह निवेदन अभी किया है कि इम्प्रूवमेन्ट से उनमें बेरोजगारी नहीं होएगी। उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी भी 25 लाख आदमी इस काम को कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा। अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये।

श्री शंकरसिंह।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : प्रश्न संख्या 393।

श्री अध्यक्ष : क्या आपको आथोरिटी दे रखी है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : जनरल पावर दे रखी है।

श्री **अध्यक्ष** : No authorety मंत्री-महोदय।

राजकीय अस्पताल नसीराबाद का भवन

394. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में राजकीय अस्पताल है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अस्पताल भवन किराये पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) जी हां, भूमि आवंटन होने पर।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि का आवंटन हो चुका है और मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि वह पर्याप्त है। नसीराबाद की परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। मेरा निवेदन है कि वर्ष 73-74 में भवन को पूरा करवा दें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य विश्वास दिला रहे हैं तो मैं उनका विश्वास करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा।

भोपाल सागर फीडर पर व्यय

395. श्री **जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालसागर फीडर लघु सिंचाई योजना जिसकी स्वीकृत अनुमानित राशि करीब 15 लाख रुपये है का कार्य पिछले चार पांच वर्षों से चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना को रिवाइज एस्टीमेट कास्ट करीब 60 लाख रुपये होगी ?

(3) क्या यह सही है कि अनुमानित राशि बढ़ने का मुख्य कारण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा फीडर की लाइन को नीची जगह से ऊंची जगह पर ले जाने की वजह से है ?

Page No 17

(17)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

(4) क्या यही सही है कि तत्कालीन सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की इस गड़बड़ी ने राज्य सरकार को 20 लाख रुपये की हानि पहुँचाई है और उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों और उपरोक्त मामले में अब सरकार कब तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) योजना की लागत बढ़ने का मुख्य कारण लाइन का बदला जाना ही नहीं है । इसके और भी कई कारण हैं ।

(4) फीडर की लाइन बदलने से 20 लाख रुपये की हानि नहीं हुई है । फिर भी लाइन बदलने की परिस्थिति और वित्तीय प्रभाव के बारे में जांच जारी है ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इसकी लागत 15 लाख से 60 लाख कैसे हो गई है ?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जब यह कार्य हाथ में लिया गया था उस समय इसकी कीमत लगभग इतनी ही थी किन्तु बाद में जब इसमें धीरे धीरे गति आई और उसमें रुकावटें आईं, और एक यह कारण था कि इसमें जो जमीनें पड़ती थीं वह कीमती थीं । इसके अलावा तालाब भी पड़ता था, नालियां पड़ती थीं इसलिए इस स्कीम को रिकंसीडर किया गया और उसके पश्चात् जब इसको लिया गया तो रेट बढ़ गई और टेन्डर भी ऊंची रेट के आने लगे इसलिए यह फर्क पड़ा । दूसरी बात कुछ लम्बाई की है । यह 85 चेन के करीब है । इस लम्बाई से भी इसकी राशि बढ़ गई जिसको कि मोड़ना पड़ा । इसके बीच में कुछ ऐसी राक्स आ गई जिनको तोड़ना भी आवश्यक था । इसके अलावा वहां पर मिट्टी इस प्रकार की थी कि उसको हटाना पड़ा और वारिश की वजह से वापिस मिट्टी बहकर आ गई । इस प्रकार की स्थिति बनने पर कांक्रीट का स्ट्रक्चर कराना पड़ा और उसकी योजना बनाई गई । तो इस प्रकार की परिस्थितियों में यह खर्चा इस पर ज्यादा हो गया ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस नहर को मोड़ने के लिए चीफ इन्जीनियर की अनुमति प्राप्त की गई थी ?

श्री मूलचन्द : सब बातें विधिवत प्रोसेस के आधार पर ही की जाती हैं ।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसकी अनुमति चीफ इंजीनीयर से ली गई या नहीं ? इसका नियम है कि किसी भी नहर को मोड़ने से पहले उसके लिए चीफ इन्जीनियर से स्वीकृति ली जाती है ।

श्री मूलचन्द : मैंने निवेदन किया है कि जो भी कार्यवाही की गई है वह विधि के अनुसार ही की गई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सीधे आ जाइये। इसकी अनुमति चीफ इंजीनियर से ली गई है अथवा नहीं ? साफ हो जायें।

श्री मूलचन्द : अनुमति का जहां तक प्रश्न है वह टेक्निकल राय ली जावे के बाद ही कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया है टैक्निकल हैड्स के अधिकारियों के द्वारा ही किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सब कार्य विधिवत् किया गया है परन्तु अनुमति ली गई या नहीं यह कह दीजिये ?

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केस सी. बी. आई. में भी मौजूद है ?

श्री मूलचन्द : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न सी.बी.आई. के अन्दर भी है। 71 से वहां पर चल रहा है और 73 चल रहा है। क्या इसकी मंत्री महोदय को जानकारी है ?

श्री मूलचन्द : जब सी. बी. आई. को केस दिया गया तो उसके जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसकी राजकीय सूचना क्या है ? यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, को इस बारे में 22 तारीख को भी प्रश्न किया गया था। 2 तारीख को भी यह पूछा गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय से इस प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर दिल वाया जाए। वहां पर जो श्री अगम प्रकाश सिंघल अधिकारी थे वे एक भ्रष्ट अधिकारी थे। उनको वहां पर बिठा रखा था। उनके द्वारा यह कार्यवाही की गई है। बार बार इस बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं और इसका उत्तर स्पष्ट नहीं दिया जा रहा है। इससे तो हमारे लिए यहां पर रहने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनिट के लिए मंत्री महोदय को कहा जाए कि वे इस प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड़ का औषधालय

386. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में मंगलपुरा धर्मशाला में जो आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा था वह प्रथम श्रेणी में था ? यदि हां, तो इस औषधालय की प्रथम श्रेणी समाप्त क्यों कर दी गई ?

आयुर्वेदिक मंत्री (श्री नारायणसिंह) : जी हां चल रहा है। जी नहीं—वर्तमान में भी ए श्रेणी का ही चल रहा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह औषधालय ए श्रेणी में है।

श्री नारायणसिंह : ए श्रेणी में ही चल रहा है।

Page No 19

(19)

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो वैद्य हैं और दोनों में झगड़ा होने की वजह से वहां पर अव्यवस्था चल रही है। इसकी कई शिकायतें भी मंत्री महोदय के पास पहुंची। क्या मंत्री महोदय इस विषय में कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

श्री नारायणसिंह : इस विषय में इस समय में मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री नारायण सिंह : इस विषय में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या 397

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 398

श्री नत्थासिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल भाई।

पंचायत समिति पीपलखूंट के सरपंचों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग की शिकायतें

399. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट के सरपंचों के खिलाफ सार्वजनिक कार्यों में धन का दुरुपयोग करने के विषय में विकास अधिकारी ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किये हैं? यदि हां, तो किस किस सरपंच के खिलाफ और कितनी कितनी धनराशि के? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाया है, इसलिए कृपया इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 400

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखि)

श्री केशरीमल।

राज्य पथ परिवहन निगम एवं कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता

401. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं उसके कर्मचारियों के मध्य 22-3-72 को सम्पन्न हुए समझौते की क्रियान्विति के सम्बन्ध में क्या कोई विवाद चल रहे हैं? यदि हां, तो इन विवादों को कैसे और कब तक हल किया जावेगा?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा 22-2-72 से

Page No 20

(20)

(श्री केशरीमल)
22-3-72 तक की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए परिवहन निगम द्वारा किस किस स्थान पर कितनी कितनी राशि किस किस कार्य में व्यय की गई? क्या यह व्यय उचित था?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं, कोई विवाद नहीं है।

(2) निगम द्वारा निम्न व्यय किया गया:—

(क) सूचना प्रसारण, फोटोग्राफी, तथा ब्लाक आदि बनवाने हेतु	रु.	13500.59
(ख) उपरोक्त मद पर संभावित बिलों की अनुमानित राशि	,,	2000.00
(ग) डाक खर्च (प्रेस नोट, तथा अपील आदि के लिए)	,,	100.85
(घ) टेलीफोन तथा तार	,,	850.00
(ङ) विभिन्न आगारों द्वारा कर्मचारियों को खाना तथा अन्य सुविधायें हेतु किया गया व्यय	,,	15255.12

व्यय की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच विचाराधीन है।

श्री केशरीमल : यह खाना मजदूरों को क्यों दिया गया? क्या सभी कर्मचारियों को खाना दिया जाता है या केवल हड़ताल तुड़वाने के लिए ही उनको खाना दिया गया?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए प्रश्न विचाराधीन है कि उचित था या नहीं।

श्री केशरीमल : और भी ऐसे खर्चे हैं, क्या उन सबकी जांच कर रहे है? निश्चित तौर से यह खर्चे हुए है, हड़ताल तुड़वाने के लिए लोगों को शराब और कबाब दिया गया है। क्या राज्य सरकार इसकी जांच करेगी?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन कर दिया है।

प्रश्न संख्या 402

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 403

श्री खेतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 404

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण चौधरी।

झुंझुनू जिले के आदर्श गांवों का विद्युतिकरण

405 **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में किस किस गांव को आदर्श गांव चुना गया था तथा उनमें विकास के क्या क्या कार्य किये गये हैं ?

(2) क्या इन गांवों का विद्युतिकरण करने का भी कार्यक्रम था ? यदि हां, तो क्या ऐसा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त चयनित ग्रामों में अन्य क्या क्या कार्यक्रम एक साल की अवधि में पूरे करने थे और उनमें से कितना लक्ष्य राज्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है तथा कितना अवशेष है ?

विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) झुन्झुनू जिले में 16 ग्रामों को आदर्श गांव चुना गया है। 1. गौरीर, 2. नगली-सलेदीसिह, 3. बांय, 4. डिगाल, 5. बागोली, 6. सिगनोर, 7. बनगोठड़ी, 8. घूमनसर, 9. हंसासर, 10. धिरासर, 11. पूहानियां, 12. सांतोर, 13. कंवरपुर, 14. गिडानिया, 15. मारू, 16. बाकरा।

इन चयनित गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सात गांवों में विद्युतिकरण हो चुका है। शेष गांवों के लिये कार्यवाही चालू है।

(3) इन चयनित गांवों में एक वर्ष की अवधि के उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान मे रखते हुए विकास कार्य, पीने के पानी की सुविधा, कमजोर वर्ग के लोगों को आवास सुविधायें, पाठशाला भवनों का निर्माण व सुधार, सड़कों की मरम्मत व नालियों का निर्माण, बिजली की सुविधा, कृषि विकास की सुविधायें उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है। इसमें से जो कार्य हो चुके हैं उसकी सूचना सदन की मेज पर रखी गई है । शेष कार्यों को भी उपलब्ध साधनों को मद्दे नजर रखते हुए पूर्ण कराये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रावत राम (छापर) : एक प्रश्न है। रजत जयंती के वर्ष में जो आदर्श गांव पंचायत समिति द्वारा चयन किये गये हैं उन गांवों को क्या इस साल बिजली दे देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह आदर्श गांव झुन्झुनू में ही हैं या फलोदी में भी हैं ?

श्री रावत राम : आपने जिन गांवों को आदर्श गांव घोषित किया वहां पर भी आपने बिजली नहीं दी और आपके एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि उन सभी गांवों में बिजली दी जाये। अगर किसी गांव के नजदीक से बिजली गुजरती होगी तो वहां पर दी जा सकती है वरना नहीं। जहां अनुसूचित जन-जाति की संख्या ज्यादा है वहां पर भी

Page No 22

(22)

(श्री रावतराम)
बिजली नहीं दी। क्या आप इन गांवों को इलैक्ट्रीफाइ कर लेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष तो सम्भव नहीं है। अब रह जाता है आगे देखने का। मैंने इस प्रश्न के पैदा होने पर जानकारी की तो मुझे कहा गया कि कई गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और वहां अगर बिजली ली जाये तो उस गांव के लिये लाखों रुपये खर्च होंगे। पंचायत समितियों ने भी गांवों का चयन इस प्रकार किया है कि बीच के गांव अपने आप जुड़ जायेंगे। इसलिये मैं पंचायत समिति की भावना और विद्युत् मंडल की दिक्कतें, इन दोनों के बीच कोई मध्यम मार्ग निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसे भी गांव हैं जो बिजली की पाइंट से दो मील की दूरी पर हैं। उनको बिजली देंगे या नहीं ?

श्री पी. के. चौधरी : आपका यह कहना कि पंचायत समितियों ने मोटिवेट होकर चयन किया है, यह गलत है। जो गांव सिलेक्ट किये गये हैं वह पापुलेशन देख कर किये गये हैं, और दूसरी बातें देख कर किये गये हैं। इसलिये यह कहना कि पंचायत समितियों ने मोटिवेट होकर चयन किया है, it is casting aspersions on the Panchayat Samitis and their members.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को केवल अपनी जगह का ही ज्ञान है। दूसरी जगहों का पता नहीं है।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : माननीय मंत्री महोदय के सामने चुने हुए गांवों का सवाल आता है। हकीकत यह है कि पंचायत समितियों को यह काम दिया गया था। और जिस प्रकार का उत्तर प्राप्त हो रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि किस गांव में क्या काम किया गया। सभी प्रकार के काम हैं, बिजली का ही नहीं है, पानी का भी है। क्या आप ऐसे चुने हुए गांवों का दुबारा निरीक्षण करके शीघ्र कार्यवाही के कदम उठायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री लूणाराम : कम से कम आप यह तो आधार तय कीजिये कि जहां से बिजली की लाइन जा रही है, वहां से इतने मील दूरी तक जो भी आदर्श गांव होंगे उनको बिजली दी जायेगी। फिर उसके बारे में पुन: पंचायत समितियों से प्रस्ताव मंगा लीजिये। ऐसा कुछ करिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं।

श्री दिनेश राय डांगी : हर वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों की बिजली के लिये विशेष प्रावधान किया जाता है, लेकिन किया कुछ नहीं जाता और हर साल यही कहा जाता है कि कोशिश की जा रही है। आज इतना अर्सा हो गया, आपके डिपार्टमेंट का सर्क्युलर निकला हुआ है कि किसी भी गांव में बिजली दी जाये तो सब से पहले वहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित

(श्री दिनेशराय डांगी)
जन जति के मोहल्लों में दी जाये, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। उनके मोहल्लों में बिजली नहीं दी जा रही है। रजत जयन्ती वर्ष भी गुजर गया और गांधी शताब्दी वर्ष भी बीत गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह जो आप फर्मा रहे हैं कि गलत चयन हो गया है, तो क्या आपने पंचायत समितियों को कोई आधार भेजे थे कि इन आधारों पर गांवों का सलेक्शन कीजिये? और अभी जो आपने कहा कि हम कोआर्डीनेट कर रहे हैं, तो क्या अभी आप वापिस उनको कोई अपने सुझाव देंगे कि जिनके आधार पर वह चयन करें, ताकि वह तो चयन करते ही रहें और इस बीच रजत जयन्ती वर्ष भी निकल जाये?

श्री हरिदेव जोशी : आदर्श गांव जो जो चुने गये उनमें जो काम होने थे, उन कामों के बारे में कोई अलग फन्ड्स का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल डिपार्टमेंन्ट को लिखा गया था कि आप अपने प्रोग्राम्स को ... समय इनको प्रायरिटी दें। अभी मैं यह सोच रहा हूं कि जो भी इनकी डिफीकल्टीज हों उन डिफीकल्टीज को सार्ट आउट किया जाये और अगर कहीं कुछ ऐडजस्टमेंट करने की जरूरत हो तो की जाये।

श्री पी. के. चौधरी : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में घोषणा की है कि हर पंचायत समिति के दो गांवों को आदर्श गांव घोषित किया जायेगा। तो इसमें सेन्टर की कोई रैस्पान्सिबिलिटी है या नहीं? अगर नहीं, तो सेन्टर ने किस आधार पर वह घोषणा की, उनको कौन सा राइट था?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी इतनी जानकारी तो है कि सेन्टर ने यह घोषणा की, पर इसके लिये कोई स्पेसीफिक फन्ड का प्रावधान नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : तो फिर घोषणा कैसे कर दी उन्होंने?

श्री हरिदेव जोशी : यह सवाल मुझ से नहीं पूछना चाहिये।

सेवा सदन संस्था को आवंटित भूमि

406. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के आदेशानुसार सेवा सदन नामक संस्था को पिछड़ी जातियों के छात्रावास के संचालन करने की दृष्टि से जयपुर नगर के निकट ही 150 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो उक्त भूमि अब किस व्यक्ति के खाते में कितनी कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि जिस प्रयोजन हेतु इस भूमि का आवंटन किया गया था, उसका उपयोग उस प्रकार नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इस भूमि का राज्य सरकार द्वारा अभी तक अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित करने के लिये निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 407.

श्री विद्या सागर। विद्या सागर नहीं हैं।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि

408. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वित्तीय वर्ष 1968–69, 1969–70 व 1970–71 में राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी राशि सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिये व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से व्यय की गई राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई थी विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच का मामला मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था? यदि हां, तो किस दिन शिकायत प्राप्त हुई व राज्य सरकार ने किस दिन मामला जांच हेतु सौंपा?

(4) उक्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को किस दिन प्राप्त हुई व किस किस अधिकारी को दोषी पाया गया? अधिकारी गण के नाम मय पद के बताने का कष्ट करें।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने दोषी पाये गये कर्मचारी अधिकारी को क्या क्या दण्ड दिया व किस किस को? विगत बताने का कष्ट करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का अकाल राहत विभाग से सम्बन्ध है। गलती से इस विभाग को भेज दिया इसलिए मैंने उस विभाग को भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

नियमों एवं आज्ञाओं आदि का अनुवाद कार्य

409. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल का यह निर्णय है कि महत्वपूर्ण नियमों, आज्ञाओं आदि का अनुवाद सिन्धी, गुजराती पंजाबी और उर्दू भाषियों के लिये उनकी स्वयं की भाषा में उपलब्ध कराये जायें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आज्ञा के पालनार्थ लोक सेवा आयोग द्वारा सिन्धी अनुवादकों की नियुक्ति की गई थी? यदि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
हां, तो उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) उन अनुवादकों ने कितने समय कार्य किया और उस अवधि में क्या क्या कार्य किया ?

(4) क्या उन अनुवादकों द्वारा किये गये कार्य का प्रकाशन किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्या प्रकाशन उपलब्ध हैं ?

(5) क्या इस समय भी अल्प भाषाई अनुवादक कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती कमला बेनीवाल : (1) जी हां । नियम के अनुसार समस्त महत्वपूर्ण कानूनों के सारांश (सब्सटेंस) का अनुवाद करना था ।

(2) जी हां, एक सिंधी अनुवादक श्री लक्ष्मणदास भंभानी की नियुक्ति की गयी थी ?

(3) दिनांक 1–6–65 से 2–7–68 तक कार्य किया । कार्य की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । सिंधी और उर्दू भाषा के अनुवादक ही उपलब्ध हो सके थे उनमें से सिंधी भाषा का अनुवादक कार्य छोड़कर चला गया और उर्दू वाले का परिवर्तन हो गया । अतः अल्पभाषायी अनुवादकों के पुनर्नियोजन के हेतु पुनः व्यवस्था की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगा, जिनकी इन्होंने नियुक्ति की, उन पर इतना खर्च किया और उन्होंने अनुवाद भी कर दिया फिर, पुस्तक छापी क्यों नहीं गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पुस्तकों को छापने के लिए टंकण और प्रकार और सुपरवाइजर की कमी होने के कारण व्यवस्था सम्भव नहीं हो पा सकी ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : टंकण और सुपरवाइजरी की कमी सदा बनी रहेगी क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : टंकण बाहर से करा लें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आगे के लिए व्यवस्था की जा रही है । आगे कमी नहीं रखी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

बसों के स्टेण्ड

410. **श्री मोहनराज (बाली) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न शहरों में राजस्थान रोडवेज के बस स्टेण्ड के अलावा विभिन्न निजी बसों के अलग अलग बस स्टेण्ड बने हुए हैं और इससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है ?

(2) क्या राज्य सरकार निजी मालिकों की बसों में सफर करने वाले

Page No 26

(26)

(श्री मोहन राज)
यात्रियों के आराम व सुविधा के लिये एवं उन बसों पर नियमानुसार नियंत्रण रखने के लिये और साथ ही राजकीय स्टैण्ड पर उपयुक्त स्थान देने से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए सभी बसों के लिये एक ही स्टेण्ड कायम करने पर विचार करेगी ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां, अलग अलग स्टैण्ड के कारण असुविधा स्वाभाविक है।

(2) इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए राज्य के प्रादेशिक परिवहन अधिकरणों को सुझाव प्रस्तुत किये जावेंगे।

प्रश्न संख्या 411

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मीठालाल।

ग्राम रामगढ़ पचवारा में आमों के वृक्षों की नीलामी

412. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) ग्राम रामगढ़ पचवारा तहसील लालसोट जिला जयपुर में बजमाने जागीर से मकबूजा ठिकाना भूमि जो अब सिवाय चक भूमि में है में फलदार वृक्षों की कितनी संख्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इन आम के वृक्षों के फलों की नीलामी प्रति वर्ष तहसील द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इन वृक्षों का स्वामित्व इनके मालीकान को क्यों नहीं दिया जा रहा है जब कि सरकार की ऐसी नीति है ?

(4) यह मसला राजस्व विभाग में कब से विचाराधीन है व अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आठ की कमी रह गई !

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) ग्राम रामगढ़ पचवारा तहसील लालसोट में मकबूजा ठिकाना भूमि जो अब सिवाय चक भूमि है, में 126 फलदार आम के वृक्ष हैं।

(2) जी हां। सिवाय चक भूमि पर खड़े पेड़ नीलाम होने चाहिये, उक्त पेडों की नीलामी कार्यवाही प्रतिवर्ष तहसील, लालसोट द्वारा की जाती है।

(3) सिवाय चक भूमि पर स्थित वृक्षों का स्वामित्व राज्य सरकार का ही है।

(4) यह राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है इस मामले में अन्तिम निर्णय हो चुका है जिसकी प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, धारा 81 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व जिसका मालिकाना का जो कब्जा होता है किसी का भी उसके बाद में कब्जा उसी का माना है और उसी के लिए बाद में जमीन देते हैं उस हिसाब से राजस्थान सरकार

(श्री मीठालाल)
ने विचार कर मामलों में स्थगन आज्ञा भी दी थी, राज्य सरकार अब तक चौथ वसूल करती रही है तो जिनका पहले से कब्जा है, आपके टेनेन्सी एक्ट की धारा 81 के पहले का; उनका कब्जा रखा जाय, उनको आवंटन करने में क्या परेशानी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा बताया यह सिवाय चक भूमि में वृक्ष है जिसका दूसरा मालिक नहीं हो सकता। इस हुक्म से नाराज होकर अदालत में दावा किया जो खारिज हो चुका है और अपील नहीं हुई। इसलिए अन्तिम निर्णय हो चुका है, इसमें दूसरे का अख्तियार नहीं है और सालाना नीलाम किये जायेंगे।

श्री मीठालाल : ग्राम वृक्षों की भूमि पंचायत को आवंटित कर दी गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिवाय चक की भूमि है।

श्री मीठालाल : अब ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं।

श्री मीठालाल : जिन काश्तकारों ने इनमें पेड़ लगाये, यह लालसोट' का, दौसा सिकराय तहसील का मामला है—इनका चार सौ साल से पहले से कब्जा चला आ रहा है, जमीन सिवाय चक की है लेकिन ग्राम के पेड़ उन्होंने लगाये हैं, वह वारिस बनते आ रहे हैं तो पेड उनको देंगे या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राज्य की जमीन के पेड़ उनको कैसे देंगे। मैंने निवेदन किया, वह खारिज हो गया तो कोई बात बाकी नहीं रही है।

प्रश्न संख्या 413

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जर्नादन सिंह गहलोत।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

414. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो परिवर्तन शुल्क क्या आय वर्ग के अनुसार निर्धारित नहीं किया जायेगा? यदि इस प्रकार निर्धारित नहीं किया जायेगा तो इसको निर्धारित करते समय सरकार कौन सा माप दण्ड अपनाने जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): नगरपालिका तथा पेरिफरी ग्रामों के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में कृषि भूमि को आवास एवं व्यापार हेतु राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का आवास एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि परिवर्तन) नियम 1971 प्रसारित किये हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 12 में 500 वर्ग गज का 1150 भाग निःशुल्क तथा इससे ज्यादा 1000 वर्ग गज तक 25 पैसे प्रति वर्ग गज शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

नगरपालिका तथा पेरीफरी ग्रामों के क्षेत्र में जब तक मास्टर प्लान नहीं बने और सुनियोजित विकास में बाधाएं नहीं आने के उद्देश्य से परिवर्तन बन्द कर रखा है। लेकिन जिन लोगों ने नियमों में उल्लंघन में पहले निर्माण कर लिये थे उनको बेदखल न कर अनधिकृत निर्माण निर्धारित शुल्क लेकर नियमन करने के निश्चय की घोषणा के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवास एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि परिवर्तन) नियम 1971 प्रसारित किये हैं। उपरोक्त नियमों में दिनांक 21-8-71 तक जिन कृषि भूमियों का प्लिन्थ लेवल से अधिक निर्माण कार्य कर परिवर्तन किया है, का नियमन किया जा रहा है। परिवर्तन शुल्क निर्धारण करने का मापदण्ड इस प्रकार है कि यह शुल्क सम्बन्धित नगरपालिका, नगर विकास न्यास की राय के अनुसार, जो भूमि के मूल्य को ध्यान में रख कर दी गई है, निर्धारित की गई है। जो वर्तमान नगरीय भूमि के मूल्य को देखते हुए तर्कसंगत एवं उचित है।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो आपने जवाब दिया है, बिल्कुल ऐसा भ्रम पैदा करता है कि उसके अन्दर जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास, विभाग के पास पैसा नहीं है। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि बाइस गोदाम क्षेत्र खाली कराने की जिस घोषणा के अनुसार जो अभी विचार व्यक्त किये, उसके अनुसार मेरे पास रिकार्ड ऐसा है कि तहसील से पर्मिशन मिल चुकी है 1150, की मिस्टर गुल्ला पटेल नाम का व्यक्ति को। कलेक्टर ने वहां जाकर नीलामी की बोली बुलवाई तो पांच सौ आदमी पीटने की कार्यवाही करने को तैयार हो गये, भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। कलेक्टर पी.डी.आर. में नीलामी करने चले गये। एक तरफ आप घोषणा करते हैं, दुसरी तरफ इस प्रकार की कार्यवाही होती है। तहसील की पर्मिशन है और नगर परिषद् से मोहर लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वह स्थान नजदीक है, आप तीन बजे चलिये, मैं बताऊंगा कि वहां नीलामी हो रही है। काश्तकारों के 1150 में मकान बने हैं। लोगों को विश्वास कैसे हो, आप फ्लोर पर तो बोल देते हैं।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : जो नियम है, वह बताया, कल घटना हुई उसकी जानकारी नहीं है। आप चाहें तो जानकारी लेकर दे दूंगा।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : हम इस बात से सहमत हैं। आप घोषणा करते हैं उसके बाद मैं भूमि आवंटन विभाग में जाकर आया हूं उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हम ने यह कर दिया है कि 1150 भाग से नहीं हटाया जायगा, बेदखल नहीं किया जायेगा। आप निरीक्षण करें तो निश्चित मालूम हो जायेगा। मैंने कलेक्टर से बात की। वह बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने घोषणा की, उसकी सूचना उसको नहीं है। वह

(श्री जनार्दन सिह गहलोत)
कहता है, राज्य सरकार ने क्या किया, उसका पता नहीं है।

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीय** : राज्य सरकार की घोषणा और नियमों का पालन होना चाहिए।

श्री **रामचन्द चौधरी** : कन्वर्शन का मामला है, इसकी शिकायत आ रही है और केबिनेट ने गम्भीरतापूर्वक विचार करके ही हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी और मैं हूं, ऐसा लगता है कि बहुत सी जगह रेट्स अनरियलिस्ट हैं उनको रेगुलेराइज करने के लिए, ठीक रेट करने के लिए कमेटी बनी है। इसका जल्दी फैसला करेंगे।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : मैं सहमत हूं, सरकार की भावना निश्चित तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने की है और उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। सड़क के एक तरफ 30 रुपये गज है, एक तरफ पन्द्रह रुपये, कैसे सम्भव हो सकता है, कैसे पार पा सकते हैं। आपने जवाब में बताया 1/50 हिस्से में छूट दी है और रेगुलेराइज करने की ही इजाजत दी है। यह केस है, गुल्ला पटेल का। आप फ्लोर पर विश्वास देते हैं, भाषण देते हैं और इसको मानने के लिए अधिकारी तैयार नहीं। मैं कलेकटर से मिल कर आया हूं, भूमि आवंटन विभाग से मिलकर आया हूं। उन्होंने असमर्थता प्रकट की है जब कि मकान रेगुलर वे में 1/50 हिस्से में बना है। तहसील से परमिशन मिली हुई है मैं साथ लेकर आया हूं। म्यूनिसपैलिटी की मोहर लगकर एप्रूव किया गया। 20 साल का मकान बना हुआ है आज कलेक्टर मकान तुड़वाने के लिए जा रहा है। जिसके घर की नीलामी हो, जहां सरकार के आदमी चले जायं वह आदमी कैसे बरदाश्त कर सकता है।

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी)** : मंत्री महोदय आश्वासन दिलायें कि ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : मैं उस मकान को नहीं तुड़वाने के आदेश फौरन जारी कर दूंगा और इसका जल्दी से जल्दी फैसला भी करेंगे।

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : आज ही करना पड़ेगा नहीं तो नीलामी हो जाएगी।

श्री **शंकरसिंह रावत** : मकान तुड़वाया जाए उसके बाद आदेश हों तो क्या फायदा। सरकार एक तरफ घोषणा करती है नीति संबंधी, तो जो अधिकारी उस नीति का क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो सजग होकर विश्वास दिलायें कि नीति का पालन किया जाएगा। देरी से जायं, मकान तोड़ लिया जाए तो काश्तकारों की क्या हालत होगी ?

श्री **जनार्दन सिंह गहलोत** : आप देरी करेंगे, गुल्ला पटेल के घर की नीलामी हो गई तो निश्चित तौर से काश्तकारों में असंतोष पैदा होगा। वहां 500 आदमी आपके अधिकारियों को...

Page No 30

(30)

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज ही करेंगे, देरी का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही माउन्ट आबू सड़क

387. **श्री शान्ति लाल कोठारी** (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिरोही से माउन्ट आबू जाने वाली सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूर्णतः बन जाने की संभावना है?

उत्तर

जी हां, अकाल सहायता कार्यों में फेयर वेदर रोड़ निर्माण कार्य प्रगति पर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार करेंगे।

राजस्थान नहर की लो लेवल ब्रांच को माईनर

393. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान नहर परियोजना विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर की लो लेवल ब्रांच (एल. एल. बी.) की माइनर जी.एम. पर कुल कितने चक हैं? क्या इस माईनर की टेल तक पानी पहुँचता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि चक (4 जी. एम.) और 5 जी.एम. के आगे श्री पृथ्वीपाल भल्ला नाम का एक काश्तकार हमेशा ठोकर लगाता है? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र के एस. डी. ओ., एक्स. ई. एन. और एस. ई. सिंचाई से इस क्षेत्र की जनता ने अनेकों बार शिकायतें की हैं? यदि हां, तो श्री पृथ्वीपाल नामक व्यक्ति पर आज तक मुकदमा क्यों नहीं बनाया गया?

(3) क्या यह सही है कि 4 और 5 जी. एम. पर गैर कानूनी ठोकर लगने के कारण निचले चकों की बिजाई अनेकों वर्षों से नहीं हो पा रही है? यदि कुछ हुई भी है तो तबाह हो गई है? इसके लिये जिम्मेवार कौन है?

(4) क्या यह सही है कि जी. एम. माईनर जिस एस.डी.ओ. के नीचे है वह अनूपगढ़ तहसील का ही रहने वाला है? यदि हां, तो इसी तहसील का सिंचाई अधिकारी लगने का क्या कारण है और क्या सरकार एस. डी. ओ. के या अन्य जिम्मेवार सिंचाई अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की लो लेवल ब्रांच की जी.एम. माईनर (घरसाना माईनर) में नौ चक है। इस माईनर की टेल तक पानी पहुंचता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां यह सही है कि वह एस. डी. ओ. जिनके कार्य क्षेत्र में यह माईनर

Page No 31

(31)

(मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) है अनूपगढ़ तहसील के रहने वाले हैं। इनकी नियुक्ति उनकी योग्यता के दृष्टिकोण से की गई है, और परियोजना पर इस प्रकार की नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बाड़मेर जिले में खातेदारी अधिकार के मामले

397. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने मामले पेन्डिंग है जिन्हें भूमि आवंटन के दस वर्ष पश्चात् भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा उन्हें खातेदारी अधिकार दिलाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें कब तक खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 676 मामले विचाराधीन हैं जिन्हें भूमि आवंटन होने के दस वर्ष पश्चात् भी खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सके हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुए दस वर्ष से अधिक हो गये हैं और जिनके द्वारा भूमि आवंटन नियमों की पालना की गई है, उन्हें बाद जांच शीघ्र ही खातेदारी अधिकार दे दिये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)।

गम्भीरी नदी पर पुल

398. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बयाना बन्ध बारेठा मार्ग पर गंभीरी नदी पर पुल निर्माण हेतु करीब साढ़े तेरह लाख रुपया गत वर्ष के बजट में स्वीकार किया गया था? यदि हां, तो अब तक इस पुल पर कितना कार्य हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

दिनांक 15-1-72 को 13 लाख रुपये की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। पुल निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं।

तहसील गंगापुर के बंधों और तालाबों की मरम्मत

400. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील गंगापुर में सिंचाई विभाग के तालाब और बन्ध कौन कौन से हैं और सिंचाई की दर क्या है?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे पचासों बन्ध और निजी तालाब गांव वालों के हैं

(श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल)
जो वे सरकार को देना चाहते हैं जिससे सरकार प्रति वर्ष आबियाना वसूल कर सकेगी और उनकी मरम्मत भी हो सकेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निजी तालाबों को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में सिचाई विभाग के अधीन के तालाबों की सूची संलग्न है। सिचाई की दरों की सूची संलग्न है।

(2) तहसील गंगापुर में ग्रामीण के निजी तालाबों से सिचाई विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है और उनका कोई रिकार्ड सिचाई विभाग में उपलब्ध नहीं है। निजी तालाबों को सिचाई विभाग द्वारा लेने का कोई विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

एस. डी. एम. करनपुर द्वारा आवंटित भूमि

402. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर ने आदेश संख्या सी. जी./रीडर/ 4928–3812 28-67 द्वारा एस. डी. एम., करनपुर को कृषि भूमि के स्थाई आवंटन से रोका था ? यदि हां, तो इसके बाद कितनी भूमि का अलाटमेंट किस किस को कितना कितना किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सरकार उक्त आवंटन को जायज समझती है ? यदि नहीं, तो एस. डी. एम. करनपुर के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एस. डी. ओ. करनपुर के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

आलोक उद्योग पर बिजली की बकाया

403. **श्री चेतराम** (टोडाभीम): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आलोक उद्योग पर 1969–70 1970–71 एवं 1971–72 का कितना कितना रुपया विद्युत् का बकाया का है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आलोक उद्योग विद्युत् की राशि को समय पर देने में सदैव डिफाल्टर रहा है और सरकार इस संस्थान के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ रही है ?

(3) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल में आलोक उद्योग नामक किसी संस्थान का कोई खाता नहीं है। अतः बकाया का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरेरी बांध की बकाया

404. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरेरी बांध के किसी ठेकेदार में 65 से पूर्व के (1.03) एक लाख तीन हजार रुपये बकाया हैं ?

(2) क्या यह रकम अब तक वसूल हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, ठेकेदार के नाम पर चल अचल सम्पत्ति न होने के कारण पी. डी. आर. के अन्तर्गत भी वसूल न हो पाई है।

लोअर घोडी तालाब

407. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लोअर घोड़ी तालाब तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर की नहर में पानी नहर से सिपेज होकर पुनः नदी में बह जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पक्का कराने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक इस नहर को पक्का बना दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। नहर को पक्की कराने का कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैंकों के चुनाव

411. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सी. सी. बैंक एवं पी. एल. एम. बैंक के चुनाव कहां कहां कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने कोई बैंकों के चुनाव स्थगित करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस जगह के और किस पद के ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सही है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकार चुनाव स्थगित नहीं करा सकती ? यदि हां, तो टौंक के पी. एल. एम. बैंक के स्थानों का चुनाव होने की क्या तिथियां निर्धारित थीं ?

(4) क्या यह सही है कि एक सीट का स्थगन आदेश दिनांक 12-1-73 को

Page No 34

(34)

(श्री राजेन्द्र सिंह)
प्राप्त हुआ जब कि इस सीट पर एक ही प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया था ?

(5) क्या सरकार इस आदेश को कानून की नजर से गलत नहीं समझती ? यदि हां, तो इसे वैकेट क्यों नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

तहसील सांचोर में सिंचाई बांधों की मांग

413. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में नेयड क्षेत्र में एवं ऊपरखड क्षेत्र में कई लघु सिंचाई बांध बंधवाने के बारे में स्थानीय जनता की मांग आ रही है ? अगर हां, तो कहां कहां से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बांधों का अभी तक सर्वेक्षण हो कर तकनीकी स्वीकृतियां विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) अब उपरोक्त नये बांधों के सर्वेक्षण कब तक करवा दिये जायेंगे एवं कब तक तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होकर कार्य शुरू करवाये जायेंगे ?

(4) बड़गांव एवं जेलपुरा नदियों पर बांध बंधवा कर नहर कब तक निकाली जावेगी ? उक्त नहर से सांचोर क्षेत्र में कहां तक पानी सिंचाई एवं पीने के लिए उपलब्ध कराया जावेगा ?

(5) माही एवं नर्मदा नदी योजनायें कब तक पूर्ण हो जायेंगी और जिला जालौर में कितने क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

<u>उत्तर</u>

(1) जी हां; जिन कार्यों के लिए वहां की स्थानीय जनता ने मांग की है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) इनमें से कुछ कार्यों का सर्वे होकर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और कार्य भी शुरू कर दिया गया है कुछ कार्यों का सर्वे चल रहा है । पूरा विवरण सूची में अंकित है ।

(3) जिन कार्यों पर सर्वे चल रहा है उनके मार्च, 1973 तक पूरा होने की सम्भावना है, उसके बाद स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिये जायेंगे ।

(4) बड़गांव नाले पर पिकअप वियर तो बन चुका है इसकी नहर का कार्य मार्च 1974 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । इस नहर से भीनमाल तहसील के अजोधर, मोदन जाकन, अधायपुरा इत्यादि गांवों को लाभ मिल सकेगा ।

(5) माही व नर्मदा नदी योजनाओं के चालू करने के बारे में प्रधान मंत्री के नर्मदा जल विवाद में अवार्ड देने के पश्चात् विचार किया जायेगा । इन योजनाओं के पूर्ण होने के बारे में अभी कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये अंतर्राज्यीय योजनायें हैं और इनका पूर्ण होना

(सिंचाई मंत्री)
गुजरात राज्य में इन योजनाओं से सम्बन्धित सभी कार्यों के पूर्ण होने पर निर्भर करता है।

जिला जालौर में इन योजनाओं से सिंचित होने वाला क्षेत्र गुजरात राज्य में बनने वाला नवगांव बांध की ऊंचाई व उससे निकलने वाली नहर के एफ.एस.एल. व गुजरात में कडाना बांध से निकलने वाली हाई लेवल कैनाल पर निर्भर करेगा।

नवगांव केनाल के एफ.एस.एल. को 300 (नवगांव बांध से निकलने पर) और कडाना हाई लेवल केनाल के एफ.एस.एल. को 380 (कडाना बांध से निकलने पर) मानते हुए जालोर जिले का करीबन 8,07,048 एकड़ सी.सी.ए. पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर सिंचित हो सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गांधी सेवा सदन राजसमन्द को अनुदान

181. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी सेवा सदन राजसमन्द के भवन एवं कुए के निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान दिया गया? यदि हां, तो कब और कितना?

(2) क्या यह सही है कि गांधी सेवा सदन राजसमन्द के तत्वावधान में चल रही प्रवृत्ति के अन्दर खादी बोर्ड से उक्त संस्था ने साबुन, उद्योग, तेल घाणी आदि के लिए ऋण एवं अनुदान प्राप्त किया? यदि हां, तो कब और कितना?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ऋण एवं सहायता का संस्था ने दुरुपयोग किया जिसकी जांच भी खादी बोर्ड द्वारा की गई? यदि हां, तो कब? कृपया उक्त जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उन्हें फरवरी, 1958 में 10,250 रु. का ऋण तथा 6150 रु. की सहायता (अनुदान) दी गई थी।

(3) जी नहीं। खादी बोर्ड द्वारा दुरुपयोग की कोई जांच नहीं की गई। अतः जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यमुना एवं गंगा नदियों का पानी

182. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यमुना एवं गंगा नदियों के पानी का राजस्थान में उपयोग करने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को कोई ज्ञापन पेश किये गये? यदि हां, तो कृपया ऐसे ज्ञापनों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस ज्ञापन के अनुसार अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है?

(सिचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, यमुना एवं गंगा नदियों के पानी को राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को हाल ही में भेजे गए ज्ञापनों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) ज्ञापनों की प्रतिलिपियों से राज्य सरकार द्वारा को गई लेटेस्ट कार्यवाही विदित है।

(ज्ञापन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चक 14 ग्रार. बी. में आवंटित भूमि

183. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मामकोरी बेवा बगडावत, लखासर, तहसील सूरतगढ़ में 20 बीघे नहरी भूमि की मालिक है? यदि हां, तो उसे चक 14 ग्रार. बी. में 20 बीघे व 10 बीघे, चक 39 बी. बी. में. म. नं. 49, 4 बीघे भूमि किस आधार पर स्थाई आवंटित की गई?

(2) क्या यह सही है कि मामकोरी को तहसील पदमपुर में 30 बीघे बारानी भूमि तथा 12 ग्रार. बी. ग्रादि में अस्थाई भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(स्थगित किया गया)

गुरुद्वारों की भूमि

184. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला गंगानगर में कितने गुरुद्वारों की भूमि 25 मार्च, 1970 के बाद बेची गई और कितनी भूमि धार्मिक स्थानों के नाम खातेदारी में दी गई?

(ख) धार्मिक स्थानों के नाम पर यदि खातेदारी में भूमि नहीं दी गई तो उसका क्या कारण है और वह कब तक धार्मिक स्थानों के नाम पर दे दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(क) गुरुद्वारों की कोई भूमि नहीं बेची गई। तथा 25 मार्च, 1970 के बाद 190 बीघा 6 बिस्वा भूमि धार्मिक संस्थानों के नाम खातेदारी में दी गई।

(ख) सूचना (क) में दे दी गई है

मानसरोवर बांध की दाहिनी कैनाल से सिंचाई

185. श्री चिम्मनसिंह भाटो (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की देवगढ़ पंचायत समिति के मानसरोवर बांध की दाहिनी कैनाल से कुल कितने एकड़ रकबा सिंचित होगा और कहां तक बनना प्रस्तावित है?

(2) इस कैनाल की कुल लम्बाई कितनी होगी व इस पर कुल कितना रुपया

(श्री चिमनसिंह भाटी)
खर्च होगा तथा इसकी औसत गहराई क्या होगी ?

(3) मानसरोवर के बाईं तरफ की कैनाल से देवगढ़ भीलवाड़ा सड़क के पास से आंजना व जेमाजी का खेड़ा ग्रामों को नहर बना कर पानी देने की योजना है या नहीं ?

(4) यदि हां, तो कब तक बन जायेगी और नहीं, तो क्यों नहीं जब कि देवगढ़ भीलवाड़ा रोड से आंजना व जेमाजी का खेड़ा ग्राम बिल्कुल नजदीक है ?

उत्तर

1) उदयपुर जिले के देवगढ़ पंचायत समिति के मानसरोवर बांध की दाहिनी कैनाल से कुल 131 एकड़ रकबा सिंचित होगा। यह नहर देवगढ़ भीलवाड़ा सड़क को पार करके दौलतपुरा मोजा में होती हुई परालिया गांव के पास तक बनाना प्रस्तावित है।

(2) इस केनाल की कुल लम्बाई 9,750 फीट होगी। इस पर कुल रुपये 2,30,050 खर्च होंगे एवं इसकी औसत गहराई 5–4 फीट होगी।

(3) जी नहीं।

(4) बाईं नहर मार्च, 74 तक पूर्ण हो जावेगी इस नहर से आंजना व जेमाजी का खेड़ा में पानी देना सम्भव नहीं है क्योंकि दोनों ग्राम बांध के दाहिनी ओर पड़ते हैं।

तहसील ब्यावर के अधूरे बांधों पर कार्य

186. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील ब्यावर में कई छोटे छोटे बांध अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ? इनकी मंजूरी कब तक हो जायगी तथा कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार अधूरे बांधों को पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इनका सर्वे कब तक हो जावेगा और कौन कौन से बांध कब तक पूरे करा दिये जावेंगे ? कृपया निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है। यह सूची में अंकित है।

(2) जी हां, सर्वे हो चुकी है। सूची संलग्न है। निश्चित अवधि धनराशि की उपलब्धि पर ही निर्भर करती है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बाड़मेर जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपकेन्द्र

187. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में किन किन स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपकेन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन चिकित्सा केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर कितना स्टाफ है और स्टाफ में कितनी कमी है तथा स्टाफ की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) उक्त केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर प्रतिवर्ष कितनी दवाई का प्रावधान किया जाता है? क्या प्रावधान के आधार पर उक्त केन्द्रों में दवाई भेजी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में जो दवाइयों का प्रावधान किया गया है वह पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था करने के लिये कब तक कदम उठाये जावेंगे?

(5) उक्त केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में कहां कहां भवन तैयार हो चुके हैं एवं अधूरे हैं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों के लिए दवाइयों के मद में प्रति वर्ष 5,600)रु. का प्रावधान स्वीकृत है। इसके अलावा अतिरिक्त धनराशि मांग पर स्वीकृत की जाती है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है?

(5) प्रश्न के भाग 1 की सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

गंगानगर जिले में ट्यूब वेल्स को बिजली

188. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर जिले में कितने ऐसे ट्यूब वेल्स हैं जिन्हें बिजली नहीं दी जा रही है तथा इन्हें बिजली नहीं देने का क्या कारण है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

गंगानगर जिले में जिन ट्यूब वेल्स मालिकों ने बोर्ड के अधिकारियों के पास कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके उनमें से गंगानगर खण्ड की सूची संलग्न है। इस वर्ष के लक्ष्य पूरे हो जाने के कारण व अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण और कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिक कनेक्शन देने के लिये 33 के. वी. के सिस्टम को अधिक शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और ई. एच. टी. ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

189. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत् मंडल द्वारा जिला टोंक के कुछ ग्रामों

(श्री राजेन्द्रसिंह)
को वर्ष 1972-73 के विद्युत् प्रोग्राम में लिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने ग्राम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि योजना की प्राथमिकता के अनुसार वर्ष 1972-73 में 30 ग्रामों का विद्युतिकरण करना है ? यदि हां, तो वे कौन कौन से ग्राम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बनेठा व उसके आस-पास के करीब 8 ग्रामों का इसी वर्ष 1972-73 मार्च तक विद्युतिकरण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बनेठा कलस्टर ग्रुप प्राथमिकता सूची में होते हुए भी वहां काम चालू नहीं किया गया और ए. ई. एन. उनियारा द्वारा पहिले और जगह काम शुरू कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ? वर्ष 1972-73 में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत 3 ग्रामों को स्वीकृत किया गया है ? इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना के अन्तर्गत 65 ग्रामों की और स्वीकृति हुई है ? सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) जी हां । प्राथमिकता के आधार पर 31 ग्रामों का प्रावधान था । सूची 'ब' संलग्न है । परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से 1972-73 वर्ष के लिए जिन 31 ग्रामों का चयन करना पड़ा है, उनकी सूची 'स' संलग्न है ।

(3) जी नहीं । बनेठा पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनने से पहले 8 ग्रामों का विद्युतिकरण संभव नहीं है ।

(4) जी हां । 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनेठा में नहीं बन सकने के कारण कलस्टर ग्रुप के कुछ ग्रामों में कार्य चालू वर्ष में शुरू नहीं किया जा सका ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य विद्युत मण्डल के ट्रान्सफार्मर्स

190. श्री केशरी मल (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–:

(1) राज्य विद्युत् मण्डल के पास प्रयोग में लाये जा रहे व प्रयोग में नहीं लाये जा रहे कुल कितने विद्युत् ट्रान्स-फार्मर्स हैं ?

(2) जो ट्रांसफार्मर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उनमें से नये कितने हैं तथा पुराने कितने हैं ?

(3) प्रयोग में नहीं आ रहे पुराने ट्रांसफार्मर्स में मरम्मत के लिये कितने है ?

(4) जो ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिये हैं उनकी खरीद के समय मूल्य क्या था और अब उनकी मरम्मत पर कितना खर्च जायेगा तथा वे मरम्मत के योग्य हैं या नहीं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :—

1. श्री केशरी मल, सदस्य, विधान सभा ने श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह में चार व्यक्तियों को हथोड़े मारकर हत्या कर देने की घटनाओं के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. दिनांक 6-3-1973 को श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, ने, अलवर नगर परिषद् की जमीन नगर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अनधिकृत रूप से बेच देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य-मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का बीसवां प्रतिवेदन (अप्रेल 1, 1969 से मार्च 31, 1970) राज्य सरकार के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

धतूरा-बीज मिश्रित आयातित माइलो

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढा।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान, अखबारों में जो समाचार छपे हैं कि आयातित माइलो में धतूरे के बीज का मिश्रण है, उनकी ओर आकर्षित करता हूं और मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी घोषणायें की गई हैं कि किसी को भूख से मरने नहीं देंगे, उसके बावजूद भी बिगड़ी हुई हालत में अनाज दिया जाता है और उसमें जहरीले बीज होते हैं, उसको भी लोग खाने को मजबूर होते हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से

Page No 41

(४१)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
वक्तव्य हो और सदन को आश्वासन दिलाया जाए कि किसी व्यक्ति को भी विषाक्त भोजन से कोई हानि पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

प्रोफेसर केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री अध्यक्ष : (श्री केसरीमल के बोलने पर) : No Proxy.

श्री मोडालाल : मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष : दोनों का स्टेटमेन्ट आ जाए उसके बाद विश्लेषण चाहें तो करा सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लोक सभा में भी उठाया गया और उस पर जोरदार चर्चा हो चुकी है। लोक सभा में विश्वास दिया गया कि जांच की जाएगी और साथ ही यह भी कहा गया कि जो धतूरा है वास्तव में वह धतूरा है भी या नहीं। यह प्रश्न केवल आशंकाओं का है और भय का है। इसलिए उस भय के आधार पर कि कहीं इस अनाज में धतूरा न मिला दिया गया हो या मिलने दिया गया है। तो किस माध्यम से मिलाया गया और किस अनुपात में मिलाया गया, इस सारे प्रश्न ने राजस्थान में भी और राष्ट्र में भी एक भयानक स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए इसमें कुछ ज्यादा कहने का प्रश्न नहीं, बहुत साधारण तथ्य है कि वास्तव में यह स्थिति है या नहीं और इसके साथ ही यहां के खाद्य कमिश्नर से जैसी जानकारी मिली है, उन्होंने इस आशंका के निवारण के लिए सम्भवतः केन्द्र के फूड कारपोरेशन को लिखा है कि यहां ऐसी स्थिति है। इस स्थिति के निराकरण के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी खाद्य कमिश्नर को दी गई है और खाद्य कमिश्नर ने केन्द्र को दी है, मैं चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में मन्त्री महोदय, इस सदन को जानकारी दें और आश्वस्त करें सदन को कि खाद्यान्न में इस तरह की मिलावट से जिन्दगी को जो खतरा पैदा हो सकता है वह भविष्य में न हो और इस मिलावट के प्रति जो आशंकायें पैदा हुई हैं उनका निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष : दोनों मुद्दों पर आपका एक साथ स्टेटमेंट हो जाए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : भूख से मरने वालों के बारे में मेरा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा खाद्य मन्त्री।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य को 10,000 टन माइलो का फरवरी, 1973 में तथा 20,000 टन माइलो का आवंटन मार्च, 1973 में हुआ है। खाद्य निगम की सूचना है कि अब तक 4100 टन

Page No 42

(42)

(श्री परसराम मदेरणा)

के करीब पहुंची है। यह ज्ञात होने पर कि इस माईलो की कुछ बोरियों में धतूरे के बीज पाये गए हैं, जिलाधीशों को सतर्क कर दिया गया है कि वे माईलो छनवा कर प्राप्त करें। और वही माईलो उठाई जावे जो कि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त प्रमाणित कर दी गई है तथा अन्न वितरण के पूर्व यह जांच करालें कि वह धतूरे के बीज से मुक्त है। इस संबंध में पूर्ण सावधानी बरतने के लिए उनका व्यवस्था करने के लिए वायरलैस एवम् पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।

खाद्य निगम ने सूचित किया है कि धतूरा मिश्रित बोरियों पर लाल व हरे रंग का चिन्ह अंकित कर दिया गया है और धतूरा रहित माईलो की बोरियों पर कोई चिन्ह नहीं है। बोरियों पर चिन्ह लगाने की यह व्यवस्था खाद्य निगम ने बोम्बे हारबर पर की है और राजस्थान खाद्य निगम के पास यह टेलेक्स द्वारा सूचना जा चुकी है व खाद्य निगम के वितरण केन्द्रों को भी हिदायतें खाद्य निगम द्वारा दी जा चुकी हैं।

समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि इस माईलो का विश्लेषण बम्बई की हैफकिन इन्सटीट्यूट में कराया गया है। इस संस्था ने बताया है कि एक किलो माईलो में यदि धतूरे के दो तीन बीज तक हो तो उससे खाने वाले व्यक्ति पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। यह इन्स्टीट्यूट इस दिशा में भारत की अग्रणी संस्थाओं में से है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिन बोरियों में धतूरा मिला है उनमें भी एक किलो माईलो में तीन से पांच धतूरे के बीज से अधिक नहीं हैं। छनवाई कराने के बाद यह पूर्णरूपेण निकल जावेंगे। फिर भी हिदायतन उपभोक्ताओं को चाहिए कि खाने के पहले इस बीज को वे भी बीन लें।

वायरलैस एवम् पत्र व आवंटन की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि माईलो स्क्रीनिंग करवा कर ही खाद्य निगम से प्राप्त की जावे। राज्य सरकार पूरी सावधानी बरत रही है कि कहीं पर भी इस प्रकार की धतूरा वाली माईलो वितरण नहीं होने दी जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय अभी मन्त्री महोदय, ने कहा है कि इस माईलो का विश्लेषण बम्बई की हैफकिन इन्स्टीट्यूट में करा लिया गया है। उन्होंने ऐसा बताया है कि एक किलो माईलो में यदि धतूरे के दो-तीन बीज तक अगर खाने में आदमी को कोई भय नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कितने बीज खाने से उस आदमी को भय पैदा हो जाता है?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो केमिकल ऐनेलेसिस जो हुआ है उसके अनुसार कह रहा हूँ। वैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के फूड कारपोरेशन के आफिस को यह सजेशन दिया था कि उस माईलो को पूरी तरह से स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उसे दिया जाय। इसके लिये फूड कारपोरेशन ने अपने बम्बई स्थित फूड कारपोरेशन के स्टाफ को, जो कि बम्बई हारबर पर ही है, इन्स्ट्रक्शन भेज दिये हैं। वहां पर स्टाफ पूरी स्क्रिनिंग करा कर माल भेजने के आदेश दे दिये हैं वहां हारबर पर इस माईलो की जांच खाद्य निगम के अधिकारियों

[श्री परसराम मदेरणा]

द्वारा की जाती है और वहां पर जिसमें धतूरे के बीज होने का खतरा होता है, उस बोरी पर रेड और ग्रीन निशान लगा दिये जाते हैं और इसके अलावा, जिसमें धतूरे के बीज का एक दाना भी नहीं होता है, उस पर कोई निशान नहीं होता है। राज्य सरकार ने इसके लिए खाद्य निगम को स्ट्रिक्टली आदेश दे दिये हैं कि बिना बीने और छनवाई किये माईलो को नहीं भेजा जाये। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह आदेश सभी कलेक्टर्स को भी दे दिये हैं कि इस माईलो को जब तक पूरी तरह जांच नहीं हो जाय तब तक इसको नहीं बंटवाया जाय। यह कलेक्टर्स की जिम्मेदारी पर है और वह जब सेटिसफाई हो जाय तब हो उस माईलो को छनवा कर और बिनवा कर बांटने के आदेश दें अन्यथा नहीं। वही माईलो बांटी जाय जो कि मानव उपयोग के लिए है। अन्यथा नहीं। हालांकि बम्बई पोर्ट पर ही खाद्य निगम की तरफ से पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। फिर भी हमने एफ.सी.आई. की यह जिम्मेदारी ठहरायी है कि वह पहले उस माईलो को छनवा कर बिनवा कर भेजे। इसके अलावा कलेक्टर्स को भी यह कह दिया है कि एक भी दाना धतूरे के बीज की आशंका हो तो नहीं बांटा जावे। एफ.सी.आई. ने यह भी कहा था कि हम इसको छनवा कर और बिनवा कर इसका आटा सप्लाई करदें तो राज्य सरकार ने उनके इस सजेशन को नहीं माना। इसके साथ-साथ हमारा एनफोर्समेंट स्टाफ जो है, उसे भी हमने यह आदेश दिये हैं कि वे भी इस बारे में सतर्कता बरतें। क्योंकि जहां तक माइलो को पिसवा कर भेजने का सवाल है हो सकता है उसके स्क्रीनिंग करने के साथ धतूरे के बीजों के टुकड़े भी उसके साथ पिस सकते हैं। इसलिये वह बात खत्म हो गयी है। इसके अलावा हमने उपभोक्ताओं को भी यह हिदायत देदी है कि वे इस माईलो को, जहां कि पहले खबर आने के बंट गयी थी, उसे छनवा कर और बीनकर बाद में पिसायें और काम में लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक-दो प्रश्न मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो मेरा अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब राज्य सरकार ने यह आदेश दे दिया कि इस माईलो को नहीं बांटी जाय तो इसे क्यों बांटी गयी? इसके बारे में पहले यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमें यह सूचना सबसे पहले कोटा से मिली कि इस एफ.सी.आई. के माईलो में धतूरे के बीज हैं। उसके मिलते ही हमने तुरन्त फोन से जोधपुर और बीकानेर में फोन पर यह इत्तिला दी कि इसे वितरण नहीं किया जाय। और राज्य सरकार को भी इस बारे में कहा तो जबकि राज्य सरकार ने आदेश दे दिये तो एफ.सी.आई. के डीपोज ने यह राज्य सरकार की बात क्यों नहीं मानी और उसके बाद में भी यह माईलो क्यों सप्लाई की गयी। और दूसरा प्रश्न यह है कि माईलो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह माईलो को किसी के इन्स्ट्रक्शन से एफ.सी.आई. द्वारा बांटा गया हो। क्योंकि मुझे यह शक है कि यह माईलो कहीं वह तो नहीं है जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट नोर्थ वियतनाम को भेज रही थी और वह वहां के बजाय यहां पर आगयी हो। ताकि यहां के लोगों को नुकसान हो। मैं इस बारे में जानकारी

Page No 44

(५५)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय मैं श्री छंगाणीजी ने जो कहा है उससे सहमत हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है कि अगर उसे ध्यान से देखें तो उसमें एक दो बीज ही नहीं है बल्कि एक बोरी में एक किलो - तो किसी किसी बोरी में 5–5 ग्राम बीज तक धतूरे के निकले हैं। और हो सकता है कि उसके खाने से सैंकड़ों व्यक्ति मर जायेंगे तो मेरा निवेदन यह है कि इसका तुरन्त डिस्ट्रीब्यूशन रोका जाना चाहिये। और जो एफ. सी. आई. ने राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट को इसके लिए प्रोटेस्ट भेजा जाय। और उस पर जो भी एक्शन हो उससे सदन को अवगत कराया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री उदयपुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह आदेश, जो दिये हैं कि कलेक्टर्स को इसको पूरा स्क्रीनिंग कराकर पूरा छानकर और बिनवा कर बाद में ही वितरण किया जाय तथा साथ में उपभोक्ताओं को भी हिदायत की है वे इसको छानबीन कर बाद में ही काम में ले। लेकिन मेरा निवेदन तो यह है कि जहां पर एक दाना भी खाने को नहीं हो वहां पर भूखे मरते आदमी क्या करेंगे उसके पास इतना समय कहां है इस तरह तो राज्य सरकार का जो कहना है वह चलेगा नहीं। मैं तो राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ही पहले पूरी तरह से इसे छनवा कर, बिनवा कर उसे बंटवाये तो ठीक रहेगा और स्वयं एफ.सी. आई. के डीपोज पर भी यह कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि छंगाणीजी ने कहा है कि कई बोरियों में एक किलो में 5–5 ग्राम तक धतूरे के बीज निकले हैं और अगर वह हमारे यहां पर खाने के अन्दर आ जाय तो काफी लोगों को नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका गवर्नमेन्ट ने यह सोच लिया हो कि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका के लोगों में आजकल नशीली चीजें लेने की प्रथा ज्यादा चली है और उनको, चूंकि एक दो बीज से नशा नहीं आता है, तो यहां के लोगों को भी नशा नहीं आयेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखा जाय। यह हिन्दुस्तान है, यहां के लोगों और वहां के लोगों के हेल्थ में फर्क है। यह जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि एक दो बीज से मनुष्य को खतरा नहीं हो सकता है कोई मरेगा नहीं पर उससे नुकसान तो हो सकता है। इसलिए इसकी ओर सतर्कता बरती जानी चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको वापिस भेज दिया जाय...

श्री मोठालाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति भी इसमें पाई गई है कि कहीं-कहीं 250 ग्राम माइलो में 10–12 धतूरे के बीज भी पाये गये हैं और लोगों ने उस धतूरे के बीजों वाली माईलो को कलेक्टर्स के सामने रखी है इसलिये आप जरा सोचिये..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
इसके लिये राज्य सरकार को चिन्ता व्यक्त भारत सरकार से करनी चाहिये और इसके लिये एफ. सी. आई. के खिलाफ एक्शन के लिए भी भारत सरकार को कहा जाय व उसके वितरण को तुरन्त बन्द किया जाय।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इसका विश्लेषण करवाया गया है उसमें यह रिपोर्ट आई है कि यह इतना विषाक्त नहीं है मंत्री महोदय ने कहा कि 2–3 दाने से नुकसान नहीं होता है तो वास्तव में क्या यह जांच कर ली गयी है कि इस बीज से नुकसान नहीं है या वास्तव में यह धतूरे का बीज है या नहीं। यह बीज कहां से और..

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह बीज अमेरिका से आया है उन्होंने भेजा है।

श्री मीठालाल : बात यह है कि अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के जंगलों में धतूरा बीज भी माइलों के साथ पैदा होता है। हो सकता है इसके अन्दर कुछ बीज माइलों के साथ धतूरे के मिल गये हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि कलेक्टर्स को यह आदेश दे दिये जाय कि उनको विश्वास जब तक इस बात का पूरा नहीं हो छनवाने और बिनवाने के बाद कि कि इसमें एक भी दाना धतूरे के बीज का नहीं है, तब ही वितरण किया जाय अन्यथा नहीं। और साथ में कलेक्टर उसके लिये प्रमाण-पत्र भी दे इस बात का कि यह मानव उपयोग के लिये काबिल है। और जनता को इससे कोई नुकसान नहीं है। और एफ.सी.आई. ने इस माईलों को आटा छनवाकर और बिनवाकर सप्लाई करने को कहा है उसको नहीं सप्लाई किया जाय, क्योंकि मेकेनिकल प्रोसेस में छनवाने और माइलो के बिनवाने में धतूरे के बीज के टुकड़े भी उसमें पिस सकते हैं और उससे जनता को नुकसान हो सकता है। इसलिये राज्य सरकार को पूर्णरूप से सतर्कता बरतनी चाहिये। इसके अलावा जो माइलो गयी है वह खराब है और जिसके साथ धतूरे के बीजों के टुकड़े हैं और उस खराब माइलो को आप शहरों में नहीं देकर गांवों में और आदिवासी क्षेत्रों में भिजवा रहे हैं।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माइलो भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : नया पोइन्ट रोशनी में लायें जिससे डिबेट एट्रेक्टिव हो जाय।

श्री केसरीमल : यह जानबूझ कर अमेरिका ने भारत सरकार से मित्रता न होने के कारण और बदला लेने के लिये इस प्रकार का माइलो भेजा है। अगर जानबूझ कर नहीं भेजा तो यह कैसे हुआ ? लाल और हरा निशान लगे हुए हैं। लाल वाले में विशेष कण हैं या हरे वाले में कम हैं। दो तरह के निशान क्यों है ? यह जानकारी करने को जरूरत है। यह माइलो भेजा है यह हमारे देश के साथ एक प्रकार से ज्यादती करने की कोशिश की है और हम लोगों को ऐसा लगे कि हमारे उनसे अच्छे सम्बन्ध नहीं है। इसलिये लोगों को जानकारी करावें कि इसका इस्तेमाल न करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब तक कोई मौत हुई या नहीं इसके खाने से ?

श्री मनोहरलाल (कामां) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको यह मालूम हो गया कि इसमें धतूरे के बीज हैं तो उसको यहां लाने की जरूरत ही क्यों हुई? क्या मंत्री महोदय को यह भी मालूम है कि अमेरिका में अथवा भारत में अमेरिका से मिले हुए लोगों ने अथवा भारत में यह मिलावट की गयी है, एफ. सी. आई. की मिलावट से यह किया गया है ? इसको छानने की जरूरत नहीं है। एफ. सी. आई. का जो गेहूं भरा हुआ है आप उसको इसके बदले ले लें।

श्री शंकरलाल : खाने-पीने की चीजों में मिलावट करना अपराध है और इसके लिये कानून बना हुआ है। और इस प्रकार का मिलावटी बाहर से जो खाद्य आता है, उसके लिये कोई कानूनी कार्यवाही भारत सरकार की ओर से की जा सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि करना चाहिये। यह तो जीवन के साथ खिलवाड़ है इसलिये इन्टरनेशनल कोर्ट में इस प्रकार का मामला रखा जा सकता है। इस पर सरकार का क्या विचार है ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बांसवाड़ा में यह माइलो भेजा है। कलेक्टर से बात करके जांच करने के आदेश दिये हैं क्या ? वहां पर बिलकुल अनाज नहीं है और वहां यह माइलो वितरित हो गया तो गरीब लोग मरेंगे। जिलाधीश से बात करके प्रबन्ध कीजिये इसका।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अमेरिका से मिला हुआ आया या यहां पर मिला दिया हो, हमारे यहां कई गद्दार हो सकते है जिन्होंने यह मिलावट कर दी हो, जो कि अमेरिका से मिले हुए हों। या भारत में ही लोगों ने मिला दिया हो इसकी जांच करें आप।

श्री मूलचन्द सार्मरिया : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय। यह माइलो है यह खाने योग्य है तो क्या आप यह घोषणा करेंगे कि जब तक इसका वितरण चालू रहेगा स्वयं आप मंत्रि-मण्डल के सदस्य इसका उपयोग करते रहेंगे।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा विवाद का विषय है। मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं कि जितना माइलो आपको मिला है यदि उसका उपयोग न किया जाय और उतना माइलो आप वितरण न करें तो कितनी पापुलेशन पर इसका इफेक्ट होगा ? कितना ही इसको साफ करवा लें फिर भी धतूरे के बीज तो इसमें जावेंगे ही। यदि इन बोरियों का यों ही रख दें तो क्या आपकी खाद्य स्थिति पर असर पड़ता है क्या ? मेरी मंशा यह है कि इस माइलो को रोकना चाहिये और इसका वितरण नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्रीजी !

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कहूंगा।

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं जब क्लोजर करता हूं तो आप बोलते हैं।

श्री विट्ठल भाई : यह माइलो आदिवासियों और गरीबों में बांटा जाता है न कि

(श्री विट्ठल भाई) शहरों में बांटते हैं। न तो इसको मिनिस्टर खाते हैं और न ही बड़े लोग खाते हैं। इसमें जहरी चीज मिलायी गयी, धतूरा के बीज हैं, जहर है, हम इसको जानते हैं और पहिचानते भी हैं। गांवों में खेती करते हैं वे ही जानते हैं। यह धतूरे के बीज के साथ माइलो बांटा गया है और बांटा जा रहा है वह आदिवासियों में ही बांटा गया है और बांटा जा रहा है। रिलीफ में काम करने वाले लोग हैं। मरने की खबरें आ रही हैं वे ही लोग हैं, जो खा रहे हैं और खावेंगे। क्या धतूरे के बीज मिला माइलो बांट कर लोगों को खत्म करना है या मारना है? इसको रोक कर मना कीजिये। यदि यही माइलो वितरित करते रहेंगे तो लोग मरते रहेंगे। आप मन्जूर करेंगे नहीं कि उनके खाने के कारण मौत हुई है और उसमें धतूरे के बीज मिले हुए हैं। रात को गरीब लोग मजदूरी करके आते हैं, काले बीज होते हैं अंधेरे में बीन सकेंगे नहीं, रात में ही पीस कर उनको खा जावेंगे। इसलिये अविलम्ब इस माइलो को रोका जाय और इसका प्रचार किया जाय गांवों में कि लोग नहीं खायें और उसकी जगह उनको मक्का वितरित की जाय। ताकि लोग न खायें वरना आदिवासी लोग मर जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय!

श्री मूलचन्द सामरिया : कुछ भी करो; कुर्सी हमारे साथ है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि माइलो में धतूरे के बीज जान-बूझकर मिलाये गये हैं यह सही नहीं है। जैसा सदन के माननीय सदस्य जानते हैं परसों कृषि मंत्रीजी ने और राज्य कृषि मंत्रीजी ने वक्तव्य दिये थे जो विस्तृत तौर पर अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। खाद्य मंत्रीजी यहीं हैं और रात को भी मैंने उनसे इस सम्बन्ध में बात की और पिछले दो घंटे से मैं उनसे इस सम्बन्ध में परामर्श कर रहा था। इसमें धतूरे के बीज जान-बूझकर डाले नहीं गये हैं। जो कुछ भी माइलो आ रहा है वह अमेरिका से आ रहा है। वहां पर मैकेनिकल प्रोसेस से खेती होती है और कटाई के वक्त कोई बीज रह गये हैं। वह धतूरा और हिन्दुस्तान में जो धतूरा होता है उसके बीज, उसकी शक्ल देखी है, हिन्दुस्तान में जो धतूरा होता है उसका बड़ा बीज होता है और वहां जो होता है उसका बीज छोटा होता है। छोटा बीज होने से उसका स्क्रीनिंग किया जाय और उसको हाथ से बीना जाय यह भी किया है। 41 हजार टन माइलो यहां आया है किसी प्रकार कन्ज्यूमर को आगे वितरण नहीं हुआ है। इसको लेकर यह कहा गया कि इसको वापिस लेकर इसके एवज में गेहूं और मक्का दिया जाय। जैसी मेरी जानकारी है कि भारत सरकार के पास में जो स्टोर है कुछ हजार टन था वह मक्का अलाट कर दिया गया है और कहीं पर भी मक्का एवेलेबिल नहीं है। राजस्थान में भी कहीं स्टोर पर मक्का नहीं है इसलिए मोटा अनाज मक्का और बाजरा देने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। जो पहले का बाजरा पड़ा हुआ है, जो दो हजार टन से कम है; इसके अलावा देश में और कहीं पर भी बाजरा

(श्री परसराम मदेरणा)
अवेलेबल नहीं है। स्टाक में नहीं है। ऐसी सूरत में यह कह देना कि आप धतूरे के बीज मिलायेंगे और उसको देना चाहते हैं इस प्रकार का मोटिव इम्प्यूट करना उचित नहीं है। लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़कर रखा जा रहा है। मैं निवेदन कर दूं कि जब से हमें टेलेक्स मिला बम्बई से, 18 तारीख को हमें यह मिला और बीस तारीख को एफ.सी.आई. के सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों को टेलीग्राम से, वायरलैस से और चिट्ठियों के जरिये सूचना भेज दी गई कि जो माइलो आ रहा है उसका वितरण जिन पर मार्का … है, नहीं किया जावे और अनमार्कड जो हो, वही इस्यू किया जावे।

जो कुछ भी बांसवाड़ा को माइलो दिया गया है सभी बोरियां अनमार्कड हैं जो धतूरे से फ्री हैं। फिर भी हमने कलक्टर को तार से, वायरलैस और चिट्ठी के जरिये हिदायत दे दी है कि वह स्वयं इसका निरीक्षण करें और कितने भी मजदूर लगाने पड़े लगा कर और उनको पेमेन्ट करके उस सारे माइलो को छनाया जावे और बिनाया जावे और इसके बाद वितरित किया जावे। धतूरे का उसमें एक भी बीज नहीं रहने दिया जावे।

यह इसलिये कह रहा हूं कि टेकनिकल इन्स्टीट्यूट की ओपीनियन आने के बाद हमने कितनी जागरूकता बरती है कि एक बीज रह जाता है तो असर नहीं पड़ता फिर भी हमने यह जागरूकता बरती है कि एक बीज भी नहीं रहना चाहिये। मैंने इसका आटा भी मंगवाया। नमूने के तौर पर प्लेन से वह आया। मैंने परसों रात को इस जवार की रोटी बनाकर खाई और मेरे पर तो उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ।

इसके बाद में भी माननीय सदस्य मूलचन्दजी ऐसा कहते हैं कि मैं माइलो खाता हूं तो एक बात कह दूं, मैं माइलो तो नहीं खाता हूं पर बाजरा खाने वाला जरूर हूं। महीने में 25 दिन खाता हूं।

श्री मूलचन्द : अकेले ही खाते होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसे खाना पसन्द नहीं करेंगे। मैं बाजरे का खीच खाता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था हमने माइलो से धतूरे के बीज बिलकुल अलग करने के बारे में सभी प्रीकाशन्स ले लिये हैं। आटे के बारे में टेकनिकल राय कुछ भी हो, पब्लिक अनेलिसिस कुछ भी हो, मैं राजस्थान की जनता में आटा बटवाना नहीं चाहता और माइलो को बिलकुल सफाई करने के बाद और छानने बीनने के बाद ही बांटना चाहता हूं।

इधर बम्बई के हार्बर पर एफ.सी.आई. एन्सोर करती है। फूड डिपार्टमेंट ने हमें फरदर एस्योरेन्स दी है। इन दोनों के सर्टिफिकेट के बाद में भी हम अपनी प्रीकाशन्स अलग से ले रहे हैं। यह सब मैं इसलिये कर रहा हूं कि मैं जानता हूं आप माइलो में धतूरे का बीज यहां लावेंगे। बातें करेंगे। इसलिये एक्स्ट्रा प्रीकाशन्स मैं ले रहा हूं। फिर भी धतूरे का बीज तोड़ मरोड़ कर आने वाला है। मैं इसके लिये यहां अमेण्डमेन्ट भी ला रहा हूं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे कि राज्य सरकार को पूर्व में

(श्री परसराम मदेरणा)

सूचना थी कि शरणार्थियों के सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दे रहे थे और कहा था कि आटे में धूल मिलायी थी। पर धतूरे के बीज नहीं हैं। यह मेरी पूर्व नोलेज में था। इसलिये यह बात जो रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि अनमार्कड में भी धतूरे के बीज निकले हैं। मैं कैसे मान लूं अभी किसी कन्जूमर के पास ही नहीं गया है यह।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : सिरोही वालों ने माल उठाया है और उन्होंने कलेक्टर के सामने पेश किया है। कलेक्टर की टेबिल पर पुड़ियों में यह रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सूचना दी गई है। मैं इसको देखूंगा अगर यह इस तरह का मामला है और मेरे इन्स्ट्रक्शन को वॉयलेट किया गया है तो मैं देखूंगा, यह मेरी ड्यूटी है। इस तरह काम करने वाले की रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करके आई विल टेक हिम टू टास्क।

ठीक है। तीन तरह के अलग-अलग सेम्पिल मंगाये गये। एक में एक किलो में कितना निकल रहा है दूसरे में कितना निकल रहा है और तीसरे में कितना निकलता है। एक बटे आठ हिस्सा निकल जाता है। पर हम तो होल ग्रेन देना पसन्द करेंगे। यह प्रीकाशन्स ले लिये हैं।

अब माइलो के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि देश में जो कुछ भी अनाज की स्थिति है मुझे उसका चित्रण वापिस करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त तक 62 हजार टन अनाज प्रॉवर्टित हो चुका है। तीन हजार टन अभी मिला है। कुल 65 हजार टन हमें मिला है। इसमें से 20 हजार टन माइलो है। पर इस माइलो में देरी लगेगी डिस्ट्रिब्यूट करने में। इसलिये 8 हजार टन अलग से भेजने के लिये हमने केन्द्र सरकार से कहा था। हाफकिन्स वाली ओपीनियन हमने नहीं मानी है।

अब एफ. सी. आई. के सम्बन्ध में कहा गया कि वह जानबूझकर हमें धोखा देना चाहती है यह बात नहीं है। एफ. सी. आई. को सूचना मिलते ही बम्बई के हार्बर पर जैसे ही माल उतरा और उसकी नोलेज में यह बात आई उन्होंने हमें टेलेक्स कर दिया और हमसे सारी बात स्पष्ट कह दी है। इसलिये एफ. सी. आई. इस मामले में हमें कोआपरेट कर रही है और इसके कोआपरेशन का हमें विश्वास है। वह कतई तौर पर अपनी गुडविल समाप्त करने वाली नहीं है। सब प्रीकाशन्स उसने और हमने सब ने लिये हैं। जो खर्चा इसमें लगेगा छानने और बीनाने में वह अलग से हमारा खर्च लगेगा। अभी तक माईलो कन्जूमर को गया नहीं है। मेकेनाइज्ड फ्लोर मिल्स में डाल देते तो एक दाना भी नहीं बचता पर हम चाहते हैं कि मजदूर लगाकर हम इसको छनावेंगे बिनावेंगे और जब कलेक्टर स्योर हो जावेगा कि इसमें कतई तौर पर कोई भी धतूरे का दाना नहीं रहा है और पूर्णतया उससे मुक्त है इसके बाद ही उपभोक्ता को वितरित किया जावेगा।

इसलिये जहां तक एफ. सी. आई. का सवाल है सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों को इन्स्ट्रक्शन्स दे दी गई हैं। जहां तक राजस्थान सरकार

Page No 50

(50)

(श्री परसराम मदेरणा)

का सवाल है उनने भी अपने सभी कलक्टरों को जैसे ही नोलेज में यह बात आई टेली-ग्राम से, वायरलेस से, और चिट्ठियों से, इसे बिनाने छनाने आदि सभी स्टेप लेने के लिये और पूरी सतर्कता बरतने के लिये और परसनली इस चीज को देख कर अस्योर होने के लिये पाबन्द कर दिया है और एप्रीहेन्शन को देखते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माइलो के अन्दर अगर कहीं पर भी धतूरे के बीज मालूम पड़े तो दूसरे अरेंजमेन्ट करना पड़े तो वह किया जाये। या न करना पड़े तो पूरी तरह ले छान बीन करके दिया जाय। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गेहूं दे दीजिये। मक्का दे दीजिये। इसके लिये मैंने निवेदन किया है कि यह हमारे पास है नहीं, न सेन्टर के पास है और न हिन्दुस्तान में किसी अन्य स्टेट के पास। गेहूं भी थोड़ा बहुत ही मिल रहा है। मैं देखता हूं कि पिछले महीने और इस महीने में जो क्वान्टिटी हमें दी जा रही है उसमें भारत सरकार ने वादा किया है कि वह बराबर हमें मिलता रहेगा और आगे भी हमारी रिक्वेस्ट उनके पास है और हमारी मांग देखते हुए मिनिमम हमारी डिमाण्ड को देखते हुए आल इण्डिया बेसिस पर जो देंगे वह आने वाले महीनों में भी हमें मिलने वाला है और पूरी मदद हमें मिलेगी।

राजस्थान मे अनाज के भाव ऊंचे हैं। राजस्थान में सूखे की स्थिति भी है। इसको देखते हुए अनाज का वितरण लोगों को करना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार से हमने रिकवेस्ट की है और करते रहे हैं बराबर। वह हमारी रिकवेस्ट पर गौर करेगी, ऐसा पूरा विश्वास है।

यहां पर एडल्टरेशन कानून के अन्तर्गत एक्शन लेने की बात कही गयी। यह अडल्टरेशन यहां नहीं हुआ। वाशिंगटन में हमारे सप्लाई आर्गेनाइजेशन वाले जो हैं उसने भी सतर्कता बरती है और वहां के सप्लायर के साथ इस बात को उठाया है। भारत सरकार और अमेरिका के बीच भी इस बारे में बात चल रही है। पर जो यहां पहुंच गया है उसको स्क्रीन करने के लिये बीनने के लिये जितनी भी इन्स्ट्रक्शन्स हो सकती हैं दे दी गई हैं और पूरी सजगता बरती गई है आगे भी बरतेंगे और किसी को भी धतूरा मिला हुआ माइलो वितरित नहीं किया जावेगा।

श्री मोहनलाल : इसके दूसरे जो कुछ हिस्से थे, अन मार्कड उसमें धतूरा नहीं था लेकिन कुछ बोरियों में धतूरा है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा इसकी पूरी-पूरी जानकारी करें।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ऐसा नहीं मानती है और न कोई ऐसा कारण है कि डेलीब्रेटली किया गया है।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में भूख से मृत्यु होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्रीजी भूख से मरने वाले व्यक्तियों पर वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में राज्य सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

का वक्तव्य इस प्रकार है:—

माननीय विधान सभा सदस्य, श्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, निरंजननाथ आचार्य एवं श्री केदारनाथ द्वारा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम माजूसर, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू में खूमा व फूला नामक दो हरिजन बालकों की भूख से मृत्यु होना कहा गया है। इन बालकों की मृत्यु के सम्बन्ध में जिलाधीश, चूरू से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है जिसके अनुसार इन दोनों बालकों का सही नाम उमाराम व मनफूल है। इनकी आयु क्रमशः 16 व 14 वर्ष है। इनके पिता का नाम पोकर राम है। इन दोनों बालकों को दिनांक 1-2-73 को शफाखाने में दाखिल करवाया गया। उमाराम का इलाज शफाखाना सरदारशहर में दिनांक 9-2-73 तक हुआ और दिनांक 10-2-73 को रतनगढ़ शफाखाने में भिजवा दिया गया जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का शफाखाना है। जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 30-1-73 को सूचना मिलने पर जिलाधीश द्वारा स्वयं ने डाक्टर को तहसीलदार के साथ इन बालकों को लेने के लिए भेजा एवं दिनांक 1-2-73 को फिर तहसीलदार एवं विकास अधिकारी इनको समझा बुझा कर जीप में ले आये एवं उमाराम व मनफूल को शफाखाने में भर्ती करवा दिया गया। इनके साथ इनका भाई बृजलाल भी था जो भी अस्पताल में रहा। तहसीलदार द्वारा दवाइयों का प्रबन्ध भी करवा दिया गया और बृजलाल के लिए खाने पीने का प्रबन्ध भी किया गया। तहसीलदार ने 200) रु. की दवाइयों का खर्चा किया, जो कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा दिया गया। इनको 40 किलो बाजरा भी दिलवाया गया मृतक बच्चों के पिता श्री पोकर राम का बयान भी लिया गया और उसके बड़े भाई का भी बयान लिया गया। यह कुटुम्ब 11 सदस्यों का था। उपचार के लिए इनके द्वारा श्री मंगल चन्द भंवर लाल सरदारशहर से जबानी तकलीफ बताकर दवाई भी ली गई थी मगर बुखार गया नहीं। मानव सेवा संघ की गाड़ी इस दौरान गई थी जिसके द्वारा पहनने एवं ओढ़ने के कुछ कपड़े भी दिये गये थे। इसके अलावा बृजलाल व आशाराम फेमिन रोड पर मजदूरी भी कर रहे हैं। अतः यह सही नहीं है कि इन दोनों हरिजन बालकों की मृत्यु भूख से हुई। इनके पिता पोकर राम भी फेमिन रोड पर कार्य कर रहे हैं इस प्रकार इस कुटुम्ब के 3 व्यक्तियों को फेमिन कार्य पर रोजगार मिल रहा है। इन बालकों की मृत्यु टाइफाइड व बीमारी के कारण हुई है न कि भूख के कारण।

श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम केलनसर, तहसील फलौदी जिला जोधपुर में भूख से कुछ व्यक्तियों के लिए माह जनवरी के अन्तिम सप्ताह में कहा गया है। उक्त सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। उप खण्ड अधिकारी, फलौदी ने दिनांक 13-2-73 को ग्राम केलनसर में जाकर ग्रामवासियों को एकत्रित कर जांच की। मृतक खींया विश्नोई और उसकी पत्नी खुमारी और उसकी लड़कियां मौजी व नैनो की मृत्यु के बारे में जांच की और मृतक खींया राम के भाई भींया राम और उसकी रिश्तेदारी के भाई हरूराम के

(श्री परसराम मदेरणा)

बयान ग्राम केलनसर में लिये गये। इन दोनों ने अपने बयान में बताया कि खींया की पत्नी खुमारी उम्र 45 साल लड़की नोजी उम्र 15 वर्ष भूरी उम्र 11 वर्ष और लड़की खुमानी उर्फ नैनी उम्र 6 वर्ष विमाना ग्राम के पास सड़कों हेतु पी. डब्लू. डी. विभाग की मूढ की खानों में खुदाई का कार्य करने गई थी। इन्होंने वहां 12 दिन मजदूरी की। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने बयान में बताया कि सबसे पहले खुमारी और लड़की नोजी की मृत्यु हुई इसके बाद छोटी बच्ची नेनी की मृत्यु हुई जिसका देशी इलाज कराया गया था। खींया इस लड़की को मौके से ग्राम में लेकर आया और जब सर्दी में गया तब वह भी बीमार हो गया। इस प्रकार बिमारी से लड़की नैनी व खींया की मृत्यु हो गई। इन व्यक्तियों ने बताया कि खींया व उसकी पत्नी व लड़कियों की सर्दी के कारण बुखार से मृत्यु हुई। सत्यता एवं वास्तविकता को जानने के लिए उप खण्ड अधिकारी द्वारा खानों में कार्य करने वाले मजदूरों को एकत्रित करके पूछताछ की। पी. डब्लू. डी. के देवाराम मेट का बयान लिया गया और करीब 200, मजदूर, जो सड़क कार्य पर लगे हुए हैं और दूर गांव में रहने वाले हैं, ने बताया कि खुमारी और इसकी दो बेटियां अकाल राहत कार्यों पर दिनांक 20-1-73 से लगे हुए थे। कुछ दिन काम करने के बाद दोनों बीमार पड़ गए थे। सर्दी से इन्हें निमोनिया हो गया था। खुमारी की आदमी खींया बिश्नोई मौके से उसे व बच्चियों को अपने ग्राम केलनसर ले गया जहां बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। केलनसर के इस एक परिवार के अलावा मौके पर करीब 200 आदमी परिवार सहित रहते हैं व अन्य किसी मजदूर की मृत्यु नहीं हुई। बीरबल साकिन, केलनसर, आसाराम साकिन, रूमासर बैदनाथ दान साकिन, दारूवाल ईश्वर राम साकिन, चमाना और चान्दा राम साकिन घटियाली आदि के भी बयान लिये गए इन्होंने अपने बयान में बताया कि वे स्वयं भी इस कार्य पर मजदूरी कर रहे हैं। केलनसर ग्राम के एक बिश्नोई परिवार की एक औरत व दो बच्चियां बीमार पड़ गई जिनका आदमी ग्राम केलनसर ले गया था। ग्राम जाकर इन तीनों की मृत्यु हो गई। केलनसर की औरत व बच्चों को सर्दी के कारण निमोनिया हो गया था और सख्त बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः ग्राम केलनसर के बिश्नोई परिवार के व्यक्ति खींयाराम एवं उसकी पत्नी एवं बच्चों की मृत्यु भूख से न होकर सर्दी व निमोनिया से होना पाया गया है।

ग्राम केलनसर के मोटाराम पुत्र हिमता राम जाट की भूख से मृत्यु का भी कहा गया है। यह व्यक्ति मोटाराम पुत्र रावता राम आयु 60 वर्ष की है। यह व्यक्ति मोटा राम पुत्र हिमता राम बताया गया है लेकिन मोटाराम पुत्र हिमता राम न होकर मोटा राम पुत्र रावता राम गोदरा जाट आयु 60 वर्ष है। यह चाडूना-चोटीना के पशु मेले में गया था और जब वहां से गांव जेटला के पास से केलनसर आ रहा था तो रास्ता भूलने से आन्धी में घिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोटा राम वल्द मोला राम मेघवाल नोखरा भाटियान की ढाणी गोधारा में रहने वाला था। जिसकी आयु

(श्री परसराम मदेरणा)
लगभग 50–60 वर्ष की थी। यह व्यक्ति कई महीनों से दमा और खांसी से पीड़ित था और इसका इलाज ग्राम आऊ के वैद्य ने किया था। परन्तु बीमारी से पीड़ित होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अतः ग्राम केलनसर में किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

माननीय विधान सभा सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उदयपुर की तहसील सराड़ा के ग्राम सरसिया की श्रीमती गोकली बेवा श्री काना मीणा आयु 40 वर्ष की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में जांच करवाली गई है। जांच से पाया गया है कि श्रीमती गोकली विगत 8 माह से बीमार थी और उसकी जांघ में फोड़ा हो गया था जिसमें सेप्टिक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पांच बच्चे हैं जिनकी आयु ठकरी 12 वर्ष, शंकर 10 वर्ष, चकरी 8 वर्ष, जमाना 5 वर्ष भोला 4 वर्ष है। जिलाधीश द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इन बच्चों की देखभाल स्वर्गीय श्री काना मीना के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है और इन बच्चों को असहाय सहायता के रूप में भी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वर्गीय श्री काना मीना की पत्नी के स्वर्गवास का कारण भूख से मरना न होकर लम्बी बीमारी से है। अतः उसके बच्चे भीख मांग कर गुजारा नहीं कर रहे हैं और न ही मौत के कगार पर हैं।

माननीय विधान सभा सदस्य श्री गुमान मल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री एवं श्री अजीत सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चूरू जिले के बीकमसर ग्राम में से भूख से मृत्यु एवं चूरू शहर में भूख से मृत्यु के बारे में कहा गया है। इस विषय में बीकमसर, तहसील शरदा शहर में भूख से मरने की जो 6 व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। इस विषय में तहसीलदार, सरदारशहर द्वारा जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा भीकमसर में 6 व्यक्तियों के भूख से मरने की जांच हेतु स्वयं जाकर सवाईवास, ढेलाना, सवाईबड़ी ग्राम सवाई में जांच की गई। ग्राम सवाई में मोती राम के भूख से मरने की खबर थी इस सम्बन्ध में उसके दो लड़के माला राम व नेमाराम के बयान लिए गये व मुखियान गोपजी, कुम्भल सिंह, भंवरसिंह, पूरन सिंह के बयान लिये गये जिन्होंने बताया कि मोती राम को मरे ढाई महीने हो गये है और इसकी आयु 70 साल की थी। मोती के परिवार के 8 सदस्य लगातार; जो जोहड़ पर कार्य कर रहे हैं लड़कों ने जाहिर किया कि भूख से मृत्यु का समाचार सुनकर उनको बड़ा दुःख हुआ है।

उनके पिताजी बूढ़े और बीमार थे। इसलिए उनकी बीमारी से मृत्यु हुई है। इस प्रकार लादू सिंह पुरोहित के परिवार में 50–60 व्यक्ति हैं। 300 बीघा जमीन है और इसके लड़के सादुल सिंह गनेश सिंह और रुदसिंह ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु का भूख से मरने का समाचार बिलकुल गलत एवं झूठा है। भगवान की कृपा व पिताजी की कृपा से उनके पास 20 गायें एवं 3 भैंसे थीं व 300 बीघा जमीन है। इसी प्रकार राजीदास की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके पुत्र भगवानदास व छोटा भगादास मौजूद थे जिन्होंने बताया कि उनके पिता राजूदा

Page No 54

(54)

(श्री परसराम मदेरणा)

की मृत्यु भूख से होना बिलकुल झूंठा एवं बेबुनियाद है। उनकी गलत खबर निकलवाकर सरपंच ने बड़ी बेईमानी की है।

श्री हरीसिंह, जिसकी आयु 75 वर्ष की है। इसकी मृत्यु हुए, बीमारी से 3,4 माह हो चुके हैं। इसके पांच बड़े लड़के हैं। रामलाल जो कि इसका दोयता है, गोद आया है इसके बारे में उप सरपंच श्री कुम्भा राम व श्री मोहनदास के बयान लिये गये। इस प्रकार मौके पर जाकर मोतबरी मृतक के बच्चे तथा कुम्भाराम उप सरपंच व मोहनदास, नाथसिंह के बयान लिये गये जिससे स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई है। अतः भूख से बीकमसर ग्राम में मरने की जो बात कही गयी है सरासर झूठी व असत्य है।

चूरू शहर के श्री बहादुरशाह काजी की मृत्यु के बारे में कहा कहा गया है। इस बारे में चूरू जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। बहादुरशाह काजी चूरू जिले के वार्ड नं. 18 में रह रहा था। उसकी उम्र 40 वर्ष थी और उसे मरे 9 दिन हो चुके हैं। उसकी मां और चचेरे भाई के बयान लिये गये थे जिससे प्रकट है कि वह 10 साल से बीमार था। वह खून की उल्टी वगैराह भी करता था। श्री बहादुरशाह काजी की मां उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी और एक लड़का कुछ दूर स्थित ग्राम खासोली में रहती है। चूरू कस्बा में बहादुरशाह काजी दूध बेच कर और आटा पीस कर गुजारा करता था। यह लम्बी बीमारी से मरा है और जो हालात बताये गये हैं उनके अनुसार उसको टी.बी. थी और फिर टाइफाइड हो गया था। चूरू शहर की जन संख्या 50 हजार से अधिक है और वहां पर किस प्रकार के अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं क्योंकि यह म्युनिसिपल टाउन है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव भेजे हैं पहले वह बोलेंगे।

(12.53 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, सविस्तार जो माननीय मंत्री महोदय ने विश्लेषणात्मक जवाब दिया उसके लिए तो वह धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जब सारी जांच तहसीलदार, एवं जिलाधीशों के माध्यम से हुई तो विस्तारपूर्वक उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिये कम से कम भूख से मरने वाले इन अभागों का नाम इस विधान सभा के प्रांगण पर आया और संवेदना के वे भागीदार बने, लेकिन मैं एक बात इसके साथ पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही सहृदयता से और इत्मीनान से कह दिया कि जहां तक अनाज की समस्या का सवाल है 65 हजार टन हमको मिला है, सारे राजस्थान को हम इस अनाज के आधार पर कुछ विश्वास दे सकते हैं। यह स्थिति नहीं हैं उनके मानस में, मैं यह कहना चाहता था कि यह भयंकर अकाल हम मानते रहे हैं लेकिन मैं भविष्यवाणी कर देना चहता हूं कि कोई भी आदमी अकाल के कारण भूख से अब नहीं मरेगा और जब कभी यह प्रश्न

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इस सदन के प्रांगण पर आयेगा तो उनका उत्तर यही होगा कि वह भूख से नहीं मरा यह मैं इसलिये कहता हूं कि इसमें जो एक मंत्र चलाया गया है वह अमोघ मंत्र है कि जिलाधीश पर दायित्व रख दिया गया है कि कोई भी आदमी भूख से मरे तो उनका दायित्व उन पर होगा। मैंने पहले भी कहा था कि यह दायित्व जिलाधीश पर रख कर उनको संकेत कर दिया गया कि समझ कर चलना अगर कहीं किसी व्यक्ति की मौत तुमने भूख से बतला दी तो हम तो जिम्मेदार नहीं है लेकिन इस स्थिति को आप समझ लेना। जिलाधीश ने क्या किया कि उप-जिलाधीश को कह दिया कि समझ कर चलना कोई आदमी भूख से नहीं मरे और उप-जिलाधीश ने तहसीलदार को कह दिया कि तुम भी समझ कर चलना और वह संकेत पटवारी तक चला गया। इसलिये भूख से कोई आदमी अकाल के समय में नहीं मरेगा यह हम मानकर चलते हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि क्या आप इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि जिलाधीश को इस दायित्व से मुक्त कर दें कि जो मरे उसका दायित्व आप पर नहीं आयेगा, मैं कहता हूं कि अगर आप यह जिम्मेदारी उस पर से हटा दें तो फिर इन तथ्यों का निष्पक्षता से प्रकाश में आना सम्भावित हो सकेगा।

दूसरे इसी प्रसंग में कौन मरा कौन नहीं इसमें न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में नहीं मरे। इस पर आप थोड़ी सजगता बरत लें और यह इसलिए कि अनाज का अभाव आपने बतला दिया और अब पैसे का भी अभाव है। पैसे के अभाव के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यथार्थता में वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो अकाल राहत पर काम करने वाले मजदूरों को 40 पैसे से लेकर 60 पैसे तक मजदूरी मिलती है। इससे ज्यादा प्रति दिन की मजदूरी उनको नहीं मिलती है और इस संबंध में जानकारी के लिए आपके पास उदाहरण रखता हूं कि राजगढ़ तहसील कैम्प खुडी जहां 250 आदमियों ने धरना दे रखा है उप-खण्ड अधिकारी के यहां मजदूरों का कहना है कि 1½ महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मजदूरी लम्बे अरसे से नहीं मिल रही है यह शिकायत आम है, राजस्थान में तो आप कल्पना कीजिए कि जिन मजदूरों को लम्बे समय से मजदूरी नहीं मिल रही है और जिन मजदूरों को 40 से 60 पैसे तक प्रति दिन मिल रहा है और जिन मजदूरों को आपका खाद्यान्न, जो भी मिलता है सड़ा-गला वह इस विकृत स्थिति से मिलता है और कम मिलता है और जो मजदूर स्वास्थ्य से कृशकाय हो गये हैं, खज गये हैं, जिनका रेसिस्टेन्स पावर कम हो गया है, मैल-न्यूट्रीशन से इन मजदूरों से कड़ी मजदूरी ली जाती है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम इनका जीवन बचाने का प्रयत्न करें फिर भी लेकिन ऐसे समाचार नहीं छपने पायें कि यह भूख से मरे हैं। अगर आप पैसे का प्रबन्ध कर दें कड़ी मजदूरी से उनको बचा सकें और जिलाधीशों को इस दायित्व से मुक्त कर दें तो मेरा ख्याल है कि जिलाधीश निष्पक्ष रह सकेंगे। इसलिए मैं उस प्रश्न पर नहीं जाते

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हुए कि कौन बीमारी से मर गया या कौन आंधी के बवण्डर में पड़ कर मर गया, उनकी शहादत किन लोगों ने दी, किन्तु राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूर मंत्री महोदय अपना दोस्त जो कोई मरा है उसके संबंध में यह कहें कि भूख से मर गया जिसका अर्थ यह हुआ कि राहत कार्यों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वह मजबूरी से गये। इसलिए उनके सामने सिवाय मरने के कोई और चारा नहीं है राहत कार्य पर काम कर रहे 50 में से एक मजदूर कहीं भूख से मर जाये तो वहां मजदूर काम कर रहे हैं उनमें से कोई शहादत दे दे कि वे भूख से मर गया। इसका मतलब यह है कि गयी रोजी उनकी। वहां तहसीलदार है, वहां जिलाधीश है, उप-जिलाधीश है- सब ने एलान कर दिया है भगवान के नाम पर कि राजस्थान में कोई भूख से मरने नहीं पाये। क्योंकि सब पर कृपा जिलाधीश की हो गयी है और जिलाधीश को आदेश दे दिया गया है कि कोई मरने न पाये।

इसलिए मैं इसके अलग अलग प्रश्नों पर नहीं जाना चाहता लेकिन भविष्य के लिए चेतावनी देता हूं कि आंकड़ों में मरने वाले नहीं आयेंगे, वे पकड़ में नहीं आयेंगे। लेकिन मानवता के नाम पर यथार्थ में यदि आप कुछ प्रबन्ध कर दें तो शायद कुछ जानें बच सकती हैं। इतना ही मुझे आपसे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने खराड़ा तहसील के अन्दर मरने वाली महिला के बारे में जिलाधीश की रिपोर्ट सविस्तार सुना दी। मैं केवल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या जिलाधीश महोदय ने उस गांव में जाकर उसके घर को देखा कि उस घर के अन्दर नाज का दाना है या नहीं। जिसके घर में नाज का दाना कई दिनों से नहीं हो तो फिर उसकी मृत्यु भूख के कारण नहीं होगी तो क्या होगी।

दूसरा उस गांव के सरपंच ने क्या यह सही है कि जिलाधीश महोदय को लिख कर दे दिया है कि उसकी मृत्यु भूख के कारण हो गई और उसके घर में एक दाना भी नाज का नहीं है। मैं स्वयं जिलाधीश महोदय से मिला था। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करने से पूर्व उदयपुर जिलाधीश से मिला था और जिलाधीश महोदय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई है। लेकिन फिर भी क्योंकि सदन के पटल पर जहां राज्य की प्रतिष्ठा का मामला है, इसको आपने मद्दे-नजर रख कर यहां यह विचार प्रगट किया है कि इसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई, ऐसी घोषणा जान बूझ कर की जाय तो मैं समझता हूं कि यह तो ठीक नहीं है। आप इसकी जांच कर देखें कि उनके घर में नाज है या नहीं। उस गांव में नाज है या नहीं। अगर नहीं है तो कम से कम इतना तो करें कि जो हजारों टन नाज राजस्थान में आता है तो उसके राजस्थान में आने के बाद उन गांवों में कितना वितरण होता है। उन मजदूरों को जो काम करने वाले हैं उनको प्रति दिन नाज मिलता है या नहीं। चाहे घर में एक दो व्यक्तियों को ही नाज मिले। इसके साथ ही पन्द्रह दिन के बाद उनको पन्द्रह दिन के अन्दर मजदूरी भी मिलती है या नहीं। इस प्रकार की जांच करके यह उचित व्यवस्था कर दें ताकि गांवों में नाज

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

का वितरण उचित दामों पर हो जाय और मजदूरी के वितरण की व्यवस्था ठीक कर दें तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं तो यह होगा कि लोग मरते रहेंगे और उनको कोई रोक नहीं सकेगा। स्वयं जिलाधीश महोदय की स्वीकारोक्ति है कि मरने वाले मरते जायेंगे मैं उनको नहीं रोक सकूंगा। यह जिलाधीश महोदय ने स्वयं कहा है कि मैं क्या कर सकता हूं अगर राज्य मंत्रिमण्डल इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। अगर वहां पर धान नहीं पहुँचता है तो लोग मरेंगे, मैं उनको नहीं रोक सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जब आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, रिलीफ पर काम नहीं मिल रहा है, वक्त पर पेमेंट नहीं होता है तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा। आपने हमारे यहां टोंक डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा था कि 15 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसका आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन उसमें केवल पन्द्रह हजार की जगह तीन हजार आदमी काम कर रहे हैं। और गांवों में 2-2 किलो मक्का देने की बात थी लेकिन वह मक्का भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी हालत में आदमी मरेंगे नहीं तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि लोग बीमार होकर, कमजोर होकर कैसे भी मरेंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस तरह की पूरी जांच करके पूर्ण व्यवस्था करावें। हर घर में कम से कम एक आदमी को तो काम मिल जाना चाहिए और घर घर की जितनी जरूरत है उतना अनाज उनको मिलना चाहिए तभी यह समस्या हल होगी।

श्री रामसिंह कुडी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। फलोदी तहसील के जिस बिश्नोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह व्यक्ति 20 जनवरी से राहत कार्य पर लगा हुआ था तो क्या उस परिवार को कुछ अनाज दिया गया था? क्या यह मजदूरी करने वाले अपने साथ अनाज लेकर गए थे। यदि जिस स्थान पर राहत कार्य चल रहे हैं वहां यदि कोई राशन मिलता भी हो और यदि उनको समय पर मजदूरी नहीं मिलती है तो फिर वे किससे अनाज खरीदेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर) : माननीय मंत्रीजी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया कि भूख से कोई नहीं मरा तो यह मान कर चलना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार जब ऐसा स्टेटमेंट देती है कि कोई नहीं मरा तो यह बात सही हो सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम किस तरह की व्यवस्था अकालग्रस्त एरिया में कर रहे हैं और किस तरह से उनको पेमेंट मिल रहा है, अनाज की व्यवस्था क्या है? यह सब प्रश्न भूख से मरने वालों से जुड़े हुए हैं। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं, क्योंकि यह भूख से मौत हुई है उनमें से सबसे ज्यादा

(श्री रावतराम)

जिक्र चूरू जिले का है। सरदारशहर तहसील मे टीकमसर, भीकम सवाई, गाजुसर गांव हैं जिसके बारे में आपने स्टेटमेंट दिया है कि भूख से मृत्यु नहीं हुई है बीमारी से हुई है, यह बात सही हो सकती है। और यह बात भी सही है कि भूख से ही बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिये इन सारी बातों के पीछे हमें देखना है कि भविष्य में हम अभी से किस तरह की व्यवस्था करें ताकि लोग परेशान न हो और आये दिन ये प्रश्न जो पैदा होते हैं, वे प्रश्न पैदा न हों और जो राजस्थान में लोग भूख से मर रहे है इस बात से भी छुटकारा पा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट। यह आपने गाजुसर के दो लड़कों के बारे में कहा है कि भूख से मृत्यु नहीं है और इसके बारे में आपने स्टेटमेंट दिया है कि तहसीलदार मौके पर गए और उनको हस्पताल में दाखिल करवाया। यह आपने ब्योरा दिया था कि उनको मृत्यु भूख से नहीं हुई तब आपने उनको बाजरा किस बात के लिये दिया था। टाईफाइड में तो बाजरा दिया नहीं जाता। जब वे बीमार थे तो उनको बाजरा क्यों दिया। यह इस बात का सबूत है कि उनके घर में अनाज नहीं था। यह मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि लोगों के पास पिछले दो महीने से अनाज नहीं है। अब जो आपकी अनाज की व्यवस्था में सुधार हो रहा है तो मैं इस बारे में कुछ नही कह सकता।

अब यह सवाल उठता है कि पेमेंट किस तरह से हो रहा है। अभी में रतनगढ़ के कई फैमिन कैम्पों पर गया था। वहां मुझे लोगों ने बताया कि जनवरी फरवरी का पूरा महीना और यह मार्च आ गया लेकिन फैमिन के, जो खुदाई के काम चल रहे हैं, वहां पर 1 जनवरी से चार हफ्ते तक दो महीने का कोई पेमेंट मिला है या नहीं, यह आपने मालूम किया है। आदमी फैमिन पर काम करते हैं। उनको काम मिलता है या नहीं। दो दो महीने तक पेमेंट नहीं मिले आज गांवों में अनाज की व्यवस्था नहीं हो तो वे क्या खावें और फिर गांवों में उधार मिलता नहीं है तो फिर उनके सामने क्या रास्ता है लोगों के जीने का, कम से कम आप विचार कीजिए। आप लोगों को टाइम पर पेमेन्ट नहीं दे सकते, अनाज गांवों में नहीं मिले और जो मिलता है सरकारी अनाज वह जो एक एक किलो मिलता है तो वह भी वैसे ही रखा रह जाता है, पैसे के बिना वे देते नहीं है। यह सब हालात है। जो लोग मजदूरी करते हैं वे भी परेशान रहते है, पैसे के बिना भूखे रहते हैं, उनकी अनर्जी नष्ट हो जाती है, बीमार होते हैं, टाईफाइड होते हैं और अन्त में जाकर मर जाते हैं। तो आप इन बातों की ओर गौर कीजिए। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। मैं तो यह समझता हूं कि जब 15 दिन का हफ्ता होता है, मस्टर रोल आता है तो उसके बाद में कम से कम 25 वें 26 वे दिन उनको पेमेंट हो जाना चाहिए और अभी जब मैं फैमिन के कैम्पों पर गया तो मुझे लोगों ने कहा कि 25 रोज की जगह अगर एक महीने में भी पेमेन्ट हो जाय तो भी हमें किसी बात की शिकायत नहीं होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि 25वें रोज पेमेन्ट हो जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

(श्री रावतराम)

पेमेंट नहीं होता है तो लोग किस तरह से अपना काम चलावें। उनके पास अनाज नहीं है, मकान नहीं है, जेवरात नहीं है तो क्या चीज बेच कर वे अपना अनाज लायेंगे। यह जो आप पांच सौ ग्राम अनाज दे रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और पेमेंट टाइम पर होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : केवल मंत्री महोदय इतना बतला दें कि चूरू जिले में जिस काजी बहादुरखां की मृत्यु हुई है और उसके लिए आपने बताया है कि वह टी. बी. का पेसेंट था। उसकी मृत्यु के संबंध में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट हैं तो क्या उसकी मां का भी बयान लिया है। मैं समझती हूं कि मां का बयान आवश्यक है।

दूसरा यह भी बता दें, उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि वह टी. बी. का पेसेंट था तो फिर वह किस प्रकार पीसने का काम करता था। उन्होंने कहा कि वह पीसकर, दूध बेच कर अपने पेट का पालन करता था, और अपना और अपनी वृद्ध मां का पालन करता था। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उसके पास कोई जमीन थी ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पीसता क्या था यह भी बता दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अनाज था क्या पीसने के लिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खाली घट्टी चलाता था आदत के अनुसार।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह बात भी बतलाई गई कि जो जो मृत्यु हुई है वह जिन जगहों पर हुई है उनके घर वालों के बयान लिए गए हैं। घर वालों के बयानात लिए गए। कलक्टर और अन्य गवर्नमेन्ट आफिसरों के बयानात लिए गए। मैं समझती हूं कि किसी के भी बयान जांच रिपोर्ट में हों या न हों परन्तु घर वालों के बयान भी होना जरूरी है। लेकिन यहां जो जांच होती है उनमें घर वालों के बयानात नहीं होते हैं। घर वाले उल्टे इस बात को छिपाएंगे। कोई यह नहीं कहेगा कि मेरा बाप भूख से मर गया।

उदयपुर की स्त्री की मौत के बारे में यहां पर कहा गया है। मंत्री महोदय जब यहां पर, इस सदन में अपना वक्तव्य दे तो उस समय यह सूचना देने का कष्ट करें कि उन लावारिश बच्चों को जिनको कि दूर के रिश्तेदार पाल रहे हैं, राज्य सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है, कितना पैसा उनको दिया गया है, कितना दिया जा रहा है, अब तक कितना पेमेन्ट हो चुका है। आशा है मंत्री महोदय मेरी बात का जवाब देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आचार्य साहब ने यहां पर बताया है कि मजदूरों को जो मजदूरी मिल रही है वह 30 पैसा, चालीस पैसा है। यह गम्भीर समस्या है। डेढ़ महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी करवाएंगे कि इस जमाने में भी 30/40 पैसा मजदूरी चुकायी जा रही है। इतना कम पैसा मज-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

दूरों को दिया जा सकता है और क्यों दिया जा रहा है।

दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि गवर्नमेन्ट भी यह मानती है कि जितने भी जिले अकाल से प्रभावित हैं, वहां यह सवाल कि मृत्यु हो गई, तो यह अपनी जगह पर अहमियत रखता है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में यह बताएंगे कि जो विधायक, मेम्बरान इस सदन के हैं, उनका एक कमीशन मुकर्रर करके इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे या कलक्टर, रैवेन्यू आफिसर के अलावा और किसी दूसरे आफिसरों के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिये तैयार हैं। इसलिए कि यहां पर जो बात कही जाती है उसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो सके। और अगर यह सही है तो इसका निराकरण होना चाहिए यह छिपाने की बात नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे सूबे में इस तरह की बात हो रही है। इसके लिए किसी तरह से झूठे प्रोपेगंडे की जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि विधायकों में से मुख्तलिफ राजनैतिक दलों के जिसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के हों, जनसघ के हों, स्वतंत्र पार्टी के सदस्य हों, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों, जो मौते हुई हैं उनके बारे में उनके द्वारा जांच की जाय। इनके द्वारा इसकी इन्क्वायरी कार्यवायी जाए और यदि आप इसे मुनासिब नही समझें तो आप स्वयं ही इसकी इन्क्वायरी करवा लें और यह देखा जाय कि इस जमाने में तीस चालीस पैसा मजदूरी का दिया जाना कितना उचित है? यह भी कहा गया है कि डेढ़ महीने से मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है। इसकी भी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके लिए विधायकों की कमेटी का निर्माण करना आपको मन्जूर हो तो की जानी चाहिए ताकि यह जो प्रोपेगंडा होता है वह किसी कदर रुक सके। यहां पर एम. एल. ए. साहबान सवाल उठाए और आप उसका जवाब दें यह इस सदन के प्रांगण पर अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है, कलक्टर की रिपोर्ट दी है। हमेशा इस सदन में झूंठ को साबित किया जाता है फिर भी सरकार उसको नहीं मानता है। ऐसा पहले भी हुआ है आज भी हो रहा है। सरपंच की ऐसी रिपोर्ट होती है तो उसको नालायक और झूंठा बताया जाता है और सरकार की रिपोर्ट को सही कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि महीने भर में, 15।20 दिन में भी पेमेन्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं बांसवाड़ा गया था। वहां पर महीने भर में मजदूरों को पेमेन्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी ओर ध्यान दें। आज हमारे पास में पर्याप्त अनाज नहीं है। गेहूं नहीं है, मक्का नहीं है। जो माइलो है वह खराब है। गांवों में गेहूं और मक्का नही पहुंच रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने मरने के लिये क्या केटेगरी तय कर रखी है। मरने की क्या केटेगरी है मजदूरों का चुकारा महीने भर तक नहीं कर सकते।

(श्री विट्ठल भाई)
जब पेमेन्ट नहीं होता तो मजदूर भूखा मरेगा और भूख से बीमार होकर मरेगा। तो उसको मरने की क्या केटेगरी है यह मंत्री महोदय बतायेंगे। सरकार यह कभी नहीं कहेगी कि यह भूख से मरा है। यह बीमार होकर मरा है। जो भी आप मन्जूर करते हैं वह कहिये। परन्तु आज हालात यह है कि आप अनाज नहीं दे सकते, उनको मजदूरी नहीं दे सकते। तब वह भूख से नहीं मरेगा तो किस से मरेगा भला ? विधान सभा में भूख से मरने की रिपोर्ट देते हैं, उसको नहीं माना जाता है। सरकार कहती है जो मरते हैं बीमारी से मरते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब वे स्टेटमेन्ट दें तो यह बताने का कष्ट करें कि अनाज व मजदूरी के लिए वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मूलचंद सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अनाज नहीं दे पाती है और दूसरी ओर महीने, डेढ़ महीने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और जो काम मजदूर कर रहा है वह आधा भूखा रह कर कर रहा है। इस प्रकार उसको अपौष्टिक आहार मिल रहा है। इस भूख की वजह से क्या यह संभव नहीं है कि वह बीमारियों से ग्रस्त हो। गर्मी मौसम में भूखे आदमी को हैजा हो सकता है और भूख की वजह से नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी पोजीशन में भूख से न मरते हुए परन्तु भूख से जो बीमारियां हो जाती हैं, उसकी वजह से बीमार होते हैं और मृत्युएं होती हैं। परन्तु उस मौत का कारण सरकार बीमारी ही समझती है, भूख से मृत्यु नहीं समझा जाता है। यहां पर भूख के मूल कारण को नहीं समझा जाएगा तो हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। भूख की वजह से बीमारियां होती हैं। इसलिए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए।

श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सदस्यों ने भूख से मरने की बात कही है। मैं यह सुझाव यहां पर देना चाहता हूं। राज्य सरकार को और सभी सदस्यों को यह जानकारी है कि कितने दिन तक भूखा रहा जाए तब भी मृत्यु नहीं होती है। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं। अकाली दल के नेता संत फतहसिंह ने 72 दिन तक उपवास किया, अनशन किया जब भी उनको मृत्यु नहीं हुई। तब थोड़े दिन की भूख से मौतें हो जाएं यह समझ में नहीं आता है। यह जो बात कहीं जा रही हैं वह गलत है। इस सदन के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा गैर जिम्मेदाराना बात कही जा रही है। क्या यहां पर इस तरह झूठ बोलना न्यायसंगत है। मैं समझता हूं कि इतना झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है ? यह उचित नहीं है।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : जो कुछ भी इन्क्वायरी कराई गई, बयान लिये गए, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि भूख से कोई नहीं मरा है। मैं भी यह कहता हूं कि यह कागजों पर कभी नहीं आएगा कि कोई आदमी भूख से मरा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज लोगों को अकाल राहत कार्यों पर काम दिया जा रहा है परन्तु उनको पूरा काम नहीं मिलता है। दस-बारह आदमियों में से एक आदमी को काम दिया

(श्री केसरीमल)
जा रहा है। जो आदमी काम करता है उसको काम करने के बाद एक-दो महीने तक भुगतान नहीं किया जाता है। अकाल राहत कार्यों का काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। जहां पर अकाल राहत कार्य है वहां पर इतना अधिक काम है कि उस काम को भूख की स्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता है। जो पैसा उसको मिलता है उससे वह आधा भूखा रह कर काम करता है और काम का भार इतना अधिक है कि वह उसको पूरा नहीं कर पाता है। इस पर उस काम को जब वह करता है तो उसे तीन, चार, पांच आने का एवरेज ही मिल पाता है। उससे वह क्या तो खाएगा और क्या अपने परिवार को खिलाएगा ?

इसी तरह से वहां पर सड़ा-गला अनाज दिया जा रहा है जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अनाज की कमी की वजह से और काम ज्यादा करने के कारण वह आदमी किस तरह की स्थिति में रहता है इसकी कल्पना की जा सकती है। आदमी को एक तरफ तो पूरी ताकत नहीं मिलती है और ऐसी स्थिति में वह धीरे-धीरे बीमारियों को ग्रहण करता है फिर चाहे वह पेचिश ही हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अनाज की व्यवस्था करे उसके साथ ही लोगों को पूरा रोजगार देने की भी व्यवस्था करे ताकि लोगों को भूख से मरने का मौका नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री **मनोहरलाल** (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अधिकारियों ने, राजस्थान के अधिकारियों ने, सरकार की खाल और अपनी खाल को बचाने के लिए खास तौर से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनको फंसा दिया गया है अच्छी तरह से और इनसे स्वीकार करा लिया है कि चूरू जिले में दो लड़कों की मृत्यु भूख से हुई है।

लेकिन कहने का तरीका उनका यह है। हैजे का नाम कुछ रख दिया। मलेरिया का नाम टाइफाइड रख दिया भूख का नाम लम्बी बीमारी रख दिया है। अगर भुखमरी नहीं थी तो 40 किलो बाजरा क्यों दिया गया है। मंत्री महोदय, बहुत चतुर हैं। दूसरे खाद्य मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय इन दोनों पर मेरा आरोप है। राजस्थान की जनता को भूखा मारने के लिए इन दोनों ने साजिश की हुई है। मेरा निवेदन यह है कि भरतपुर में लोग मक्का नहीं खाते हैं, वहां मक्का भेजी गई। उदयपुर में लोग मक्का खाते हैं, वहां मक्का नहीं भेजी गई। यह साजिश नहीं तो और क्या है ? ट्रक वालों को मुनाफा देने के लिए यह साजिश है भरतपुर में लेवी लागू की गई है। 13 नवम्बर के बाद एक भी क्विण्टल बाजरा प्राप्त नहीं हुआ है। हरियाणा में 52 रु. 53 रु. है। जिसको भरतपुर में कोई 13,14 रुपये में नहीं खरीदता था। यह तो भूखों मारने की साजिश की है। राजस्थान की सरकार ने हिन्दुस्तान की सरकार के, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से मिलकर यह कहा कि राजस्थान में भयंकर अकाल है। मुनाफाखोरों को बल मिले, इसलिए इन्होंने भुखमरी फैलाने की साजिश की। 80 करोड़ की मांग की गई। इन्दिराजी ने कहा इससे भुखमरी फैलेगी। इससे मुनाफाखोरी फैलेगी

(श्री मनोहरलाल)
अकाल की स्थिति इतनी नहीं है। जहां तक पता है, उसके बाद अकाल राहत मन्त्री और खाद्य मन्त्री ने कहा कि 8 करोड़ की जरूरत है। 5 करोड़ 80 लाख मिला है इतना संकट बताकर। 10 गुना संकट बताया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने मुनाफाखोरी की है। भरतपुर बसेड़ी तहसील में उरजा नाम का भूख से मर गया है। उसकी जांच नहीं की गई है। उसका उत्तर नहीं दिया गया है। दो व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया है। चूरू जिले में, उसका मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय उपाध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि राजस्थान में लोगों की वाइटेलिटी गिर गई है। वाइटीलिटी की वजह से रैसिस्टेंस पावर भी गिर चुकी है। रैसिस्टेंस पावर के गिरने से कोई भी बीमारी से मरता है तो उसको राजस्थान सरकार भूख से मरना नहीं मानती है। इस प्रकार की बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा जो वक्तव्य दिया है, उसमें डायरेक्टर स्टेटिक्स ने आंकड़े निकाले हैं। उसमें एक हजार की जनसंख्या के ऊपर 14 मौतें नेचुरल, कुदरतन होती है। इसलिए स्केयरसिटी पीरियड में जिस इलाके में 18 हजार, 16 हजार में कोई भी मृत्यु नहीं होगी। कुदरतन भी मृत्यु नहीं होगी। इस बात की गारन्टी सरकार नहीं दे सकती है। मैंने यह बताया है कि 60 वर्ष से 70 वर्ष तक के बूढ़े और बच्चों की भी मृत्यु हुई है। उनके बयान लिये गये हैं। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि उनके परिवार के लोगों के बयान ले रहे हैं। वह कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। क्योंकि समाज में उनका सम्मान गिर जाता है। उनके सम्मान को हानि पहुंचती है। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। मैं कम्पेल तो नहीं कर सकता हूं कि मरने के बयान गलत तरीके से दे दें। यह बात निश्चित है कि क्या कारण है कि राजस्थान के अन्दर चूरू डिस्ट्रिक्ट में सब से ज्यादा मृत्यु हो रही हैं। 4 अक्टूबर से, 10 अक्टूबर से टैस्ट रिलीफ वर्क में अफेक्टेड एरिया में 80 हजार मजदूर काम करें। 6 लाख की पापुलेशन जिस जिले की हो वहां इतने आदमी काम पर लगाये हैं जितने किसी भी जिले में नहीं हैं। इस बात की पाबन्दी लगाई गई है कि 10 दिन के अन्दर पेमेन्ट किया जाये। मैं आगे से प्रबन्ध कर रहा हूं कि पेमेण्ट जल्दी से जल्दी किया जाये। जो मृत्यु के सम्बन्ध में कहा जा रहा है। उनके बयान ले लिये गये हैं। मैं स्वयं जानता हूं केदमसर के बारे में। इस प्रकार की मुझे भी जानकारी है। एक आदमी कैटिल फेयर में जा रहा था। आंधी आई। स्टार्म आया तो मेरे खेत के पास जाते समय मर गया। केदमसर की बात कर रहे हैं। मुझे स्वयं जानकारी है। भूख से नहीं मरा है। लेकिन यहां भूख से मारते जा रहे हैं। इसी तरह से मंसाराम के बारे में कहा है। वह जीवित बैठा हुआ है। वह कहते हैं कि उनकी मानहानि नहीं हो जाये। वह जीवित बैठा है। इसलिए बेबुनियाद बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केलनसर की बात कही है। एक जगह बच्चों को भेजा तो उन्होंने भेजा नहीं

Page No 64

(64)

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरी जगह टाइफाइड का बीमार था। बड़ा भाई मजदूरी कर रहा था, उसको साथ लिया गया। तो सभी लोगों के घरों में लोग बीमार हो जाते हैं। अगर तहसीलदार ने बाजरे का इन्तजाम कर दिया तो यह गलत कर दिया? अगर साथ के लोगों को सफाखाने में रखना है, रिलीफ के काम से वंचित करना है तो इसको तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। अतः मैं इसको रिफ्यूट नहीं करता हूं। मैं स्ट्रोंग शब्दों में कहना चाहता हूं कि दोनों केस पर कलेक्टर ने चिट भेजी। कपड़े दिये गये, बाजरा दिया गया। उसके बाद यह भी कर दिया गया है। उदयपुर जिले और सभी कलेक्टरों को वायरलैस से आदेश दिये हैं रिलीफ देने के लिये। जिन परिवारों में बीमार हैं, अपाहिज हैं, उनको भी रिलीफ दी जाने वाली है। उदयपुर सराड़ा तहसील की जो मरी है, उसे ग्रेचुट्स रिलीफ दे रहे हैं। देश में 75 पैसे से कहीं ज्यादा नहीं था लेकिन हम 75 पैसे से ज्यादा दे रहे हैं। हम एक रुपया दे रहे हैं। उस समय कोई बीमार रहे तो उनको भी दिया जाये, यह भी प्रिकाशन लिये हैं। यहां पर एक बात यह कही गई...

श्री भगराज चौधरी : आदेश का होता क्या है? अकालग्रस्त जिलों के अन्दर ग्रेचुट्स रिलीफ आज तक नहीं दिया गया है। आप आदेश देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। आदेश देने से पेट भरता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बैठिये, बैठिये। बीच में डिस्टर्ब मत करिये।

आप कहते हैं, पैसा नहीं दिया गया। मैं इसको रिफ्यूट करता हूं। कौन कहता है कि पैसा नहीं दिया गया। हमने कलेक्टर को आदेश दिये हैं, अक्टूबर से टाइम टू टाइम आदेश भेजे जा रहे हैं। जिलाधीश को पांच हजार की डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट दी गई है, जिसे फेमिन रिलीफ नहीं दिया गया है, जिसको रोल पर नहीं लेकर काम नहीं दिया गया है। अगर कलेक्टर देखता है कि किसी को इमीजियेटली रिलीफ देना चाहिए तो वह दे दे। इसके लिये पांच हजार रुपये कलेक्टर के डिस्पोजल पर रखे गये हैं। पहले अक्टूबर में रखे गये, फिर फरवरी में रखे गये। कलेक्टर के पास पैसा है ही, वह देखता है कि रोल पर नहीं लेकर काम नहीं दिया गया है और फेमिन रिलीफ नहीं दिया गया है और उसकी स्थिति है तो मौके पर उसकी मदद देनी चाहिए। वह मदद दे सकता है–यह सरकार का आदेश है। इसलिए यह कहना है कोई अमाउन्ट नहीं दिया गया है, गलत है और मैं इसको रिफ्यूट करना चाहता हूं सदन के प्रांगण पर। अब कितना दिया गया है, कलेक्टर नागौर के द्वारा ग्रेचुट्स रिलीफ के लिए कितना रुपया दिया गया है–मैं समझता हूं वह हजारों से कम नहीं होगा। उसके बाद भी आज कहते है कि वितरण नहीं किया गया है, तो मैं एक्सप्लेनेशन काल करूंगा, मैं पूछूंगा। मैं जोधपुर जा रहा हूं कल, मैं बुलाऊंगा और पूछूंगा कि वितरण क्यों नहीं किया है। डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट के आदेश दे दिये गये हैं और वहां पहुंचा दी गई है, लेकिन जो ग्रेचुट्स ग्रान्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

का प्रश्न है, यदि पैसा नहीं पहुंचे तो कलेक्टर को पावर दी हैं कि वह कन्टिन्जेन्सी में से बिना किसी सेंक्शन के पैसा विथड्रा कर सकता है, यदि पैसा एक्चुअली नहीं आया है, तो भी इस काम में ढिले नहीं करनी है। यह राईटिंग में, आदेश है कि अमाउन्ट पहुंचने में देरी हो जाती है तो भी कलेक्टर देरी नहीं करे यह आदेश दिये गये हैं।

यह बात कही गई, कुछ जिलों में जहां मक्का की जरूरत है वहां पर मक्का नहीं दी जाती है और भरतपुर जिले में मक्का दी गई है और मक्का इसलिए दी गई है कि ट्रक ओनर्स को फायदा पहुंचाना था। मैं यह निवेदन करूं, बार-बार भरतपुर से मांग आ रही थी। आप खाना चाहते हैं गेहूं, मेरे पास है नहीं। कल आप कह देंगे, मावे की कचोरी खिला दें, तो मैं खिला नहीं सकता हूं। जो कुछ अनाज मेरे पास है वह दे सकता हूं। हमने कहा कि वितरण करेंगे। गांवों में आवश्यकता थी भरतपुर में, वहां देनी चाहिए–यह कलेक्टर ने राईटिंग में फूड डिपार्टमेंट में भेजा है। हमारे पास मक्का के अलावा और अनाज नहीं था। या तो उस वक्त बिलकुल अनाज नहीं भेजा जाता या फिर जो था उसको भेज देते। अब अगर अनाज भेज दिया तो वहां पर ट्रक ओनर्स को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। इसमें ट्रक ओनर्स की बात भी नहीं है क्योंकि अनाज वहां ब्रॉड-गेज से आया है। ट्रक ओनर्स के जरिये वहां भेजा है, वह दूसरे जिलों में उठाया गया है। भरतपुर में ब्रॉड-गेज से उठाया था, कौनसा वहां ट्रकों में भेजा गया था। इसलिए मैं समझता हूं यह बात तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके दूसरे नजरिये से यहां कही गई है–इसके अलावा मैं कोई दूसरी संज्ञा इसे नहीं दे सकता।

वेजेज के पेमेन्ट के बारे में यहां बात कही गई। यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पेमेन्ट आफ वेजेज के बारे में टाइम टू टाइम टाइमली पेमेन्ट करने के आदेश दे दिये हैं। अब इस सम्बन्ध में उक्त टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दे दिया है कि कलेक्टर, एक फोर्टनाइट, दस दिन के अन्दर वेजेज का पेमेन्ट नहीं करवा सके तो वह इनेफिसियेण्ट कलेक्टर माने जायेंगे और हमें सोचना पड़ेगा कि वह वहां रहने लायक है या नहीं। यह बात भी कही गई कि जिलाधीशों को सीक्रेट आदेश दिये गये हैं, भूख से मौत जो हो रही है उनके सम्बन्ध में। मावली से आने वाले माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं हमने इन्स्ट्रक्शन ग्रेचुटस रिलीफ, डिस्क्रिशनरी फण्ड के कलेक्टर को दिये हैं और फेमिन अफेक्टेड एरियाज में जिन्हें भी पैसा दिया जा रहा है, उनकी सेंक्शन कलेक्टर कर रहा है। फेमिन रिलीफ वर्क के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर रेस्पान्सिबल हैं। कलेक्टर को पांच हजार का डिस्क्रिशनरी फण्ड दिया है, डिस्ट्रिक्ट में आई. ए. एस. कलेक्टर बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दें और तहसीलदार को यह जिम्मेदारी सौंपे, यह जिम्मेदारी उसकी रहे कि भूख से कोई नहीं मरे। आज डिस्ट्रिक्ट के अन्दर माल

(श्री परसराम मदेरणा)

इण्डिया सर्विस का आदमी, फेट सैलेरी जिसे मिल रही है, वह है और राज्य सरकार इस नीति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है आज भी और आगे भी रहेगी। उसको देखना चाहिए, कोई भी अभाव की स्थिति में है, उसको काम नहीं मिला है या काम नहीं कर सकता है, बीमार है– बीमारी के सम्बन्ध में तो अलग अलग पार्टीज बना रखी हैं, जितना आर्डिनरी टाइम्स के अन्दर उपचार के बारे में, दवा-दारू के सम्बन्ध में इन्तजाम करते हैं उससे ज्यादा आज इन्तजाम कर रहे हैं फिर भी कोई इन्सीडेंट बीमारी का कारण बन सकता है, तो उसको देखना चाहिए। लोगों की कम वाइटलिटी न हो लोगों को इसलिए विटामिन की गोलियां लाखों की तादाद पर वितरित की गई हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो शिड्यूल्ड एरियाज हैं, चाहे डूंगरपुर का हो चाहे बांसवाडा हो, चाहे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का हो पिछले एक सप्ताह के अन्दर दूसरे जिलों के मुकाबले, जो हमेशा अनाज दे रहे थे, उससे ज्यादा अनाज दिया है। इसके साथ आलू देने के लिए प्रोग्राम बनाया है, आलू का प्रबन्ध शिड्यूल्ड एरिया में किया गया है ताकि वाइटलिटी जो गिरी हुई है, वह वाइटलिटी पूरी हो। वह वितरित किये जायं और विटामिन की जो गोलियां हैं वह भी वितरित की जायं इस सम्बन्ध में आदेश दे चुका हूं। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के शिड्यूल्ड एरियाज के अन्दर अनाज लिफ्ट हो रहा है, अनाज पहुँच गया है और अनाज वहां स्पेशल तौर पर दिया गया है, पांचसौ टन ज्यादा अनाज स्पेशल तौर पर दिया गया है। मैं स्वयं इस ओर ध्यान दे रहा हूं। जो ट्राइबल इलाके हैं, दूर-दूर पहाड़ों में बैठे हुए लोग हैं उनको किसी तरह भूख से मौत नहीं हो और सरकार की बदइन्तजामी साबित नहीं हो-इसलिए इसका प्रबन्ध करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इस ओर ध्यान रखा जाय और सतर्कता बरती जाय। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सरपंच बयान दे रहे हैं, फोटुएं छाप रहे हैं, चूरू में काजी साहब मर गये, कल जोधपुर शहर के काजी मरने वाले हैं– यह बार बार-बात आती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जयपुर में काम खोले जायं और मैं निवेदन कर दूं कि म्युनीसिपल एरिया में काम खुलने वाले नहीं है, यह सारे एवेन्यूज फेमिन अफेक्टेड एरियाज में काम में आने के बाद आज राजस्थान में आप देखेंगे, जनवरी के बाद, जनवरी की पांच छः तारीख के करीब 65 हजार के आसपास लोग-बाग काम पर लगे हुए थे, आज छः लाख से ज्यादा व्यक्ति केवल राहत कार्यों में लगे हुए हैं और बराबर नम्बर बढ़ता जा रहा है। पानी का सम्बन्ध है उसके बारे में जरूर सोच रहे हैं। मैं आश्वासन देना चाहूंगा, पूर्व में 22 को आश्वासन दिया था, बराबर राज्य सरकार सतर्क है, इस सम्बन्ध में टेलिफोन्स के जरिये, वायरलैस के जरिये और दूसरे मैसेजेज के जरिये इन्स्ट्रक्शन देकर बराबर इस बात का ध्यान रखा गया है कि अनाज का वितरण हो, अनाज लिफ्ट जल्दी हो, उसका वितरण जल्दी हो और दूसरी व्यवस्था कैटल फोडर और दूसरी है उसके लिए स्टेप उठा रहे हैं, और आर्डिनरी तौर

(श्री परसराम मदेरणा)
पर काम हो- ऐसा नहीं हो रहा है, वार फुटिंग पर काम हो रहा है और जब तक क्रिटिकल पीरियड खत्म नहीं हो जाता है तब तक पूरी पूरी सरकार सतर्क, कोशस रह कर सावधानी बरतती रहेगी । यह विजन हम रख रहे हैं कि राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है, जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई है तो क्रिटिकल पीरियड में हर तरह की मदद प्रभावित लोगों को दी जाय, इसमें कोई कहने वाली कमी नहीं रखी जायेगी ।

आय-व्ययक 1973-74 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल (निवाई) ।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : कल आपने फरमाया था ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में ।

श्री झाबरमल सूंडा : मैंने शुरू कर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोल दिया है इनका नाम ।

श्री केशरीमल: मैंने कल पर्ची भिजवायी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये । माननीय सदस्य ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर रिप्लाई का वक्त तय कर दिया जाय तो मुझे सुविधा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, चार बजे ।

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे सरकार की तरफ से जवाब होगा ।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : चार बजे तक सभी सदस्य नहीं बोल पायेंगे ।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण पर चर्चा चल रही है और बहुत से काबिल सदस्यों ने बड़े लंबे-लंबे भाषण इस सदन में दिए हैं । मैं इतना लम्बा भाषण नहीं देना चाहता । मैं एक छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस समय हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वह वित्त मंत्री के भाषण से जाहिर होता है । माननीय अकाल राहत मंत्री भी जानते हैं कि हम सख्त दौर से गुजर रहे हैं । कम से कम राजस्थान की आधी आबादी उससे अफेक्टेड है । इस संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है और अब तक माननीय अकाल मंत्री ने उस बारे में काफी लंबी चौड़ी बात कही है । उस पर हम विश्वास करते हैं, वह काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं...

श्री मनोहरलाल (कामां) : अकाल मंत्री नहीं, अकाल राहत मंत्री ।

श्री बनवारीलाल : जिस मुस्तैदी से वह इस मसले को लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम पार पा जायेंगे । लेकिन मैं इसके साथ ही और साथी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक दैवी विपत्ति

(श्री बनवारीलाल)

हमारे सामने आ गई है, इसका राजकीय स्तर पर सामना किया जा रहा है, हम जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हम अपने लेवल पर जिस तरह से भी एडजस्टमेंट रख सकें वह रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जो आज उसमें गड़बड़ी हो रही है, काम मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा एलीगेशन है कि कुछ वसीलेदार ज्यादा काम ले जाते हैं, समय पर पैसा नहीं मिलता है। उन सब दिक्कतों के बारे में काफी लम्बी-चौड़ी बातें कही जा चुकी हैं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है। अकाल से ज्यादातर लोग एफेक्टेड हैं तो वे अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं और आदिवासी हैं। तो जहां तक हो सके इनके परिवारों को जितना ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुझाव है, अकाल राहत मंत्री, आशा है, विचार करके निर्णय लेंगे। वैसे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है मुश्किल समय में, वह बहुत बढ़िया किस्म का पेश किया है। इसमें हमेशा करों की जो बात है वह खटकने वाली होती है, इससे बहुत भारी परेशानी होती है तो उस परेशानी से हम लोगों को मुक्त कर दिया। जो कर लगाया है वह बहुत ही वाजिब और संजोदा किस्म के कर लगाए हैं। इसके वसूल करने में, जैसा बहुत से साथियों ने कहा, दिक्कतें आएंगी, उन सब पर राज्य सरकार विचार करेगी।

इस बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने पिछले साल का लेखा-जोखा, पेश किया है, उसमें कितनी तबदीली कर रहे हैं, उस संबंध में ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, सिर्फ दो चार बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक स्कूलों का प्रश्न है, हमने 1500 स्कूलों को मिडिल स्कूलों में उन्नत किया और एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जिस किस्म की शिक्षा दे रहे हैं इस तालीम से अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि लड़का मैट्रिक पास कर ले उसके बाद भी उसको दरख्वास्त लिखना-पढ़ना नहीं आए कई गलतियां आती हैं। तो हम क्वान्टिटी स्कूलों को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी की ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों के बाद नौबत आएगी, लड़के ग्रेजूएट हो जायेंगे, दरखास्त लिखने की बात तो छोड़िए, पढ़ भी नहीं सकेंगे और भारी परेशानी हमारे सामने आ जाएगी। इस बारे में गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। इस साल 1500 स्कूल मिडिल स्कूलों में उन्नत किए जा रहे हैं और एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। अपने भाषण में वित्तमंत्री ने सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी स्कूलों के बारे में कोई बात नहीं कही है जो कही जानी चाहिए थी। क्योंकि सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी स्कूल गत वर्ष खुल गए इसलिए ऐसा लगता है कि इनके खोलने का प्रावधान नहीं है।

पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से जो सड़कें बनाई जा रही हैं और जिस गति से बना रहे हैं वह धीमी है। पूरे देश में एक दो जगह को छोड़कर हम बहुत पिछड़े हैं। हम उनसे भी अब कम रह गए हैं। इनकी

(श्री बनवारीलाल)

क्वालिटी को भी देखा जाए। मैंने एक दिन पी.डब्ल्यू.डी. वित्त मंत्री से निवेदन किया था, टोंक के अन्दर सड़क बनवाई थी जो सीमेंट कॉन्क्रीट की थी दो महीने में खराब हो गई। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से कहा, उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा अगर विश्वास नहीं करते तो खुद चलकर देखें। मैंने उनको वहां ले जाकर दिखलाया कि कैसे सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क दो महीने में खराब हो गई। विचित्र बात है, किस प्रकार निर्माण हो रहा है, दुविधा में डालने वाली बात है। इस प्रकार के निर्माण कार्य कितने मजबूत हो पायेंगे, हमको क्या मिल पाएगा, बहुत शोचनीय बात है हमारा देवली कैम्प जब बंगाली शरणार्थियों के लिए तैयार हो गया था तो एक दिन आंधी आई, एक दो प्लेट ही उड़ गए। राज्य सरकार की जानकारी में यह बात है। अगर इस प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहे तो सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी। क्वालिटी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कुछ बनायें वह इतना मजबूत बनायें कि वह जल्दी खराब न हो।

पिछले तीन दिन के अन्दर मैंने देखा बड़ा वातावरण बना रहे हैं हरिजनों व आदिवासियों के पक्ष में। उनके लिए बहुत हमदर्दी दिखाई जा रही है। दोनों तरफ के माननीय सदस्य बहुत ही परेशान हैं। लेकिन मैं पिछले सदन की बात कह रहा हूं। गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों व आदिवासियों को प्लाट्स एलाट किए गए। सदन में इतना बावेला मच गया कि आखिर नतीजा यह हुआ कि मंत्री महोदय को घोषणा करनी पड़ी कि जिनको एलाट किया गया उन सबके प्लाट्स कैंसिल होंगे। यह हमारी नीति है। हाल ही में जिस दिन सीलिंग कानून पर डिबेट हो रही थी, हमने कहा हरिजनों को जमीन मिलनी चाहिए तो सनसनी फैली। एक तरफ तो आप हमदर्दी दिखाते हैं दूसरी तरफ जब उनके भले की सदन में बात आती है तो गुस्से में आते हैं। अब अगर सब लोग हमदर्दी रखते हैं, हरिजनों की हालात सुधारना चाहते हैं तो गान्धी शताब्दी वर्ष में जिन साथियों को प्लाट्स दिए गए थे, वापस उनको दिए जायं, इसी से आपकी नियत का पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज बोलने वाले अधिक हैं इसलिये 10 मिनट से ज्यादा बोलने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज पिछले तीन दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं हमारे दल ..

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल से 20 व्यक्तियों के नाम मेरे पास आये हैं। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और इसके लिये आपने जो मुझे समय दिया है इस जर्रानवाजी के लिये शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैं आपसे बार-बार कहता आ रहा हूं कि मुझे खास तौर से वक्त दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें आजादी मिले करीब 25 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं लेकिन इस दौरान में आपसे यह निवेदन कर

(श्री बनवारीलाल)

चाहूंगा कि जो वीकर सैक्शन था, दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था आज तक पिछड़ा हुआ ही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि राज्य में कुछ काम नहीं हुआ या राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार ने वीकर सेक्शन के लिये बहुत कुछ किया है और अब भी निरन्तर उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्यवाही कर रही है लेकिन जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने का और जिस हद तक उसे ऊपर लाना चाहिये था वह लक्ष्य हम प्राप्त अभी तक नहीं कर सके हैं। आज हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें उनकी इकोनोमिक कन्डीशन ठीक करनी पड़ेगी। हमें उनकी सामाजिक स्थिति ठीक करनी होगी। आज हम अगर देखें तो हमें ऐसा दिखायी देगा कि हमें हमारे समाज में अभी बहुत कुछ करना है। अगर उन्हें समाज में बराबर की पोजीशन में बराबर स्तर पर नहीं ला सके या लाने में असफल रहे तो फिर क्या लाभ। आज अगर हम ईमानदारी से देखें तो जो मेहतर था वह आज से 20-25 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आज भी है। आज भी मेहतर अपने सर पर मैले की टोकरी लिये बाजार में निकलते हैं। आज भी मैले की टोकरी उसके सर पर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर यह समस्या कब तक चलती रहेगी। आज 25 साल हो गये हैं हम अभी तक उसके सर से टोकरी नहीं हटा सके हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री एक बार रंग भेद नीति के बारे में बोलने के लिए कहीं गये थे तो उन्हें आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने कुछ फोटोज दिखाये जिनमें ऐसा दिखायी देता था कि एक मेहतर के सर पर मैले की टोकरी रखी हुई है उसके सर पर जो टोकरी है उसमें जो मैला है वह बह कर उसके मुंह के ऊपर टपक रहा है। उन्होंने कहा कि क्या यही है आपके यहां की रंग भेद नीति। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें समाज के इन कुरीतियों को हटाना होगा। आज आप हरिजनों को प्लॉट दे देते हैं या कुछ पर्सेन्ट आप नौकरियों में रिजर्व कर देते हैं इससे उनका उत्थान नहीं हो जायेगा। आपका काम यहां तक ही समाप्त नहीं हो जाता है। आपको उन्हें समाज के दूसरे वर्ग के बराबर उठाना होगा, उनके बराबर आपको उन्हें समाज में जगह देनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने उन्हें कई कामों में ऊपर उठाने की कोशिश की है लेकिन जब तक हम यह मैला हरिजन के सर से उठाने की प्रथा को समाप्त नहीं कर देते तब तक हमारा दायित्व खतम नहीं होगा। मैं यह भी मानता हूं कि एजूकेशन के बारे में भी राज्य सरकार ने इनके लिये कुछ किया है। आज इन पिछले 15-20 सालों में हमारे अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के कुछ लोग पढ़े-लिखे हो गये हैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर तैयार हो गये हैं लेकिन यह भी अभी तक कम मात्रा में ही हुआ है। हमारे अन्दर भी लोगों ने अपने बच्चों को कहा कि पढ़ना-लिखना अच्छा है तुम्हें पढ़ना चाहिये। लेकिन एक तरफ तो आप उन्हें पढा लिखा रहे हैं दूसरी तरफ जो पढे लिखे अनुसूचित जाति और

(श्री बनवारीलाल)

अनुसूचित जन जाति के लोगों को आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं और उन नौकरियों पर बैन लगा रखा है। इधर आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के सर्विसेज के लिए कोटा भी निर्धारित कर रखा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जब नौकरियों में बैन लगा रखा है तो फिर जो आपने कोटा निर्धारित कर रखा है वह किस लिए है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप जब तक उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको चाहिए कि किसी दूसरे को नौकरी नहीं दी जाय और उनके कोटा को ही पहले पूरा किया जाय। ऐसे आदेश निकाले जायं कि इस साल इतने व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को ही लिया जाय। इसके लिए जो आपने 28 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है मैं समझता हूं कि वह बहुत ही कम है। क्योंकि आज कहीं पर 100 जगहें खाली हैं और उसमें से आप सिर्फ 28 व्यक्ति ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लेंगे तो जितने टोटल लोग आज सर्विसेज में हैं उनके अनुपात में यह 28 प्रतिशत लोग बहुत ही कम रहेंगे। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रश्न पर राज्य सरकार गम्भीरता पूर्वक सोचे। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग वैसे ही बहुत गरीब हैं, बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं। और बहुत ही पत्थर फोड़कर, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे जब पढ लिख कर तैयार होकर निकलते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इससे हम लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। यह मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में इस साल से राज्य सरकार ने एक रोस्टर प्रणाली चालू की है लेकिन हमें यह भी पता नहीं पड़ता कि उसके अनुसार कितने नवयुवक अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जन जाति के लिए जा चुके हैं। हमारे पास इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है। और जानकारी भी करें तो किससे करें। इसलिए मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक इसके लिए कमेटी बनादी जाय जो कि राजकीय अधिकारियों की नहीं हो। वह पब्लिक के नुमाइन्दों की होनी चाहिए और वह कमेटी इन सारी शिकायतों की जांच करे और जांच करने के बाद सारी स्थिति को राज्य सरकार के पास भेजे और राज्य सरकार फिर उनके दिये हुए आवश्यक सुझावों के अनुसार अगर काम करे तो हम लोगों को निश्चित फायदा हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ उपाध्यक्ष महोदय आपको छात्रवृत्ति के बारे में भी निवेदन करूंगा। यह सही है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां देती है लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि छात्रवृत्तियां लेने वाले अधिक हैं और छात्रवृत्ति के लिये जो रकम निर्धारित की गयी है वह कम है इसलिए कई लोगों को छात्रवृत्ति मिल नहीं पाती है इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस हिसाब से आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसमें वृद्धि की जाय। क्योंकि हमारी जाति के

(श्री बनवारीलाल)
लोग समाज की वीकर सेक्शन में से हैं काफी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं इसलिए आप इस प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार करके इस समस्या का भी हल निकालने की कृपा करेंगे।

अब थोड़ा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले की तरफ आ रहा हूं। यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि बनास नदी पर बान्ध बनाकर उससे इन इलाकों को पानी दिया जाय। मेरा भी यही निवेदन है कि बनास से पानी आयेगा तो हमें भी पानी मिलेगा। हम पिछले 15–16 साल से यह सुन रहे हैं। हमारे यहां भी विशलपुर के पास सर्वे हो चुका है पर आज उसको पूरा नहीं किया गया है और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, हमारे यहां की जनता काफी दिनों से इस बात की तरफ उम्मीद लगाये बैठी है उपाध्यक्ष महोदया हमारे टोंक जिले की जो जमीन है वह काफी अनउपजाऊ है जिसके लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जहां तक प्रोपर टोंक का सवाल है हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में ढाई लाइन इस बात की बोली है कि टोंक में टेनेरी का कारखाना खुल रहा है। यह तो आश्वासन है और चार पांच साल से यह रकम अदा हो रही है। जब तक काम शुरू नहीं हो जाय तब तक हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि यह तो मानलें कि वहां पर टेनेरी का कारखाना खुल रहा है लेकिन उसमें राज्य सरकार ने कितने रुपये का प्रावधान रखा है वह भी तो पता होना चाहिए। हम सन् 67 से यह बात सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक वह नहीं खुला है इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके मारफत राज्य के मन्त्री (वित्त) से निवेदन करूंगा कि आप इसे कब शुरू कर रहे हैं और उसके लिये आपने कितनी धनराशि बजट में रखी है यह स्पष्ट करदें।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह कि हमारे यहां पर एक मासी बान्ध है। अभी कुछ समय पहले हमारे यहां पर अतिवृष्टि हुई थी उसमें काफी लोगों को नुकसान पहुंचा था और एक सेलाब आ गया था जिससे करीब 25–30 गांव बह गये थे। उसके लिए राज्य सरकार ने उस बान्ध के लिए करीब 37 लाख रुपये का प्रावधान किया था, उपाध्यक्ष महोदय, काफी बड़ी धन राशि है अगर यह खर्च होकर यह काम हो जाय तो काफी स्थिति ठीक हो सकती है। कुछ खर्च तो पहले राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है पर इस वर्ष बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। उसके नहीं रखने से हमारे यहां के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अगर इस बान्ध को आप करा दें तो वहां की जनता को राहत मिलेगी।

इस सम्बन्ध में एक बात और अर्ज करना चाहता था कि वनस्थली विद्यापीठ से यह डेम पांच मील के फासले पर है और उस डेम तक पहुंचने में पांच मील कच्चे में चलना पड़ता है। उधर से और

(श्री बनवारी लाल)

कोई रास्ता नहीं है कि जिससे जा सके वांधी टूटा है तो इस दृष्टि से टूटा है कि उसकी मरम्मत और देख भाल के लिये कोई भी अधिकारी समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये उस टैंक तक के लिये सड़क बनाना बहुत जरूरी है। पांच मील की सड़क बनानी है इसलिये बनाइये कि टैंक की ठीक प्रकार से देख भाल कर सकें और आम आदमी को मुसीबतों से बचाया जा सके। यह सिंचाई मंत्री जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से अर्ज किया। वे कहते हैं कि पी. डब्ल्यू डी. से प्रमुक बननी चाहिये वित्त मंत्रीजी से मेरा इतना ही निवेदन है कि कहीं से भी बना दें। यह सड़क बनी तो कहीं अतिवृष्टि से हम पर फिर ऐसी मुसीबत न आ पड़े और हम ऐसी मुसीबत में न फंस जायं जैसे पहले फंसे थे।

ज्यादा वक्त न लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बात और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ करप्ट ऑफिसर्स के बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी सदन में बताया। माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में बताया। अच्छी बात है, जो गलत काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये लेकिन उससे कुछ काम नहीं चल रहा है। जनता में इमेज खराब करना चाहिये। और उनको पब्लिक में कन्डेम करना चाहिए। रिटायर कर देने से तो किसी को पता नहीं लगता है। अच्छा काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। कुछ इस प्रकार का असंतोष ऑफिसर्स में है कि अच्छा काम करो तो भी उसका एप्रिसियेशन नहीं मिल पाता है। उससे यह कम्पीटीशन पैदा हो सकता है यदि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया गया और उनका एप्रिसियेशन किया गया तो और उससे प्रशासन में सुधार हो सकता है। उस पर राज्य सरकार थोड़ा सा विचार करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अपने भाषण में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने हरिजन बस्तियों में नल और बिजली का विशेष प्रावधान रखा है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं उनको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मेरी जानकारी में है इसलिये अर्ज कर रहा हूं। बीच में जो दूसरी आबादियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे यदि नुक्कड़ पर लगा दिया जा सकता है, बीच में आबादी रह गयी तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिये इस ओर विशेष डाईरेक्शन्स दिया जाय कि वहां के लोगों को भी सुविधा दे दी जाय जिससे उनको सुविधा मिल सके।

इतना ही अर्ज करके, माननीय वित्त मंत्रीजी के भाषण और बजट का अनुमोदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक पूंजीवादी आचरण वाले व्यक्ति से इससे अच्छे बजट की आशा नहीं की जा सकती थी। यह जो बजट पेश किया गया है उसमें पिछली करतूतों का भी इजहार होकर वे सामने आयी हैं। पिछली दफा में जो कर्जभार बढ़ गया था उसको ढंकने की कोशिश की। लेकिन वह

(श्री झाबरमल सुन्हा)

ढंकी नहीं गयी। उसने एक विस्तार का रूप धारण कर लिया तो उनको यह रखना पड़ा।

पांचवी पंच वर्षीय योजना में पदार्पण कर रहे हैं। योजना को पूरा करने के लिये आशा करेंगे लेकिन इस बजट में 825 करोड़ रुपये का घाटा है जो स्टेट इनकम से भी ज्यादा है जो कि चुकाने जा रहे हैं। 71-72 में इनकम थी 748 करोड़। इससे और बढ़ जायं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है और उस सारे के सारे हिसाब से यह सारा का सारा चुकाने की स्थिति में रहेंगे तो 12 महीने अकाल रहेगा राजस्थान में। आपने निर्भीक होकर केन्द्र से इसको राइट ग्रोफ करने के लिये आज्ञा चाही है इसका तो मैं भी स्वागत करता हूं। क्यों ? इसके रहते हुए हम अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारी योजनाएं, आज हम जिस स्थिति में फंसे हैं, इन सबके मामले में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इतना कर्जभार हमारे ऊपर आ गया है इसका मुख्य कारण अकाल है। अकाल के आंकड़े एप्रोच पेपर में दिये गये हैं। उपाध्यक्षजी, एक बात और कहूंगा कि राजस्थान में अकाल और राजस्थान के अकाल राहत मंत्रीजी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जबसे राजस्थान में अकाल पड़ा है और तब से इन्होंने अकाल राहत का कार्यभार सम्भाला है न तो अकाल इनको छोड़ने वाला है और न ही इसको ये छोड़ने वाले हैं। इनका परस्पर एक सम्बन्ध हो गया है। जो स्तम्भ को तरह है। इनकी कार्यवाही, इनका एप्रोच, इनकी इफिशियेन्सी, इनके तरीके में मुझे कोई शक शुबा नहीं है लेकिन अकाल और अकाल राहत मंत्री इन दोनों का जो एक सम्बन्ध बन गया है, और अकाल राजस्थान से जा नहीं रहा है इसलिये इन पर एक कलंक का टीका न लगे और राजस्थान खुशहाल बने इसके लिये निवेदन करूंगा कि वे स्वतः पोर्टफोलियो को छोड़ दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अकाल की धनराशि आयी है उसका भी यहां ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है जो भी दुरुपयोग हुआ सो हुआ लेकिन उसका वितरण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया जिससे कर्जभार तो राजस्थान पर बढ़ गया लेकिन वह राशि सही उपयोग में और ठीक ढंग से काम में न आ सकी। यह तालिका है उसमें दिया हुआ है। 6 हजार लोगों पर 1 करोड़ रुपया मिला और 503 गांव जो अकाल की चपेट में आये थे उनको 49 लाख रुपया मिला। यह सरकार ठीक प्रकार से ऊपर से नहीं ला सकी जैसी कि आवश्यकता थी और जो आया वह भी व्यर्थ में लग गया। जहां जितनी आवश्यकता थी उसके अनुरूप में यह रुपया नहीं लगा और व्यर्थ में ही खर्च हो गया। 20 करोड़ का हिसाब पेश नहीं कर सके। इच्छाओं के अनुसार जनता को रोजगार और काम नहीं दे सकते।

सारे बजट पर विवेचन करना तो लम्बा हो जावेगा। और, पार्टी का एक ही सदस्य हूं तो मेरा टाइम भी सीमित कर दिया गया है। मैं मुख्य बातें ही कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी जो बात है वह यह है कि यहां की योजनायें जो हैं वे परमुखापेक्षी हैं।

(श्री झाररमल सुन्डा)

केन्द्र की तरफ देखकर बनायी जाती है और जो योजना आती है उसमें भी प्राथमिकता किसको देनी है इसका भी अन्दाज गलत ढंग से लोगों ने किया है। योजना के हिसाब से सबसे पहले सिचायी योजनाओं को जिस हिसाब से लेना चाहिये था उस हिसाब से नहीं लिया गया है। इसमें बड़ा रुपया खराब कर दिया। बड़ी बड़ी योजनायें ले लीं लेकिन कोई रिटर्न नहीं दे रही हैं।

योजना के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से एक दो बातें बताना चाहूंगा। हजारों लाखों रुपया शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। मकान बनाने के लिये सोसाइटी बनायी और खर्चा किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके लिये मकान निर्माण का सोचा लेकिन आपने उनके रोजगार के लिये नहीं सोचा। एक व्यक्ति के लिये अमुक जगह मकान का सोचा। आप देखिये, उसके बीबी और बच्चे और वह स्वयं बैठा है दिल्ली में जहां उसको रोजगार मिलता है जहां उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वह उस मकान को अपने पास भी रख सकेगा क्या? मकान बना भी दिया लेकिन रोजगार के बिना क्या स्थिति होगी। इसलिये मकान के साथ सरकार को रोजगार के लिये सोचना चाहिये था और उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिये। राजनैतिक तौर पर उनको खुश करने के लिये यह कर दिया। कोई आपने उनके लिये उद्योग नहीं खोला। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि सलादीपुरा में जो रॉक-फोस्फेट के भंडार बड़ी मात्रा में मिले हैं, उनके लिये एक्सपर्ट की रिपोर्ट होने पर भी आप वहां पर इसके लिये उद्योग नहीं स्थापित करने जा रहे हैं। उसको चित्तौड़ ले जाया जाय या कोटा ले जाया जाय इस प्रकार एक राजनैतिक प्रभाव पूरी तरह से चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सलादीपुरा में रखेंगे नहीं। लाखों लोग इससे लाभान्वित होते सीकर जिले के और उनके लिये यह एक वरदान होता। लेकिन राजनैतिक कारणों से आप इसको रखेंगे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातों का विवेचन करने के बजाय यह कहूंगा कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। महात्मा गांधी का यह संकल्प था कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी बनाया जायगा जिससे सही स्वराज्य के लोगों को दर्शन हो सकें। पं. नेहरू ने उसको बराबर रखा तीन बातें कीं। एक ग्राम पंचायत, दूसरी कोओपरेटिव और तीसरी एजुकेशन। हर गांव में एक सर्विस कोओपरेटिव होगी और पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों की इस सरकार ने जो गति की है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। ग्राम पंचायतें अनइकोनोमिक होल्डिंग के रूप में है और इस तरीके में है और इस तरीके में रह कर वे काम नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार न उनको चढ़ाया जा रहा है। दस साल से उनके चुनाव नहीं हुए। काई लग गयी या जंग लग गयी। है तो क्या है? सरपंच हैं तो मिनिस्टर, प्रमुख कांग्रेसियों के एजेन्ट हैं। उदाहरण पेश करना चाहूं। उपाध्यक्ष महोदय यहां विकास मन्त्री श्री हरिदेवजी जोशी

(श्री झाबरमल सून्डा)

ने अनाधिकार चेष्टायें करके पद का दुरुपयोग किया । सीकर में रानोली पंचायत है । सरपंच को डिसमिस कर दिया । 409 के गम्भीर चार्ज थे । इसके बावजूद भी स्टे मिल गया । वह सरपंच के रूप में काम कर रहा है । बीकानेर में शिव बाड़ी पंचायत है । बड़े बड़े घपलों के बाद तो उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही हुई थी । लेकिन उस पर भी स्टे कर दिया गया । एक मिनिस्टर को इतना आगे जाकर स्टे करने का अधिकार है या नहीं ? मिनिस्टर को अधिकार नहीं था लेकिन यह किया गया । तीसरा उदाहरण मैं सीकर में कटरा जगह है इसका देना चाहूंगा । सरपंच को हटा दिया लेकिन स्टे कर दिया । इस प्रकार से ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट करने, उनके निष्क्रिय करने और गांव के व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकें उस चंगुल से रखने का तरीका अपनाया गया है इस प्रकार से । गांवों में रूरल इन्डस्ट्री पनपे, इकोनोमिकली गांव मजबूत हों, पोलीटिकली भी अलाइव हों षडयन्त्र करके जानबूझकर उनको इनसे महरूम रखा जा रहा है और अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

देश की और गांव की सुदृढ़ स्थिति कैसे बनेगी ? इसके लिये कोआपरेटिव मूवमेन्ट दिया गया । पं. नेहरू ने इसको सुदृढ़ करने पर जोर दिया । यदि गांव की समस्या को हल किया जा सकता है तो कोआपरेटिव मूवमेन्ट से ही हल किया जा सकता है । धड़ाधड़ देश में कोआपरेटिव सोसाइटीज खुलने लगीं । हमारी राज्य सरकार का जो रुख रहा वह यह रहा कि कोआपरेटिव न पनपें । कोआपरेटिव में लोन लेने का तरीका क्या रखा है किसान का सर्विस कोआपरेटिव शोर्ट टर्म, मिडियम टर्म और लोंग टर्म, जो आपने रखा है रिपेमेन्ट का तरीका वह इतना कम रखा गया कि उतने अंश में कमा नहीं सकती लिहाजा सारी सर्विस कोआपरेटिव्ज लिक्विडेशन में आ गई यह एप्रोच पेपर है उसमें दर्शाया गया है । मैं आपको आंकड़े पेश करता हूं ।

- 70.71 में 18,285 ।
  71.72 में 18,191 ।

सोसाइटी का नम्बर घटा है । फिर भी उत्साह घटा नहीं सदस्य संख्या 19 लाख थी वह 20 लाख हो गयी । गांव के लोग चलाना चाहते हैं लेकिन अनुदान और रिपेमेन्ट का जो तरीका है वह ऐसा रखा है कि आप सही तरीके से चलने नहीं देना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही उनका रूप चल रहा था ऊपर से । बड़ी सोसाइटीज मार्केटिंग सोसाइटीज । खाद वितरण का जिम्मा था । और लोगों की हैबिट हो गई खुद के काम में लेने की । और आज प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया । हमारा आठ परसेन्ट खर्चा आता है । मेन्योर पर टैक्स लगाकर किसानों से रुपया वसूल किया गया । पहले कोआपरेटिव वाले सारी चीजें किसान को देती थीं, अब वह काम भी प्राइवेट लोगों को दे दिया । पर्टीकूलर टाईम पर किसान को मेन्योर नहीं मिला, बीज खाद वगैरह नहीं मिला । कृषि में टाइम फेक्टर कितना बड़ा होता है, यह हम सब कृषि का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं । अगर समय पर ये चीजें किसान को नही

(श्री झाबरमल सून्डा)

मिलती हैं तो काश्त का उसका समय चूक जाता है और फिर छः महिने तक हाथ में हाथ धरे बैठे रहने के अलावा रास्ता नहीं रहता। अगली फसल तक की इन्तजार उसे करनी पड़ती है। तो टाइम के हिसाब से सामान दिये जाने में किसान को परेशानी होती है। उसको लालच दिया गया कि हम सुधरे हुए बीज तुम्हें देंगे हम मल्टीपलाई करने वाला बीज दे रहे हैं, पर जो भी दिया वह मल्टीप्लाई होने के बजाय उगा ही नहीं। अब यह काम इसलिए हुआ कि या तो ऐसे लोगों के हाथ में यह काम था जो एक्सपर्ट नहीं थे काश्तकार थे नहीं या जानबूझकर खराब बीज लिया गया और वह खराब बीज काश्तकारों को दे दिया गया। तो बीज में हो इस तरह से किसान का शोषण किया जाता है तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा।

बीज के बाद नम्बर आता है पानी का। उपाध्यक्ष महोदय, योजनाएं बड़ी बड़ी बनाई गईं। कहा गया हम बड़े बड़े बांध बनावेंगे। पर आज तक एक नहीं बना, जो बना वह किसान के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। वैसे ही पड़े हैं वे। उनमें पानी ही नहीं है। सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर के कुछ हिस्से, बाड़मेर और जैसलमेर के काफी हिस्सों में अतुल पानी का भण्डार जमीन के नीचे है ऐसा विशेषज्ञों का कथन है। पर आज के इस विज्ञान के युग में भी इस सरकार के द्वारा वह नीचे से निकाल कर पानी किसान को नहीं दिया जाता।

इस धरती को वे कहते जा रहे हैं कि यह 55 पर्सेन्ट रेगिस्तान है। अगर वैज्ञानिक उपकरणों का सही उपयोग और ईमानदारी से उपयोग किया जावे तो यह भाग भी हरा भरा बन सकता है। इजराइल हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

बरकत सरकार जब बनी तो इसकी तुलना अकबर महान् से की गई। अकबर और नवरतन कहलाये। लेकिन जब इन अकबर की योजनाएं बनीं तो वे योजनाएं तुगलक की साबित हुईं। योजनाएं मुहम्मद तुगलक की बनीं जिनसे खुद सरकार ही परेशान है और यहां के निवासी भी परेशान। हम तो हैं ही। सेन्टर को भी परेशानी में डाल दिया। 825 करोड़ का कर्जा और इस तुगलकी सरकार ने अपने सिर पर कर लिया। यह सरकार समाजवाद का ढोंग करती है। इससे तो समाजवाद भी शरमा गया, पर इनको समाजवाद का ढिंढोरा पीटते शरम नहीं आती।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने कारनामों से अच्छे अच्छे नामों को भी शरमा दिया। उनका उल्टा अर्थ हो गया। हमने उन शब्दों की डिक्शनरी बदल डाली। नेताजी महान् थे। हर किसी तुगलकी को नेताजी नेताजी कहते आज नेताजी शब्द ने अपना अर्थ ही नहीं गंवा दिया बल्कि उल्टा कर दिया। नेताजी कहना आज एक एब्यूज यानि गाली गिनी जाने लगी। अब आपने अपने कारनामों से इस समाजवाद शब्द को भी एक गाली में बदल डाला है। आज कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें इधर उधर से नहीं होते हुए भी समाजवाद शब्द को पकड़ कर ला खड़ा कर देते हैं। डेपुटेशन में ये लोग कहीं जाते हैं तो चाहे जैसी जगह हो, चाहे जैसा विषय हो समाजवाद को पकड लावेंगे और कहते

(श्री झाबरमल सून्डा)

फिरेंगे कि हम यह सब समाजवाद के लिए कर रहे हैं। आज समाजवाद शब्द के पीछे इतने पागल से फिर रहे हैं कि कहीं समाजवाद शब्द छूट न जावे इसका हर जगह ध्यान रखते हैं। अगर ये सही माने में समाजवाद की तरफ बढ़ते जाते तो आज इतनी लम्बी चौडी जो खाई गरीब और अमीर के बीच पडी हुई है वह नहीं बढ़ती। खुशहाल ज्यादा खुशहाल नहीं होता गरीब अधिक गरीब नहीं बनता। यहां तक कि सरकार के हाथ में सबसे बड़ी बात थी चतुर्थ श्रेणी को खतम कर सकती थी लेकिन हमारे यहां के कर्मचारी चतुर्थ क्लास में हैं। मैं कहना चाहता हूं आप उनको रुपये भी नहीं देना चाहते हैं तो आप इनका नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो मत रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है आपका।

श्री झाबरमल सूंडा : अभी तो उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरी है।

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद के नाम पर जो सफेद क्रान्ति की, समाजवाद के नाम पर जो हरित क्रान्ति की यह सब सफेद क्रान्ति और हरित क्रान्ति आपकी फेल हो गई और अब के मेरा निवेदन है जो इनके सहोदर भाई चुनकर आये हैं वे खूनी क्रान्ति लायेंगे। हम जो साम्यवाद के खिलाफ है, इनका बड़ा खतरा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय डिस्ट्रिब्यूशन के लिये सीलिंग लागू किया लेकिन सीलिंग से कुछ मिला नहीं जैसा सब लोगों ने माना है और अब स्टेट ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। किसी भी सरकार का उद्देश्य ट्रेडिंग से लाभ कमाने का नहीं होना चाहिये। इस स्टेट ट्रेडिंग में 21 करोड रुपया खर्च होगा और राजस्थान में 2 करोड़ होगा। अगर इसको और कामों में लगा दिया जाता तो राज्य का कितना विकास होता। और जो पांच लाख व्यापारी बेरोजगार होंगे यह भी एक समस्या उपस्थित हो जायगी। इससे कन्जूमर को भी लाभ होने वाला नहीं है और जो व्यापारी है, उनको भी परेशानी में डाल दिया है। मैं चाहता हूं स्टेट ट्रेडिंग के बजाय प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इनकी सारी योजनायें बिना विचारे ली हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाज कल्याण की तरफ जाना चाहता हूं। समाज कल्याण जैसा भावना से लगता है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ दीजिये। समाज कल्याण के लिये हमारे यहां जो मंत्री विराजमान है, एक अखबार में निकला था, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन समाज के नैतिक मूल्य, जो समाज कल्याण मंत्री जी के दायित्व में है और भी नीचे चले गये हैं। यहां इस वक्त एक और फैशन चला है। हिप्पीवाद हर एक आदमी उसका शिकार हो रहा है चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो या बिना पढ़ा लिखा आदमी हो। उसके कपड़े पहिनने के तरीके, संवारने के तरीके में ऐसा मेकअप करके आता है जैसे किसी नाटक मण्डली से आया हो। आज जो नौजवान ऐसा बनना चाहते हैं

(श्री झाबरमल सूंडा)
जैसे स्त्री दिखे तो यह पुरुषत्व को चुनौती है।

एक माननीय सदस्य : आप भी इसी तरह तैयार होकर आते हैं।

श्री झाबरमल सूंडा : मैं यह चाहता हूं हमारे समाज कल्याण मंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जिस प्रकार टर्की में कमाल अता तुर्क ने एक स्टेट में से बुरका हटा दिया। आप यह नहीं जानते होंगे कि इस पहनावे का असर नहीं पड़ता होगा। मैं मानता हूं इसका हमारे समाज पर बुरे से बुरा असर पड़ता है....

(पुनः घंटी)

एक माननीय सदस्य : इनका समय तो कभी का गया।

श्री झाबरमल सूंडा : आपका भी गया समय किसी को रुकता नहीं है।

श्री शंकरलाल : आप सोचते हैं कि आपका आने वाला है ? आपका तो कभी नहीं आएगा।

श्री झाबरमल सूंडा : मैं मानता हूं जिस राज्य में बजट के हिसाब से प्रति व्यक्ति रोजगार नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य पुनः नियोजन की क्षमता पैदा नहीं कर सका हो और जो उत्पादन बढ़ाने की क्षमता न रखता हो और जिसकी प्रतिभा कुण्ठित हो गई हो, जिस प्रान्त का मानव आज दाने दाने को तरस रहा हो ऐसे बजट भाषण का मैं समर्थन नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञान सिंह चौधरी !

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के भाषण का स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट जिन विषम कठिनाइयों में रखा गया उसमें यथा स्थिति के संघर्ष करने के सिवाय चारा कुछ नहीं था। जैसा वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में स्वीकार भी किया है कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति नाजुक दौर में है। एक तरफ अकाल, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तरफ अकाल पर व्यय, योजनाओं पर व्यय। इन परिस्थितियों के बावजूद भी वित्त मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर आर्थिक सन्तुलन और विकास के लिये जो प्रयास किया है, इसके लिये मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद खण्डसारी, रेयन और शहरी सम्पत्ति 50 हजार से शहरी भूमि व मकानों की सम्पत्ति के ऊपर का कर लगा कर बजट को कुछ समाजवादी और कुछ गरीब तबकों के कल्याणकारी करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जब हम देखते हैं आज जो बजट आया है जनता की आशा व आकांक्षाओं से भिन्न है क्योंकि आज जब हम देखते हैं एक तबका बहुत गरीब है और उसके उत्थान के लिये प्रयास करना बहुत आवश्यक है। गरीब गरीब बनता जा रहा

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

है और जो अमीर है, और जिन्होंने सरकारी साधनों से ज्यादा फायदा उठाया है और सरकार के जरिये विकसित हुये हैं उनसे कुछ लेकर गरीबों को फायदा दिया जा सकता था। आज बजट इस दृष्टि से भिन्न है और वित्त मंत्री जो ने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया है जिन लोगों ने सरकारी साधनों से फायदा उठाया है उनसे कुछ लेकर गरीब तबके के लोगों को फायदा देंगे। लेकिन जो गरीब और अमीर की खाई पाटनी चाहिये थी वह नहीं पाट सके हैं।

इसके लिये हमें बहुत आवश्यक है कि जो गरीब तबका है उसके कल्याण के लिये हम अमीरों पर ज्यादा हैवी टैक्सेज लगावें और उसके कल्याण के लिये ज्यादा यवस्था करते, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष उथल पुथल का था इसी वजह से नये टैक्स नहीं लगाये हैं। चतुर्थ योजना काल का अन्तिम वर्ष है और पांचवी योजना का शुरू होना है और वित्त आयोग को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस सरकार ने यह सोचकर ज्यादा कर नहीं लगाये होंगे कि आर्थिक व्यवस्था के लिये खराब होता लेकिन जहां तक हम सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से बात करते हैं अवश्य ही बजट का आर्थिक सन्तुलन किया गया है लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से सामाजिक न्याय जो गरीब को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है।

आज सबसे बड़ा संकट है एक अकाल का और दूसरा केन्द्र के करजे का है। उसके बाद बेरोजगारी और मंहगाई का। जब हम यह देखते हैं कि बीस साल के अन्दर अकाल का स्थायी हल नहीं निकाल पाये और हालत और बिगड़ती गई है। तो केन्द्र से जो कर्जा लिया, इसको जहां तक मैं सोचता हूं बट्टा खाते नहीं लिखा गया तो राजस्थान के सामने अकाल की स्थायी हल की समस्या से जूझने का कोई चारा नहीं है। क्योंकि पैसा विकास की वजाह कर्ज का देना पड़ेगा इसका व्याज भी दें तो वह व्यवहारिक दृष्टि से इतना होगा कि हम विकास नहीं कर सकते। हम देखते हैं अकाल आये साल पड़ते हैं और इससे राजस्थान की अर्थ व्यवस्था गड़बड़ हुई है उसका हल ढूंढना आवश्यक है। अगर अकाल का स्थायी हल नहीं निकल पावेगा तो कितनी ही योजनायें बनायें, कितने ही जनता पर टैक्स लगायें राजस्थान की विकास योजना आगे नहीं बढ़ सकती है, लोगों की पर केपिटा इन्कम नहीं बढ़ सकती है, राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। जो सिंचाई के साधन हैं चाहे भू-जल व भूप्रवाह जल के हैं उनका एक्सप्लोइटेशन करना होगा। जो प्रकृति सम्पदायें हैं उनको खोजना होगा। इस प्रकार सम्पदायें जुटाने से राजस्थान को जनता को आर्थिक फायदा होगा। हम जब तक सिंचाई के साधन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी, क्योंकि राजस्थान जैसे कृषि प्रधान देश के लिये सिंचाई बहुत आवश्यक है। राजस्थान में सिंचाई के साथ साथ बिजली का उत्पादन बहुत आवश्यक है और बिजली के बिना कुओं से सिंचाई नहीं हो सकती है और जो विकास के अन्य साधन जैसे कुटीर उद्योग व अन्य बड़े उद्योग वे भी बिजली के बिना नहीं हो सकते हैं इसलिये बिजली का विकास

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

सिंचाई के लिये और अकाल के स्थायी हल के लिये उद्योग धन्धों के विकास के लिये आवश्यक है। मैं इस बात को मानता हूं इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के 67 करोड़ के बजट में से 39 करोड़ के करीबन इस आर्थिक कठिनाई को देखते हुये सिंचाई व बिजली पर खर्च किया है। मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

एक बात इस बजट में देखने को मिली और वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हम जो सूखे से पीड़ित जिले हैं मई के अन्त तक उनके लिए योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाये जिससे कि सूखे की स्थिति से हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं एक बात पर अचम्भा करता हूं कि राजस्थान में अकाल कोई नई चीज नहीं है और सन् 52 से सरकार सत्ता में है तभी से यह अकाल की सी स्थिति चल रही है लेकिन आज तक क्यों नहीं सोचा गया इसके लिए। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस साल के बजट में इसके लिए कुछ कहा गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस साल इस स्थिति को अनुभव किया कि सूखे की स्थिति का जब तक योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से हल नहीं निकलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चाहे हम कितनी योजनायें बनालें, सिंचाई की व इलैक्ट्रिसिटी की योजना बना लें लेकिन जब तक हम इनके इम्पलीमेन्टेशन की सही मशीनरी नहीं लगा सकेंगे तब तक हम इसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सरकार की नीति तो स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में अकाल की समस्या दूर हो लेकिन हमें लगता है कि इन योजनाओं में कहीं न कहीं क्रियान्विति में गड़बड़ी है। जो हम टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाते हैं उनमें सफलता नहीं मिलती। क्रेश प्रोग्राम और डी. पी. ए. पी. का पैसा लैप्स हो जाता है, कभी बिजली का हो जाता है, कभी राजस्थान कैनाल का लैप्स हो जाता है। जब हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान में पैसे का संकट है फिर भी हमारा पैसा लैप्स हो जाता है और काम पूरे नहीं होते हैं। इसके लिए हमको सजग रहना चाहिए और कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी की इस मामले में गड़बड़ी मिलती है और वह इम्पलीमेन्ट नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी की है। इस बेरोजगारी की समस्या के बारे में इसमें कुछ विवरण दिया गया है। 5 लाख बेरोजगार शिक्षितों के लिए केन्द्रीय सरकार योजना बना रही है। और उसमें हमारा भी हिस्सा मिलने वाला है। बजट भाषण में डाक्टर, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स इन्जीनियर्स और ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को स्टाइपेण्ड देने की योजना चालू रखने के लिए कहा गया है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस गति से बेरोजगारी बढ़ रही है क्या उस गति से उसको रोकने की व्यवस्था की जा रही है? आज हम देखते हैं कि डाक्टर, इन्जीनियर या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवक बेकार हैं अगर हम उनको बेरोजगारी

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

भत्ता (स्टाइपेण्ड) देते है तो राज्य के ऊपर बहुत बड़ा भार हम डालते हैं क्योंकि यह स्कीम (अन-प्राडक्टिव है) अन-उत्पादक है और इससे हमें राजस्थान के विकास में सहयोग नहीं मिलता । इसलिए यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी हम रोजगार दें वह प्राडक्टिव हो । इसके बाद सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि हम आगे आने वाली बेरोजगारी को कैसे रोकें और जो वर्तमान में बेरोजगारी है उसको कैसे दूर करें ? यह दो अहम प्रश्न हैं । आज हम देखते हैं कि एक तरफ तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है और जो बेरोजगार हैं उनको भी धंधा नहीं दे पा रहे हैं । तो इसके लिए सोचना चाहिए कि आइन्दा जो हमारे शिक्षित बेरोजगार निकलें उनके लिए हम कैसी शिक्षा दें जिससे कि उनको अपनी पढ़ाई से आने के तुरन्त बाद धंधा मिल सके । इसके लिए केन्द्र सरकार भी सोच रही है लेकिन इसके बारे में राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए । अगर हम शिक्षा प्रणाली के जरिये यूनीवर्सिटीज में सिर्फ डिग्रियां देने का कार्यक्रम रखें तो हमारे आगे और जो गम्भीर सिचुएशन आने वाली है । आज ठीक है कि हायर सेकेण्ड्री के बाद बी. ए., एम. ए. और लॉ करते हैं लेकिन उसके बाद धंधा नहीं मिलता इसलिए हायर सेकेण्डरी एजुकेशन के बाद ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लड़के आगे जायें तो उनको

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

व्यावसायिक ट्रेनिंग मिले और बेकार के रूप में नहीं बल्कि रोजगार के रूप में निकलें और हमारे राजस्थान के विकास में कुछ योगदान दे सकें, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमें अपनानी होगी ।

हमारे यहां जो सबसे निचला तबका है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है । इसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जहां तक मुझे याद है आजादी के बाद 25 सालों में जो विकास इस वर्ग का करना चाहिए था वह नहीं कर पाये । इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने प्रयास किये हैं लेकिन इसकी जड़ों में गड़बड़ी है वह यह है कि लोगों को राजनैतिक अधिकार तो मिले लेकिन उनको कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है और वह सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिए इसके लिए सरकार को बीड़ा उठाना पड़ेगा कि इस तबके में सामाजिक जाग्रति लाये । इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उनके लिए अलग से बिजली, नल आवास सुविधा आदि पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं और उनको जमीन देने की भी व्यवस्था करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जो भूमि अलाट की जाती है आज उनके पास साधन नहीं होने की वजह से वह उसकी जुताई तक नहीं कर सकते । इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि यह सारे काम का दुबारा से रिव्यू किया जाये कि जो शिड्यूल्ड-कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासी लोग हैं हम उनका आज 25 साल में भी विकास क्यों नहीं कर पाये और क्या कमियां है इसके लिए एक कमेटी बनाकर

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)
सारी समस्या का रिव्यू होना चाहिए और वास्तविकता में जो कमियां हैं उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत।

श्री रामचन्द्र रोत (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे पहला बार जो सदन में बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 1973-74 का बजट सदन में पेश किया उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है कि राजस्थान में एक तरफ अकाल है, एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है, एक तरफ मंहगाई बढ़ रही है लेकिन बजट बड़ा संतुलित ढंग से पेश किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता था कि अकाल के समय चारों तरफ त्राहि त्राहि मच रही है। डूंगरपुर जिले के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। डूंगरपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है और जिसमें से 3½ लाख आदिवासी बसते हैं। उनकी स्थिति बहुत ही सोचनीय है। इस समय जो रिलीफ के काम चलाये जा रहे हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं जो मजदूर हैं वह 20-25 हजार के लगभग लगे हुए हैं लेकिन जहां सारा जिला अकाल से प्रभावित है वहां 20-25 हजार से काम नहीं चल सकता है।

वहां अनाज की बड़ी भारी समस्या है। एक किलो या दो किलो 15 दिन या एक हफ्ते में दिया जाता है। वहां पर अनाज के मामले में सब जिलों में निकासी बन्द कर दी गयी है। एक जिले से दूसरे जिले में अनाज नहीं जा रहा है। वहां पर अनाज व्यापारियों के पास भी नहीं है, सस्ते अनाज की दुकानों पर भी नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां खाद्य मंत्रीजी ने बताया कि अनाज वहां पहुंच गया है, आज ही मुझे समाचार मिला है कि वहां पर सस्ता अनाज अभी तक नहीं पहुंचा है और यह सम्भावना की जा सकती है कि अगर समय पर अनाज उपलब्ध नहीं किया गया तो भूख से मर सकते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पेमेन्ट हो वह टाइम से हो और साथ ही अन्न की व्यवस्था के बारे में मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह जिलाधीश से इस बारे में कहें ताकि खाद्यान्न की जो समस्या है वह हल हो सके।

डूंगरपुर जिले में आदिवासी बसते हैं, जिनके पास जमीन थोड़ी है, बेरोजगार हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। थोड़े समय पहले मैं डूंगरपुर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया और वहां का दूर किया और वहां ग्राम अहाड़ा है, वहां पर रात को चोरों ने एक औरत और 3 मासूम बच्चों को मार दिया और पुलिस इसका पता लगा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं लग रहा है। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसका पति जो अहमदाबाद में सर्विस करता था, को तंग किया गया और वह भी फांसी खाकर मर गया तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि डूंगरपुर की स्थिति बड़ी खराब

(श्री रामचन्द्र रोत) ,
हो रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप पूर्ण सजगता के साथ राहत कार्यों की व्यवस्था करें।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसको मैंने अच्छी तरह से देखा। वैसे इस सदन के अन्दर आदिवासियों के लिए हर समय, चाहे विरोधी दल के नेता हों, या माननीय सदस्यगण हों, कांग्रेस पक्ष के हों बड़ी सहानुभूतिपूर्वक आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए बात करते हैं। 25 साल की आजादी के बाद हमने देखा कि प्रेक्टिकली आदिवासियों के लिए जो उन्नति हुई है या कमी हुई है उस पर यह बात सही है कि निश्चित रूप से राज्य सरकार विचार कर रही है लेकिन प्रेक्टिकल ढंग से जितना काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। पंचायतों के माध्यम से उनमें कुछ जाग्रति आई, शिक्षा का प्रचार हुआ लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई है। आप जहां तक देखेंगे कि उन गांवों के अन्दर अकाल पड़ा है तो उनके पास बराबर अन्न नहीं है। रोजगार के लिए इधर उधर तड़फ रहे हैं, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति दी, उसके बारे में निवेदन करता हूं बस्तियां बसाई हैं उसके बारे में निवेदन करता हूं कि पिछले समय में समाज कल्याण विभाग द्वारा काफी अनुदान दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई पर और जो बस्तियां बसाई गई हैं उनमें आप देखेंगे कि जो पुरानी जमाने में बसाई गईं तो उनमें पैसे का ठिकाना नहीं, पैसा किसको मिला ? बेचारे गरीब लोगों को बस्तियों में बसाया गया तो अब उनसे ऋण वसूल करने की बात करते हैं जब कि वाकई में उनको पैसा मिला नहीं है। जोरापुरा और धर्मपुरी आदि सिमलवाडा तहसील में इस प्रकार की बस्तियां हैं।

शिक्षा के मामले में मैं निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूलें खोली गईं। इसी प्रकार इस वर्ष भी आपने 2500 स्कूलें खोलने की बात बतलाई है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में हाई स्कूल नहीं हैं। प्राईमरी स्कूल खुले हैं लेकिन हाई स्कूल नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में हाई स्कूल जरूर और कालेज खोलने का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं वे अपने जिले में पढ़ सकें।

इसके साथ ही वहां पर मकानों के बारे में कहूंगा। जहां शिक्षा के बारे में आप हम सब कहते हैं वहां पर मकानों का ठिकाना नहीं है, आदिवासियों के बच्चों के बैठने के लिये टाट-पट्टी नहीं है, मकान नहीं है, जहां पर आप नई स्कूलें खोलने की बात करते हैं वहां पर जो पुरानी स्कूलें हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिये और जो अध्यापक जाते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वहां पर अध्यापक रह सकें और उसका समाज पर अच्छा असर पड़ सके।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर आदिवासियों के सुधार की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनकी प्रगति की बात करते हैं तो वहां पर उसकी जड़ में भी जाना पड़ेगा। राज्य सरकार की इतनी मेहनत के बाद भी

(श्री रामचन्द्र रोत)

उन्होंने क्यों नहीं प्रगति की इस पर विचार करना होगा। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम आदिवासियों के बारे में, हरिजनों के बारे में यह रट लगाते हैं कि उनका उद्धार हो रहा है, गरीबी मिटाने और समाजवाद का अपना नारा लगाते हैं, गरीबी हटाने का नारा लगाते हैं वहां जो योजनाएं हैं, उनको ठीक तरह से लागू नहीं करेंगे तब तक सही ढंग से यह आदिवासी और हरिजन लोग उन्नति के पथ पर आगे नहीं आ सकेंगे।

मैं डूंगरपुर जिले के उन गांवों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जहां पर सारा अकाल छाया हुआ है। वहां के 31 गांव ऐसे हैं जिनको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी आदिवासी क्षेत्र हैं और यहां पर भी वही हालत है, जो कि आसपास के दूसरे गांवों की हालत है। वहां पर भी वर्षा नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि जब सारे इलाके में अकाल की स्थिति है तो फिर इन 36 गांवों में ही इन्द्र भगवान की मेहरबानी कैसे हो गई और दूसरे इलाकों में अकाल कैसे पड़ गया? उपाध्यक्ष महोदयजी, आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर भी लोग भूख से मर सकते हैं। इस बारे में आपके माध्यम से जांच करवानी चाहिये कि इन 36 गांवों में भी अकाल है और सही माने में अकाल है, इनको अभावग्रस्त घोषित करना चाहिये। यह मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना है।

डूंगरपुर जिले के लिये मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से, सड़क और सिंचाई के मामले में निवेदन करता हूं। वैसे राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिये ध्यान देकर तालाब बनवाये हैं, सड़कें बनवाई हैं, बिजली भी लगाई है लेकिन आज भी इनकी कमी है। हमारी पंचायत समिति में बिजली लगानी चाहिये और बिजली के माध्यम से कुओं पर पम्प लगाने चाहिये ताकि आदिवासी लोगों को अधिक फायदा हो सके। एनीकट बनाने चाहिये जिससे भी फायदा हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि जो सिंचाई के तालाब हैं उनको रिलीफ में लेने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। पीट पंचायत समिति में बारन्दा का तालाब है। इसी प्रकार से बिछवाड़ा पंचायत समिति में बोहियों का नाका है, कोडियागढ़ है मेवाड़ा में। कांकडोसेल का तालाब है सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। इनका सर्वे करा कर काम कराया जाय तो अधिक उत्पादन हो सकता है। अधिक काश्तकारों को फायदा हो सकता है, इसलिए इन चीजों को लेना चाहिये।

साथ ही आदिवासी क्षेत्र के अन्दर आवागमन की दृष्टि से भी साधनों की कमी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर सीमलवाड़ा पंचायत समिति में डामरा गांव है जहां पर सिर्फ दो मिडिल स्कूल हैं और डामरा की आबादी 15 हजार होते हुए भी कोई हाई स्कूल नहीं है। कोई आवागमन की दृष्टि से साधन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर शिक्षा की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री रामचन्द्र रोत)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने उस डामरा क्षेत्र के अन्दर जो रामसर स्कूल है उसका जब उद्घाटन किया था तो दो हजार की घोषणा की थी वह अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह रुपया दिलाया जाए।

तीसरी बात माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने भादरा नदी पर पुल बांधने की घोषणा की थी लेकिन उसको अभी तक नहीं लिया गया है। उसको लेने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं।

इसके साथ ही जो राजस्थान का बजट पेश किया गया है उसमें जन जाति और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भी कुछ ध्यान रखा गया है लेकिन और भी जो सीलिंग से जमीन प्राप्त होने वाली है, जो बची खुची जमीन मिलने वाली है उसको बचा कर राज्य सरकार को गरीब किसानों को दिलवानी चाहिये जिससे इन लोगों की स्थिति में ज्यादा सुधार हो सकेगा, उन्नति अच्छी तरह से हो सकेगी, वे आगे उठ सकेंगे वरना मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी उन आदिवासियों की, हरिजनों की स्थिति वही रहने वाली है जो आज से 25 साल पहले थी। राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी और राज्य सरकार की जो मशीनरी है उसको अगर ध्यान से उपयोग लाने के बाद कुछ करेंगे तो यह काम हो सकेगा।

एक मिनिट और। समाज कल्याण विभाग राजस्थान के अन्दर हमारी आजादी मिलने के साथ ही खड़ा हुआ। इसके अन्दर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज एम.ए., बी.ए., मैट्रिक हजारों लड़के आदिवासियों के, हरिजनों के बेरोजगार फिर रहे हैं। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक समाज कल्याण विभाग में एक भी आदिवासी जाति का अफसर नहीं मिलेगा। एक भी हरिजन जाति का अफसर नहीं मिलेगा और अगर कोई उस डिपार्टमेन्ट में आदिवासी होंगे भी तो उन्हें निकालने की बात की जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए विभाग खोले गए हैं वहां पर ऐसा किया जाय कि इस तरह से पक्षपात न हो और इस प्रकार की स्थिति को दूर करने का आप प्रयत्न करेंगे। यही मैं राज्य सरकार को सुझाव दूंगा कि यदि हमने ऐसा किया तो हम हरिजनों को, आदिवासियों को अच्छी उन्नति की ओर ले जा सकेंगे। यही मुझे कहना है।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री महेन्द्रकुमार।

श्री **विट्ठलभाई** : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका मिलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : हमारा भी नाम बता दें। हम कब तक यहां बैठे रहें ?

श्री **उपाध्यक्ष** : यह आसन से नहीं अपने चीफ व्हिप से पूछिये।

(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवधान न करें। कार्यवाही को चलने दीजिये।

श्री महेन्द्रकुमार।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 73-74 का जो बजट पेश किया है उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने से मुझे यह पता लगा कि इन पिछले सालों में जिन जिन वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया था या करते थे उसमें कहीं पर भी आदिवासी और हरिजनों के लिए कोई खास उत्थान की बात नहीं कही गई थी लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट के अन्दर आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ खास बातें कहीं हैं, इसलिए मैं इसको समाजवादी बजट कह सकता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह जो कुछ बातें कही गई हैं ये सारी बातें इस बजट में ही रह गई तो यह करना बेकार हो जायगा। क्योंकि यह जो आदिवासियों और हरिजनों के लिए हमेशा कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं वे सब योजनाएं वैसी की वैसी रहीं हैं और अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। उदाहरण के तौर से मैं यह निवेदन करूं कि नल कूप हरिजनों के लिए लगाए गए, पानी के नल लगाये गये, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी नगरपालिकाएं हैं इन नगरपालिकाओं की योजनाओं को तो राज्य सरकार ने अब समाप्त कर लिया है और अब उनका ध्यान गांवों की तरफ गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिला आदिवासी एरिया है, उदयपुर जिला आदिवासी एरिया है, ऐसे ही दूसरे भी जिले हैं जहां आदिवासी एक जगह एक गांव में इकट्ठे नहीं रहते हैं। वे आदिवासी अलग-अलग पहाड़ियों पर रहते हैं। एक इस मगरी पर, तो दूसरा दूसरी मगरी पर और तीसरा तीसरी मगरी पर रहता है। इस तरह से बसे हुए हैं। यह जो योजनाएं हैं आप भी इनकी आप सर्वे कराएंगे। इसके लिए आफिसर जाएंगे। वे जाकर इसको देखेंगे और यह कहेंगे कि आदिवासी एरिया बिखरा हुआ है। उनको किस तरह से नल देंगे। यह सही बात है। नगरपालिकाओं के लिए जो नल योजनाएं हैं वे सारी की सारी आप आदिवासी एरिया के लिए लागू कर दें तो भी घर-घर पर नल नहीं लग सकते हैं। इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि नल घर पर नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन हर गांव को उसकी आबादी के ढंग पर एक कुआ, दो कुआ इस तरह से बना देंगे, इस तरह के नलकूप वहां पर लगा देंगे तो लोग उन कुओं पर जाकर ताजा पानी पी सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी भी कई तरह की योजनाएं हैं आदिवासियों के कल्याण के लिए। ये क्यों नहीं सफल हो पायी हैं? हमें समाजवाद को लाना है। गरीबी हटाओ का नारा हम लगाते हैं। 25 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों में अभी तक गरीबी को नहीं हटा पाए हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। यह जो गरीबी है उसको किसी टोकरे में, गाड़ी में भरकर क्या आप दफनाने जाएंगे? क्या इसको इस तरह से हटाया जाएगा। इस तरह का न तो समाजवादी बजट हो

Page No 88

(88)

(श्री महेन्द्र कुमार)
बनाया गया है और उधर अकाल ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। अकाल भी आकर खड़ा है, तैयार है वह कह रहा है कि किस तरह आप समाजवाद लाते हैं, किस तरह से गरीबो को हटाते हो। मैं सब तरफ मौजूद हूं। तो इन सबके अन्दर आप किस तरह की व्यवस्था करेंगे? सरकार किस तरह से अपनी योजनाओं को सफल बनाएगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है।

वित्त मंत्री महोदय ने जो बात कही है बिजली के बारे में कि वे बिजली को गांव गांव में पहुंचा देंगे। गांवों को अधिक से अधिक बिजली दी जाएगी। परन्तु आज हालत क्या है? जैसा कि मैंने नल के बारे में कहा है वही हाल इसका है। डूंगरपुर-बांसवाड़ा में लोग अलग-अलग बसे हुए हैं। वह पहाड़ी प्रदेश है और इसकी वजह से वहां पर छोटी-छोटी जमीनें हैं। दो दो मील की दूरी है। बिजली वाले सर्वे के लिए आते हैं तो यह कहते हैं कि कुए बड़े दूर दूर हैं। तो गांवों में किस तरह से बिजली पहुंचा सकेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिए से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना है कि राष्ट्रपति ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा को शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया घोषित किया है, उस शिड्यूल्ड एरिया की कितनी मुसीबतें हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार को योजनाओं में परिवर्तन करना भी पड़े तो करना चाहिए और आदिवासियों को हर तरह से राहत पहुंचानी चाहिए। डूंगरपुर जिला पहाड़ी प्रदेश है। वहां पर लोगों के पास न तो सिंचाई के साधन या और न नहरें ही हैं और न अच्छे] तालाब हैं। राजस्थान कैनाल के लिए भारत सरकार अपनी ओर से खर्चा कर रही है उसी तरह से आदिवासी एरिया में चाहे राजस्थान कैनाल आवे या न आवे तो भी दूसरी योजनाएं इस तरह की बनानी चाहिए जिससे आदिवासी लोगों को सिंचाई के लिए नहरों से पानी मिल सके। राजस्थान में दूसरी जगह बड़े बड़े बांध हैं, उनकी नहरों से पानी मिलता है लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर ऐसे जिले हैं जहां पर कि इस प्रकार के कोई बांध नहीं है। कम से कम आदिवासियों को सिंचाई की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टी से इस तरह के साधन उपलब्ध कराने चाहियें जबकि कोई साधन वहां पर सिंचाई के लिए नहीं है। इसलिए इन जिलों के लिए यदि प्रदेश की बड़ी योजनाओं की तरह कोई योजनाएं नहीं हैं तो छोटी छोटी योजनाएं बनानी चाहिए और उनको बना कर इन एरियाज के लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

शिक्षा के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने काफी कहा है। नये स्कूल खोले जाएंगे, नये भवन बनाये जाएंगे यह खुशी की बात है। शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है अ और शिक्षा होगी तो हमारा प्रदेश, आगे बढ़ेगा। इसलिए यह तारीफ करने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर, डूंगरपुर जिले में अकाल की स्थिति है। मेरे साथी ने अभी यहां पर जिक्र किया था। मैं भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले में वास्तव में भयंकर अकाल

(श्री महेन्द्र कुमार)

है। यह सिर्फ डूंगरपुर ज़िले में ही नहीं है बल्कि उदयपुर और उसकी जो तहसीलें हैं खेरवाड़ा तहसील, फलासिया तहसील, कोटड़ा तहसील, इन सब तहसीलों में डूंगरपुर जिले के समान ही भयंकर अकाल की स्थिति है। लोग भूखे मर रहे हैं। आदिवासी पढ़े-लिखे न होने के कारण अपना दुःख प्रकट नहीं कर सकते हैं। वे सिर्फ एक दूसरे से मिल कर ही रह जाते हैं। तो मैं वहां के बारे में आपको क्या बताऊं? सरकार ने वहां पर अकाल राहत कार्य खोले हैं लेकिन अब भी वहां पर जो कार्य चल रहे हैं वे अपर्याप्त हैं। आपने जितने मजदूर लगाने चाहिये वह नहीं लगाये हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वह अपर्याप्त है। पहली तारीख की बात है। मैं सारे जिले का दौरा करके आया हूं। वहां पर जितने कार्य चल रहे हैं उन सब को मैंने देखा है। वहां पर लोगों ने यह शिकायत की कि पेमेन्ट नहीं हो रहा है। दो महीने हो गए। बल्कि जहां पर मेड़बंदी का कार्य हुआ है उनको तीन महीने से मजदूरी नहीं मिली है। पेमेन्ट के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ है, दुःख है। इनके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अकाल राहत मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि पेमेन्ट के लिए जल्दी करावें। वैसे उन्होंने अभी यहां पर अपने भाषण में कहा। उनके भाषण से हमें पता लगा है कि जल्दी से जल्दी सब तरह की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह सब यहां पर सुनते हैं और वहां जाते हैं तो यह सुनने को मिलता है कि पेमेन्ट नहीं हो रहा है। अनाज नहीं मिल रहा है। अकाल की स्थिति है और अनाज नहीं है। बाजार में अनाज मंहगा है, गरीब उसको नहीं खरीद सकते हैं। मक्का, गेहूं सवा रुपया किलो बिक रहा है। इस तरह से अनाज की मंहगाई है और इधर उनको दो-तीन महीने से पेमेन्ट नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को गरीब आदिवासी किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक जगह मैंने देखा, एक औरत मजदूर काम कर रही थी वह काम करते करते गिर गयी। पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास रोटी नहीं आई। आज भी रोटी नहीं आयी। हमने पूछा पैसा मिलता है? नहीं। काम पूरा नहीं करती होगी? उसने कहा आप सब लोग यह कहते हैं हम काम पूरा नहीं करते, पूरा काम करो और पूरा पैसा लो हम काम पूरा कर रहे हैं लेकिन मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है। एक रुपया भी एक दिन का मजदूरी नहीं मिलती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की अव्यवस्था है जिसके लिए सरकार को मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

खाद्य मंत्री ने कहा कि वे अनाज डूंगरपुर जिले के लिए भेज रहे हैं। डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले में अनाज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज ही और अभी अभी समाचार मिले हैं कि डूंगरपुर में अनाज नहीं मिल रहा है। एक किलो से ज्यादा अनाज नहीं मिल रहा है। लोग तकलीफ पा रहे हैं। दूसरी ओर जो सप्लाई विभाग है, उसके अन्दर जितने भी कर्मचारी हैं,

(श्री महेन्द्र कुमार)

आफिसर हैं उनकी मैं निंदा करता हूं और यह मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों को और इन अधिकारियों को बदला जाए तब जाकर के डूंगरपुर में अनाज के बारे में सुविधा होगी। अगर यही कर्मचारी यहां पर रहे तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को चाहे सरकार अनाज के लिए कितनी ही अच्छी व्यवस्था करे, अनाज के बारे में सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए इन कर्मचारियों का वहां से हटाया जाए। ये जो नीचे के लोग हैं वे अपनी मनमानी करते हैं और उसके कारण लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। सस्ता अनाज होने से क्या होगा। वहां के व्यापारी हैं, वे व्यापारी अनाज लेने के लिए जाते हैं तो उनको अनाज नहीं दिया जाता है। एक बार सभी व्यापारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा सरकार ने यह क्या कर रखा है। दो दो, चार चार दिन तक पैसा भरने के बाद भी उनको अनाज नहीं दिया जाता है। अनाज नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है। मैंने पूछा बताओ आफिसर साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हम आपको क्या बतावें। क्या बात कहें। कैसे कहें। मैंने कहा, कहो कहो नहीं तो हम कैसे मालूम होगा-क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, कहते हैं दक्षिणा दो। दक्षिणा चाहिए और जो दक्षिणा देगा उसको हम पहले अनाज देंगे। जो दक्षिणा नहीं देगा उसको नही देंगे। जिसके दस बोरी अनाज की देनी है, मक्का की देनी है, गेहूं की देनी है तो उसको पूछेंगे कि पहले दक्षिणा दो जिसने यह दे दी उसको 15 बोरी गेहूं, मक्का की दे देंगे और उसको इस तरह से 15 बोरी और मिल जाएगी। लेकिन दक्षिणा नहीं देंगे तो 5 बोरी माइलो, 5 बोरी मक्का या 5 बोरी गेहूं, होगा वह दे दिया जायेगा। इस प्रकार के लोगों को पाल रखा है। कई व्यापारियों ने इसी कारण से इस्तीफे दे दिये हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आदिवासी भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ही कई व्यापारियों ने अनाज लाने का व्यापार छोड़ दिया है। व्यापारी वहां पर अनाज लेने के लिए जायें। होटलों में पड़े रहें। उन लोगों को दक्षिणा दें। तब अनाज मिलेगा। अगर कोई बेईमानी की तो मुसीबत होगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सप्लाई विभाग के बारे निवेदन करता हूं, उनको वहां से तुरन्त बदल दिया जाये। दूसरे आफिसर जो ईमानदार हों, उनकी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा !

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश किया गया है, उसको पढ़ने के बाद यह अहसास होता है कि हमारे कदम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में अकाल का जिक्र किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में लगभग 300 गांव अकाल में आये हैं। 8 हजार के लगभग परिचय पत्र बंट चुके हैं। जो वहां की संख्या के हिसाब से बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां पर

(श्री हरलाल मीरा)

एक महीना होने को या है, पेमेण्ट नहीं किया गया है। अनाज भी वहां बहुत कम है। आज ही वहां की पंचायत समिति के प्रधान आये थे, उन्होंने बताया कि लोग दो दो दिन भूखे पेट काम कर रहे हैं। बाजार में अनाज लेने जाते हैं तो पैसा नहीं है। बाजार में मक्का सवा रुपये में एक किलो मिल रही है। वहां पर ऐसे लोगों को रखा जाता है, जो यह कहते हैं कि तुम को जो पैसा मिले उसमें इतना पैसा हमको दोगे, तभी काम पर लगाया जायेगा। एक तरफ गरीब लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ काम पर लगाने वाले वाले लोग पैसा मांगते हैं। यह तो ठीक नहीं है। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ के बारे में जो अनाज की बात कही है वहां भी ऐसा ही चल रहा है। उनको कहा जाता है कि यह मेरे को मंहगा पड़ गया है। इसलिए इतना देदो तो बराबर हो जाये। तुम अनाज ले जाओ। वह व्यापारी कहां से दे। आखिर भटकता रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को तुरन्त ही विशेष कदम उठाने चाहिए। माननीय खाद्य मंत्रीजी के भाषण को सुना है। उन्होंने कहा कि हमने यह कर दिया है, वह कर दिया है। लेकिन समस्या सामने है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जिक्र आया है। कहा गया है कि उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रतापगढ़ पहाड़ी एरिया है। लोग पिछड़े हुए हैं। वहां पर 25 वर्ष की आजादी के बाद भी लोग गन्दे नालों का पानी पीते हैं। इससे उनके जून जुलाई में नारू निकलता है। वह आदमी गिर जाता है। खेती में बराबर काम नहीं कर पाता है। बड़ा गहरा धक्का लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा का जिक्र आया है मुझे मालूम है, पंचायत समितियों के अनुसार, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार प्राथमिक शालाएं पंचायत समिति के द्वारा खोली जाती है। वह बन्द कर दी गई है। लेकिन प्रतापगढ़ में जो प्राथमिक शालाएं हैं, वह समाज कल्याण विभाग चलाता है। उनको अब बन्द करने का निर्णय लिया गया है। वहां पर पिछड़ी हुई बस्ती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां आदिवासी पिटते जा रहे हैं। अभी अभी हमें मालूम हुआ है कि ऐसे आदिवासी जिनको मजदूरी नहीं मिली है, वह जंगल से सूखी लकड़ी काट कर बेचते हैं। लेकिन वहां पर एक पार्टी पहुंच गई है और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। एक तरफ तो जंगल के जंगल काट लिए जायें। सारी की सारी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन एक भूखा आदमी जंगल से लकड़ी काटता है तो पकड़ा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह देखना चाहिए कि जो जंगल से सूखी लकड़ी काटता है तो उसके साथ में मारपीट नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहूंगा, समाज कल्याण विभाग है, वह पिछड़े हुए लोगों के लिए कार्य करने के लिए है। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए कार्य करने के लिए है। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के कारण शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की बात करना बहुत दब गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जन-जाति का विभाग अलग होना चाहिए। जोकि अलग से शिड्यूल्ड ट्राइब्स

(श्री हरलाल मीणा)
के लिए काम करे और उनके हितों पर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं!

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट विचारार्थ है उसका समर्थन करने हुए माननीय वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि बजट में मेरी दृष्टि में कुछ और जोड़ा जाना चाहिए, या रख देना चाहिए। डेमोक्रेसी में, उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी की हुकूमत होती है और पार्टी की कुछ रीति नीति अपनी होती है और कुछ घोषित उद्देश्य होते हैं। तो जब से हमने गरीबी हटाओ का नारा लगाया है, समाजवाद लाने की बात कही है उसके बाद, मैं समझता हूं, कि चुनिन्दा अपनी विधान सभा में आपका यह दूसरा बजट है, इस बजट में, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा प्रयत्न किया गया है, शहरी सम्पत्ति पर थोड़ा टैक्स लगाने के बाबत परन्तु ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को यह बात याद आयी और लिखते लिखते थोड़ा स्लिप आफ पेन हो गया, इसलिए एक सीमा तक कह कर फिर रुक गये, जब कि और भी सम्पत्ति और भूमि पर सीमायें, इतने से इतने तक, इतने से इतने तक ऐसा तय कर देते तो हो सकता था, लेकिन वह नहीं कर पाये।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे बहुत बड़े दल, और दल में ही नहीं, राजस्थान सूबे में कोई ऐसी कान्स्टीट्यूएन्सी नहीं है जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं रहते हों, और वह कोई न कोई एक स्वरूप किसी को हराने और किसी को जिताने में नहीं बनते हों। हमारे यहां जो समस्यायें हैं उनकी, उन पर इस बजट में महज एक विभाग खोल कर किसी सीमा तक कह दें, इतना रुपया पानी देने के लिए, इतना रुपया बिजली लगाने के लिए रखते हैं, इतना छात्र वृत्ति देने के लिए रखते हैं यह एक तरह से उनका उपहास है। हमारे सामने हरियाणा स्टेट का उदाहरण है वहां उन्होंने सोचा, हर एक गांव को सड़क से जोड़ना है, तो एक साल में योजना बना कर गांवों को सड़क से जोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि बिजली देनी है तो योजना बना कर एक साथ दे दो। तो जैसे अकाल की स्थिति है राजस्थान में तो हम इसे प्राथमिकता देकर इससे निपटने की कोशिश करते हैं, बाढ़ से निपटने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारी पार्टी और हमारी गवर्नमेंट यह महसूस नहीं करती है, आप किसी आबादी में जायं, हिन्दुस्तान में बहुत सी आबादी बसती है लेकिन जो लोग बिल्कुल अलग जगह बसते हैं, जहां पर जगह बहुत खराब है, उसको रहने के काबिल बनाने के लिए एक साथ बजट में प्रावधान रखें। यह बडी भारी गलती रही है। ऐसा किया जाता, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े परिवर्तन की बात जो चुनाव के दिनों में समाज में की गयी है या करते रहे हैं, उनके प्रति लोगों में विश्वास जमता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। हमने कुछ पैसा रखा है, वह पैसा

(श्री दीपंकर)

म्युनीसिपल बोर्ड और गांव की पंचायतों में जायगा और जिसकी ज्यादा चलेगी, एक तरह वहें तो कहा सुनी के आधार पर उस पैसे का बंटवारा होगा। इससे दूसरे लोगों में ईर्ष्या पैदा होगी कि तमाम लोगों के भले के नाम पर चन्द लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे पार्टी की तो बदनामी होगी ही, साथ ही कार्यक्रम है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, इससे वे विमुख रहेंगे। यह कमी इसमें रही है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बना कर पंचायत की रूप रेखा के लिए जानकारी चाही है कि पंचायतों को कैसे चलाया जाय? दूसरी ओर कतई इस बजट में प्रावधान नहीं रखा है। गांवों में पंचायत के जरिये जो टूटे हुए बेरों की मरम्मत करवाते हैं, कहीं पर इस तरह की कोशिश करते हैं कि साण्डशाला बने, साण्ड के लिए पैसे देते हैं, कहीं पर और कई काम करवाते हैं—इन सबको इसमें व्यवस्था नहीं है। नहीं होने की वजह हम समझते हैं कि हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी, सुना है, महाराष्ट्र के पैटर्न पर थ्री टायर सिस्टम लाने जा रहे हैं। चाहे जो अपना लें लेकिन फिर भी गरीबों के लिए इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी तरफ तवज्जह नहीं दी गई है।

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान और खींचना चाहूंगा, वह यह है कि हमारी चाहे जैसे आर्थिक स्थिति हो, इसमें शक नहीं है कि सरकार का दृष्टिकोण उदार है, बहुत अच्छा है और यह एक विषय में कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए रकम रखी गई है। परन्तु सम्पूर्ण कार्य के अन्दर एक बड़ी भारी विडम्बना यह है कि किससे उसे पूरा कराना चाहते हैं। जनता के सामने जवाब तो मैं जन प्रतिनिधि और जो सरकारी योजना है उसको पूरा करने को जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ रखी है वह सरकारी मशीनरी के ऊपर है, सरकारी मशीनरी, जिसका आज तक का धन्धा रहा है, पार्टी के कार्यक्रम की भद्द उड़ाई जाय, उसकी मखौल उड़ाई जाय, उसको फेल किया जाय। मैं समझता हूं कि बारह महीने हो गये, समाजवाद का नारा लगा कर जन प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाते हैं, पहले एक तरह का यह सम्बोधन होता था। वित्त मंत्री ने जन प्रतिनिधियों की मदद में यह घोषणा की है कि सरकार समाजवाद लाने के लिए घोषित नीति जो भी हमारी है, उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शंका जाहिर होती है कि सरकार इस संकल्प को पूरा करने में सफल होगी क्योंकि समाजवादी दृष्टिकोण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मौजूदा सड़ी गली मशीनरी है, इस मौजूदा सड़ी गली सरकारी मशीनरी से यह पूरा नहीं होना है। इसके लिए समाजवादी दृष्टिकोण की सरकारी मशीनरी चाहिए। इस ओर तवज्जह नहीं दी वित्त मंत्री ने और तवज्जह नहीं दी तो इसमें शक नहीं कि इसका भी वही हाल होगा जो हाल हमारे और कार्यक्रमों का होता रहा है।

मैं एक और निवेदन करूं, गत वर्ष आर्थिक संकट को मानते हुए कुछ विभागों

(श्री दीपंकर)

में आर्थिक कटौती की थी। एक तरफ हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां अन्न उत्पादन बढ़े, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति खराब रही, इसलिए यह निर्णय हुआ कि पंचायत समिति में एक से अधिक व्यक्ति एक पद पर काम कर रहे हैं तो एक पद को वहां से समाप्त कर दिया जाय। लाडनूं पंचायत समिति में एक एक्सटेंशन आफिसर का पद था, एक साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ कार्यक्रम शुरू हुए थे, व स्टर प्रोग्राम, एनीकट प्रोग्राम-कितनी ही स्कीम चल रही थी, लेकिन उस तरफ तवज्जह नहीं दी और उस पद को समाप्त कर दिया जब कि यह निर्णय यह था कि दो एक्सटेन्शन आफिसर हों तो एक को समाप्त करना चाहिए। यह एक उदाहरण में पेश करना चाहिए। इस तरफ जो जन प्रतिनिधि हैं वह देख नहीं पाते और जो सरकारी मशीनरी इस काम के लिए है वह देख नहीं पाती इसके कारण से उत्पादन गिर गया है। यह उदाहरण मैंने आपको दिया है। समाजवाद लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम हैं, जिन्हें हम गरीबी हटाने के लिए चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए जब तक समाजवादी दृष्टिकोण वाली सरकारी मशीनरी तैयार नहीं होगी, सरकारी मशीनरी का दिमाग इस तरह का तैयार नहीं होगा जिसे कि वह कार्यक्रम चलाने हैं, तब तक वह कार्यक्रम फेल होते जायेंगे। मुझे याद पड़ता है कि जब जागीर प्रथा समाप्त की गई थी, उस वक्त यह आदेश जारी हुआ था कि अमुक तारीख को अमुक बजे, बीट आफ ड्रम्स से, प्राक्लेमेशन से यह घोषणा कर दी जायगी कि जागीरें ले ली गई हैं, जागीरें रिज्यूम कर ली गई हैं और जैसे ही घोषणा हो जायगी, जागीरें समाप्त हो जायेंगी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे, जहां पर कि यह घोषणा नहीं हुई। इसलिए दूसरी तारीख मुकर्रर करनी पड़ी, संविधान में दिये गये आश्वासन के आधार पर। इसलिए जो मशीनरी है, वह समाजवादी दृष्टिकोण में यदि विश्वास नहीं करती है तो वह समाजवादी कार्यक्रम को पूरा कर देगी-इसमें शक है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए जरूरी है कि समाजवादी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हम समाजवादी दृष्टिकोण वाली सरकारी मशीनरी बनायें। हमने यह सोचा कि देश में गरीबी है, उसको मिटायें बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। गरीबी को मिटाने के लिए हमने इस देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, और बेकारी को दूर करने लिए विश्वास दिलाया था। हमने कहा था कि हर स्तर पर जो दस्तकार हैं, जो बेकार हैं उनको हम पैसा देंगे। आज गांवों की तस्वीर को देखिये, वहां पर लुहार बैठा है, बढ़ई बैठा है जुलाहा बैठा है हर तरह के कारीगर बैठे हैं आपने किसी को पांच सौ पैसे भी दिये। पैसा नहीं दिया गया तो फिर धन्धा कैसे चल सकता है। हमने कोपरेटिव सोसाइटी बनाई, लेकिन हर गांव में जो इन धन्धों को करने वाले आदमी हैं, उनको ऋण मिल नहीं पाता है और न ही वे कोपरेटिव बना पाते हैं, क्योंकि एक धन्धे के काम को करने वाले आदमी मिल नहीं पाते हैं, दूसरे जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं वह झगड़ा करते हैं। इसलिए लोगों में कोपरेटिव के प्रति आस्था नहीं है। फिर सोचा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिये से पैसा दिलवायेंगे

(श्री दीपंकर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं, बैंकों के बारे में घोषणा हो गई कि बैंक से कम दर पर रुपया मिलेगा, लेकिन वह भी लोगों को नहीं मिला है। आज भी सूदखोर और साहूकार जब कि साहूकारी का धन्धा कानूनन बन्द है, की गुलामी में वह लोग अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। मैंने पिछले बजट भाषण के वक्त निवेदन किया था, यदि हमारा दृष्टिकोण समाजवाद लाने का है, यदि हमारा दृष्टिकोण नीचे के तबके के लोगों को ऊंचा उठाने का है तो जो लाइसेन्स लेने का कानून बना रखा है, वह दुखद है क्योंकि कितना ही ब्याज लिखें, साहूकार वसूल उससे ज्यादा करते हैं इसलिए साहूकार जो गरीबों का शोषण कर रहा है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। यह समाजवाद के दृष्टिकोण के विपरीत कानून है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक बात की ओर और मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अपने विचारों को थोड़े में समाप्त करूंगा। यह जरूरी बात है कि हम किसी तरह से समाजवादी दृष्टिकोण को तभी अमली रूप दे सकते हैं, जब योजनाबद्ध तरीके से चलने का कार्यक्रम बने, योजनाबद्ध तरीके से चलने में दिक्कत पेश आ रही है, वह इस कारण आ रही है कि हर तरह से वह लोग, जो समाजवाद की ओर बढ़ने से रोकते हैं उनके ऊपर रोक नहीं लगा पाते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समाजवादी दृष्टिकोण की सरकारी मशीनरी रख नहीं सके, जिसके कारण मन्शा होते हुए भी हम समाजवाद की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए चर्चा करके और पत्रों में लिख कर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा करके छोड़ देते हैं जो समाजवाद लाना तो दूर रहा, उस ओर से विमुख कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाजवादी दृष्टिकोण तभी सफल होगा जब कि समाजवादी दृष्टिकोण वाली मशीनरी इसके लिए कायम की जायगी। तभी समाजवाद का लक्ष्य पूरा होगा। इन शब्दों के साथ जो समाजवादी बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन !

श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा(फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत एक राज्य की वास्तविकता को लेकर साल भर का लेखा जोखा उसमें रखा जाता है। इस बजट के द्वारा ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अधिक टैक्स लगाया जाय तो जनता पर बहुत भारी बोझ बढ़ जाता है और योग्य और मनन करने वाले मंत्री यदि होते हैं तो सारी जनता के भार को बजट के द्वारा हल्का कर दिया जाता है। यह बजट जो 1973-74 का है, एक ऐसी वास्तविकता का प्रतीक है कि साधारण जनता का इसके द्वारा भार हल्का हुआ है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन कर दूं कि कई चीजें ऐसी हैं इस बजट के अन्दर जो छूट गई हैं। वित्त मंत्री महोदय ने प्रारम्भ के अन्दर ही अकाल की स्थिति का विवरण

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

किया है और वह स्थिति राजस्थान प्रदेश में बड़ी भयंकर है। इस स्थिति के कारण वश यदि देवता भी देखने आ जायं तो कांप जायं, भयंकर परिस्थिति देख कर उनका कलेजा कांपेगा जबकि हम तो मनुष्य है, जिनमें दुख और सुःख की भावनायें निहित होती हैं। इस अकाल की समस्या को दूर करने के लिए इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय बोला था उस समय भी यह निवेदन किया था हमारी सरकार से कि यह अकाल हमेशा पड़ता है, जनता के समक्ष भयंकर स्थितियां आकर पेश होती हैं, यदि किसी न किसी नवीन योजना का निर्माण करें तो अच्छा होगा, जिससे कि हमारे प्रदेश के अन्दर अकाल नहीं आ सके और आए तो थोड़े रूप में, जिसका हम पूर्ण रूप से संगठित होकर सामना कर सकें। इस प्रकार की योजना यदि बनाई जाए तो प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। इस अकाल की परिस्थिति में जितना भी परिश्रम करना पड़े कोशिश करनी पड़े या किसी के समक्ष इन परिस्थितियों का अवलोकन करना पड़े तो हम तैयार हैं, क्योंकि अकाल की स्थिति भयंकर है, साधारण जनता के समक्ष ऐसी भयंकर स्थिति बनी हुई है कि आज उसके सामने पेट भरने की समस्या है। यदि आप गांवों में जाकर घूमेंगे तो ऐसी परिस्थिति है कि लोग दो दो तीन तीन दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं, इस प्रकार की गरीबी है। ज्यादा से ज्यादा साधारण जनता के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायं चाहे अकाल के, चाहे क्रेश के, चाहे सिंचाई विभाग, किसी भी रूप में ज्यादा से ज्यादा कार्य खोले जायं और समय पर अनाज का वितरण किया जाए और मजदूरी चुकाई जाए तो साधारण जनता इस भीषण विपत्ति को पार कर सकती है अन्यथा हमारे समक्ष इस प्रकार की भयंकर परिस्थिति आ जाए कि शायद हम इन परिस्थितियों का सामना करने में भी असफल रह सकते हैं।

गरीबी हटाओं के संबंध में मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस संबंध में कई वर्षों से हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्रांतों की सरकारें या हमारे माननीय नेतागण भी विचार विमर्श करते रहते हैं कि हमारे देश में गरीबी का बड़ा भयंकर प्रकोप है। गरीबी भाषण देने से या विचार विमर्श करने से नहीं हट सकती इसके लिए विशेष प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी। इसको मिटाने के लिए हमें वास्तविकता की ओर किधर बढ़ना है, कोनसी योजना बनाई जाए, यदि अमीर व्यक्ति है तो उसकी तरफ जाने वाली पूंजी को कैसे रोका जाए और गरीबों को वितरित की जाए या उद्योग धंधे खोले जायं तभी गरीबी हट सकती है। भाषणों के द्वारा, कान्फ्रेन्सेज के द्वारा यदि हम सोच रहे हैं कि गरीबी मिट जाए तो नहीं मिट सकती। समाजवाद का नारा लगाते हैं और लगाते रहेंगे लेकिन समाजवाद तभी आ सकता है जब साधारण व्यक्ति, गरीब व अमीर की तुलना करें कि अमीर किस प्रकार से आगे बढ़ता है, गरीब किस प्रकार से पिछड़ता है। यदि गरीब की वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात् उनकी कमियों को दूर

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

किया जाए तब जाकर हम गरीबों का छुटकारा कर सकेंगे अन्यथा नहीं। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उद्योग धंधों में लगायें या जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए तब जाकर गरीबी हट सकती है।

सिंचाई के बारे में निवेदन है कि हमारा प्रदेश एक सूखा प्रदेश है। चंबल की योजना बनाई गई, राजस्थान नहर की योजना बनाई गई, विभिन्न प्रकार की योजनायें बनाते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता क्योंकि कई प्रकार की अड़चनें हमारे सामने आती हैं। यदि इस प्रदेश में सिंचाई के साधन पूर्णरूप से उपलब्ध हो जायं तो साधारण जनता का भला हो सकता है। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, ज्यादातर लोग गांवों में रहकर अपना जीवन निर्वाह केवल कृषि के द्वारा करते हैं, यदि उनको पूर्णरूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दिए जायं, जहां सूखा क्षेत्र है वहां नहरें निकाली जायं तो सिंचाई के साधन बढ़ सकते हैं। ज्यों ज्यों समय बीतता है कई नागरिक पैदा होते हैं, उनकी आशायें पूरी नहीं होती, वे सोचते हैं कि कभी न कभी राजस्थान प्रदेश, जो सूखा है, सिंचाई साधनों द्वारा वह कभी हराभरा हो सकता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं, विभिन्न प्रकार की योजनायें बनाई जायं तो हमारा राज्य एक दिन उन्नत और खुशहाल बन सकता है। मवेशियों के बारे में··

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी थोड़ा समय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा: मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद के अवसर पर कहा था कि पशुओं की परिस्थितियां कहीं अधिक कठिन हैं। मनुष्य केवलमात्र जिंदा रहता है अपनी बुद्धि और कार्य से लेकिन पशुधन इतना उपयोगी है कि मरने के पश्चात् भी हर प्राणी के लिए काम में आता है, इसलिए जहां तक हो सके पशुओं के बारे में यदि इस प्रकार की योजना बनाई जाए और उन योजनाओं के द्वारा उन पशुओं में जो बीमारी है, परेशानी है, घास की कमी है उसको दूर किया जाय तो पूर्णरूप से हमारे प्रदेश का एक अंग बलिष्ठ बन सकता है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करने दिया जाय। थोडा ही समय हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास होना बहुत ही अच्छी चीज है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे के सारे हमारे यहां पर जो साधन हैं उन्हें उद्योग में परिणित किए जाएं। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे देश में खुशहाली आ सकती है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शिक्षा के बारे

(3.30 बजे)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(श्रीमती मदनकौर, सभानेत्री, पदासीन)

में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय नें हमारी राज्य सरकार एक तरफ तो दिन प्रतिदिन शिक्षा का प्रसार कर रही है और कहती है कि हम लोगों का उत्थान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आज स्थिति ऐसी है कि लोग शिक्षित बेकार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आज उनके पास रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है। आज उनमें असन्तोष बढ रहा है इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करें। या हमारे यहां कि जो शिक्षा प्रणाली हैं उसमें परिवर्तन किया जाय। ताकि वे अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद अथवा अध्ययन काल में ही अपने रोटी रोजी का प्रबन्ध कर सकें। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं कि अगर आपने शिक्षित बेरोजगारों को काम नहीं दिया तो मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपके यहां कभी भी क्रांति हो सकती है। आप को क्रांति का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है वह क्रांति ऐसी हो कि आप उसका सामना भी नहीं कर सकें। सभापति महोदय, आज वह पहले वाला जमाना नहीं रहा जबकि आप शिक्षितों को धार्मिक उपदेश देकर या सांस्कृतिक उपदेश देकर उन्हें चुप कर दो। आज इन पिछले बीस पच्चीस वर्षों से समय बदल गया है। जो पहले समय था वह नहीं रहा है। सभापति महोदय, आज शिक्षित बेरोजगारों के हृदय में क्रान्ति की आग सुलग रही है और इसका सभापति महोदय, समय पर इलाज नहीं किया गया तो ऐसा समय आ सकता है कि सिर्फ यह क्रान्ति न आपके प्रान्त को बल्कि भारत सरकार के लिए भी भयंकर समस्या पैदा कर सकती है। और हो सकता है वह समस्या ऐसी हो कि जिसे सारा विश्व भी सम्भालने को असमर्थ हो जाय। सभापति महोदय, मैं आपको वास्तविकता निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षित बेरोजगारों की हालत बहुत खराब है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कभी भी वे क्रान्ति कर दें और हमें उनके सामने नीचा देखना पड़े। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने की कोशिश करे और फिर उनको रोटी रोजी देने की व्यवस्था करे अन्यथा उनकी क्रांति के आगे हमें झुकना पड़ेगा। और अगर हमने उनको काम दे दिया और उनकी रोटी रोजी की व्यवस्था करदी, अगर आज का युवक, जो कि भटक गया है हमने उन्हें सीधे रास्ते पर ला दिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां का शिक्षित युवक हमारे देश का काफी उत्थान कर सकता है। वह हमारे देश के उत्थान के लिये ऐसी शक्ति लगाकर काम कर सकता है कि उससे हमारा देश खुशहाल हो सकता है और काफी संगठित हो सकता है। उनकी शक्ति से हमारे देश का काफी विकास हो सकता है। और सभापति महोदय, अगर हम शिक्षित युवकों को सही रास्ते पर नहीं ला सके तो हो सकता है यहां पर काफी भंयकर स्थिति का विस्फोट हो सकता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

व्यवस्था की जाय। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज स्थिति ऐसी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि गावों में उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता है तो फिर वह अपने रोटी रोजी के लिये, पेट पालने के लिये शहर में आता है लेकिन यहां पर भी उसे काम नहीं मिलता है तो वह वापिस दुखी होकर गांव में जाता है, वहां भी कोई साधन उसके लिये नहीं होने की वजह से वह आज दुखी है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणवासियों के लिये ऐसी योजनायें बनाई जायं जिससे कि उन्हें रोटी रोजी की व्यवस्था हो जाय।

इसके अलावा एक और बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है हरिजनों के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि राज्य सरकार हरिजनों का उत्थान कर रही है और इनके अनुसार हर हरिजन को अपने मकान बनाने के लिये चार हजार रुपया देने की बात राज्य सरकार ने कही है। सभापति महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक राज्य सरकार ने हरिजनों को मकान बनाने के लिये एक पैसा भी नहीं दिया है। मैं आपको साधारण उदाहरण दूं कि वित्त मंत्री ने अपने सन् 1972-73 के बजट भाषण में यह कहा था कि राज्य सरकार चार हजार रुपये हरिजनों के मकान बनाने के लिये दे रही है और वह पंचायत समितियों द्वारा उन्हें दिये जायेंगे। इस वर्ष भी वही बात बजट भाषण में वित्त मन्त्रीजी ने दुहरायी है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक एक कौडी हरिजनों में, मकान बनाने के लिये, वितरित नहीं की गयी।

श्री चन्दनमल वैद : करीब 3 हजार से अधिक व्यक्तियों को मिल चुके हैं। और मैंने बजट में कह भी दिया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : सभापति महोदय, बजट में कहा गया होगा मैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों की बात करता हूं मेरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को नहीं मिले हैं आज तक पंचायत समिति में रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। वहां जाते हैं तो कहते हैं वकील के पास जावो। एक पैसा भी नहीं मिला है।

(एक साथ दो तीन सदस्य एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय, को कागजात सोमवार को लाकर बता सकता हूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जहां कि लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है इसलिये हमारे क्षेत्र के हरिजनों को जल्दी से जल्दी लोन दिलाने की व्यवस्था करायें। इसके अलावा कुछ मैं निवेदन भ्रष्टाचार के बारे में भी करूंगा। आज हमारी सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने की ओर अग्रसर हो रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को···

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर नहीं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : मेरा कहने का मतलब है भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

अग्रसर हो रही है। भ्रष्टाचार को घटा रही है। मैं सभापति महोदय, इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय और भी बहुत से सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : सभापति महोदय, मुझे कुछ समय दिया जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार घटा रही है लेकिन मैं आपको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिचाई विभाग के अन्दर घोर भ्रष्टाचार छाया हुआ है। सिचाई विभाग में एक इन्जीनियर हैं श्री अगमप्रकाशजी। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इनको कुर्सी से हटाकर इनके खिलाफ में जांच करावें, वहां के कर्मचारियों को पूछे तो मैं आपको सही निवेदन करदूं कि सभी उनके खिलाफ में कहेंगे। वहां पर कर्मचारियों में और लोगों में घोर असन्तोष है। वह इन्जीनियर भ्रष्टाचारी है वह गलत गलत लॉग बुक भरता है। मैं आपको अभी लाग बुक बता सकता हूं उसकी कापी मेरे पास है आप चाहें तो उस लाग बुक की जांच कर सकते हैं।

श्री दीपकर : वह लाग बुक सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : मेरे पास उसकी नकल है। मैं उसकी कापी करवा कर दे दूंगा। उसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। अगर आप चाहें तो 22 तारीख के प्रश्न देखलें। इस प्रकार मैंने एक सवाल उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ में इस विधान सभा में दो तारीख को पूछा था, लेकिन आज 9 तारीख होने को है लेकिन कोई भी जांच उस भ्रष्टचारी के खिलाफ में नहीं की गयी। अगर आप जांच करे तो आपको पता लगेगा कि इसने कितने रुपये का घोटाला किया है। सभापति महोदय उस भ्रष्ट इन्जीनियर ने 60 लाख रुपयों का नुकसान किया है, एक बान्ध में। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता उस इन्जीनियर के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं हो रहा है। वह भ्रष्टाचारी आफिसर ऐसा बदमाश है कि उसने अपने आफिस के ओवरसियर को थप्पड़ मारी, अपने आफिस के चपरासी को थप्पड़ मारी, पर किसी ने उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया। उसने मुझे अपशब्द कहे और माननीय श्री छुट्टनलालजी कैप्टन को अपशब्द कहे जो वर्तमान में संसद सदस्य हैं।

(बीच में तीन चार सदस्य के एक साथ बोलने पर व्यवधान-अश्रव्य)

सभापति महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री मनोहरलाल : बोलने दिया जाय।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : सभापति महोदय, बहुत ही भ्रष्टाचारी आफिसर है। पता नहीं क्यों नहीं उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आज भी इतनी भ्रष्टाचार की शिकायतें होने के बाद भी वह इन्जीनियर वहीं चिपका हुआ है। उसे कोई नहीं हटा रहा है। पता नहीं वह किसका आदमी है, समझ में नहीं आता कि उसको किसका संरक्षण प्राप्त

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

है। वह किसी मन्त्रीजी का रिश्तेदार है, किसी बड़े ऑफिसर का भाई है, कोई भी उसके खिलाफ में कार्यवाही इतनी शिकायतें होने के बाद भी नहीं हो रही है। कोई सुनता नहीं है जहां भी यह रहे वहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। फिर भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसे जिस बान्ध का इन्चार्ज बनाया गया वह टूट गया है। राज्य सरकार को उससे नुकसान ही हुआ है फिर भी उसे नहीं हटा रही है। मैं अपने ही क्षेत्र फागी की बात बताना चाहता हूं कि किशनपुरा बान्ध पर उसने गलत मस्टर रोल भर कर लोगों की तनख्वाहें हजम करली हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है लेकिन इस अगमप्रकाश सिगल भ्रष्टाचारी अधिकारी को कोई नहीं हटा रहा है। आज उसके खिलाफ मैं विजीलेन्स में इन्क्वायरी चल रही है सी. आई. डी. में इन्क्वायरी चल रही है एन्टीकरप्शन में इन्क्वायरी चल रही है लेकिन कहीं भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हो रहा है।

हो सकता है मन्त्री महोदय का सम्बन्ध हो या वे उनके कुछ लगते हों। ऐसे लोगों ने हालत बहुत खराब कर डाली है। मैं पूछता हूं आखिर इस प्रकार के नीच और चोर, भ्रष्ट अधिकारीगण को जगह जगह क्यों बिठा रखा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार क्यों खोल रखा है? मैंने वहां के चीफ इन्जीनियर के सामने सारी चीजें रखी हैं। साथ ही सम्बन्धित सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक को लिखित में शिकायतें कर रखी हैं। पर सब कानों में तेल डाले सो रहे हैं। मानों ये सब भ्रष्ट अधिकारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों।

(विपक्ष दल की ओर से तालियां)
(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पार्टी के सदस्य होने के नाते और अनुशासन के नाते यह सही है कि मैं इससे अधिक नहीं बोल सकता। पर भ्रष्टाचार जो अधिकाधिक तेजी से सब जगह फैलता जा रहा है और जिस तरह से इसमें सभी अधिकारी लिप्त होते और मौन समर्थन देते जा रहे हैं उससे तो पार्टी और अनुशासन सभी समाप्त होते नजर आ रहे हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचार को तो सामने ला[illegible] का हमारा अधिकार है। हम कब तक दबाते जावेंगे इस भ्रष्टाचार को। यह तो सुरसा की तरह मुंह फैलाता जा रहा है और इस सारे समाज को ही निगल जाना चाह रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि साधारण जनता के साथ इस तरह का व्यवहार आप कब तक करते रहोगे। इन भेड़ियों को जनता को चारों ओर लूट की स्वीकृति कब तक देते जाओगे। फिर यही नहीं साधारण जनता के साथ जो भ्रष्ट बरताव ये अधिकारीगण करते हैं सो तो करते ही हैं इसके साथ अपने नीचे के सामान्य कर्मचारियों को चपरासियों को पीट भी देते हैं। फिर भी इन भ्रष्ट अधिकारियों का कोई कुछ करता धरता नहीं। ये निशंक और निरंकुश हो गये हैं। यह बड़े शरम की बात है।

एक माननीय सदस्य : हुब मरो।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : तो सभापति महोदय, हमारे भरतपुर के प्रमुख हैं श्री कृष्णलाल जी, उन्होंने भी प्रश्न रखे थे कि उच्चाधिकारियों के सामने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में एक्शन लेने के लिए। पर उनकी भी अनसुनी कर दी गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि या तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी नौकरी से हटा दो और जेल में भेज दो अगर उनके खिलाफ बातें साबित हो जावें तो, वरना अगर मैं झूठा साबित होऊं तो मैं विधान सभा से स्तीफा दूंगा। पार्टी से भी दे दूंगा। यह दावा करता हूं। पर कम से कम हमारे मन्त्री महोदय ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच तो करें। उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जगह जगह क्यों चिपका रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा।

यह अधिक दिन चलने वाला मामला अब नहीं दिखाई देता है। अगर आपने इसे अंकुश में नहीं किया तो यह आपको, हम सबको भी ले डूबेगा यह मुझे लगता है। आज जो नवयुवकों के दिलों में एक आग प्रज्वलित हो रही है उसको हम देखें। अब उसे अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकेगा। जिस दिन यह युवा वर्ग भड़क उठेगा वह फिर हमारे आपके सम्भाले सम्भल नहीं पावेंगे। आप भागते फिरोगे। हो सकता है सारे देश में यह आग फैल जाये और अराजकता के रूप में बदल जावे।

मैं कहना चाहूंगा कि समय बड़ा नाजुक है। इन युवकों के विचारों को और भावों को अगर सही रूप से समझ कर हम चले और इन युवकों की बुद्धि और शक्ति को सही चेनल में डाल सके तब तो देश में खुशहाली बढ़ सकती है, वरना हम इस भ्रष्ट तन्त्र और इन भ्रष्ट अधिकारियों को ही चिपकाये रहे और इस उमडती हुई युवक शक्ति को सही रास्ते नहीं डाल पाये तो हमारा विनाश निश्चित है।

अन्त में यह जो 73-74 का बजट पेश किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि यदि हर समय गरीबों की तरफ ध्यान हम देते रहे तो हमारा प्रदेश और जनता आगे बढ़ सकती है। अन्यथा नहीं।

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (गोपलखूंट) : सभापति महोदय, मैंने बजट भाषण पढ़ा। इससे मालूम हुआ कि इस बजट में राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे अकाल सहायता के रूप में काम चालू करने का विषय हो, कोई भी विषय हो, केन्द्रीय सरकार से इस सरकार को सहायता मिली तो पांचवीं योजना काल में ये काम करवा देगी, अन्यथा नहीं।

चार योजनायें पूरी हो चुकी और इस कांग्रेस हुकूमत के भी पच्चीस साल पूरे हो चुके पर आज भी वही अकाल, आज भी वही कंगाली, दरिद्रता और अभाव की स्थिति प्रदेश में चारों ओर व्याप्त है। बजट में जो प्रगति की बातें की गई वे कुछ नहीं, केवल धोखा मात्र है। क्योंकि आप आज भी अपने पर निर्भर नहीं है। अगर केन्द्र से

(श्री विट्ठल भाई)

अनाज मिला तो अनाज दे सकेंगे नहीं तो भूखों ही मरेंगे। इनके पास अपना कोई इन्तजाम नहीं है। ये तो केन्द्र की कृपा पर पूरे के पूरे निर्भर हैं। एक कहावत भी है:-

बिल्ली के भाग से छींका टूटा।

पर यह अधिक दिन नहीं चलेगा। अनाज हर भूखे व्यक्ति को अपने राज में देना यह राज की जिम्मेदारी है। आप कहीं से लावें। चाहे केन्द्र से लावें या कहीं और से।

आज चार दिनों से हर सदस्य चाहे सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ का हो, चाहे विरोधी पक्ष का हो सभी एक स्वर से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आज सरकार का विरोध, जो वे कर रहे हैं वह आप लगातार सुन रहे हैं हर माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की सारी जानकारी सदन में पेश कर रहे हैं चाहे अनाज के विषय में हो चाहे अकाल के विषय में हो। सबने आपकी सरकार को इन मामलों में असफल बताया।

अभी खाद्य मन्त्रीजी ने पहले कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। और कुछ आंकड़े भी दिये। कहा कि मक्का और गेहूं तो वे दे ही नहीं सकते। थोड़ा आने वाला है। माइलो देंगे। पर इस माइलो से क्या होगा। आज 24 जिलों में अकाल है और सभी में करीब करीब समान ही अनाज की समस्या है।

आपने बजट भाषण में कहा कि हम स्थायी समस्याओं पर सोच रहे हैं। कब सोचेंगे? 25 साल तक आपने नहीं सोचा तो अब जब अकाल पड़ते पड़ते सभी समाप्त हो जावेंगे तब कुछ सोचेंगे। अनाज नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि स्थायी समस्या के हल के लिये अकाल की समस्या के स्थायी हल के लिये सोच रहे हैं। अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी तो ये सोच रहे हैं। बजट बना लिया है। इससे अकाल की समस्या हल नहीं कर सकेंगे। इससे तो केवल ये इतना करेंगे कि इतनी स्कूलें खोल देंगे, इतनी बिजली देंगे। इतने गांवों में देंगे। इतनी शहरों में देंगे। गांवों में आपने कहां दी? क्या हालत है आज गांवों की आप जानते हैं? आपको पता नहीं। क्योंकि आपने 25 सालों में कुछ काम किया ही नहीं। आपने एक ही काम किया कि किसी तरह सत्ता को बचाये रखना। लोगों को बेवकूफ बनाना। झूठी आशाएं बन्धाना, झूठे आश्वासन देना कि आपके गांवों में इतनी स्कूलें खुलवा देंगे, इतने तालाब बनवा देंगे, इतने कुए खुदवा देंगे, इतनी बिजली दे देंगे। पर किया कुछ नहीं। समाजवाद का झूठा नारा लगाया। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूंगा कि जो बजट आपने बनाया है उसमें कुछ नहीं है। टैक्स नहीं लगाये गये, इससे क्या होगा? टैक्स पहले से ही बहुत लगे हुए हैं। हर चीज पर टैक्स है। आपने इस बार टैक्स नहीं लगाये तो इससे कौनसी सस्ता-वाड़ी आ गई। उल्टे महंगाई बढ़ी ही है।

आपको सही ढंग से 25 साल पहले से प्लान बनानी चाहिए थी और ईमानदारी से उसको पूरा करना चाहिये था। आप तै करते कि कितने कुए खुदवाने हैं, कितने तालाब बनाने हैं, कितने बांध बनाने हैं, कितनी स्कूलें खुलवानी हैं, कितने औषधालय कहां कहां खोलने हैं

(श्री विट्ठल भाई)

कितना पानी का प्रबन्ध करना है आदि आदि। तब तो सरकार आज फल देखती उनका। आज फेल नहीं होती पर आज वह फेल हो चुकी। न अनाज दे सकती है वह और न अकाल का सामना कर सकती है और न महंगाई का सामना कर सकती है। अनाज आपके पास है नहीं। पैसा भी नहीं। करजे से दबे हैं। केन्द्र आप को देता नहीं। आप हमें भी धोखा दे रहे हैं, और जनता को भी दे रहे हैं और कहते हैं कि हम केन्द्र से ला रहे हैं और अनाज वगैरह सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। सब आपको बुरा भला कह रहे हैं। अखबार वाले कहते हैं आप झूठे हो। हम तो विरोधी दल के लोग हैं इसलिए हम तो हमेशा झूठे और बेईमान लोग हैं। पर आपके दल के लोग बोल रहे हैं। आपके खुद के दल के लोग कह रहे हैं कि इतने इन्सान मर गये। और आप कहते हैं कि कोई नहीं मरा। तो क्या ये आपकी पार्टी के लोग झूठे है, ये कांग्रेसी लोग झूठे हैं खैर हम तो झूठे हैं ही। पर आप भी झूठे हैं क्या? आपके कांग्रेस के लोग भी झूठे हैं क्या? आपके उदयपुर के सदस्यों ने बताया तो क्या वे झूठे हैं। आज मार्च है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त आने तक क्या लोग भूख से नहीं मर जावेंगे। अभी तो क्या है। कहीं से रखड़ रखड कर अनाज लाते हैं। मजदूरी करते हैं। बाहर जाकर जिन्दा रहते हैं। इधर बरसात आई और उधर आप रिलीफ के काम भी बन्द कर देंगे। सस्ते अनाज की दुकानें खोलेंगे लोगों के पास पैसा होगा नहीं। अनाज होगा नहीं। काम मिलेगा नहीं, भूख के मारे उनके बैल मर जावेंगे, आप बैलों के लिए पैसा देंगे नहीं, बीज देंगे नहीं क्योंकि बीज के मामले में आप हमेशा फेल रहे हैं। बीज आपने पहले जैसा दिया दुनिया जानती है फिर इन सबका क्या परिणाम होगा? खेती से लोग मोहताज होंगे। अन्न होगा नहीं भयंकर अकाल की हालत पैदा हो जावेगी। तब मरेंगे नहीं लोग तो क्या होगा? आप अगर बीज और पानी और अनाज की व्यवस्था करते होते तो आज यह हालत नहीं होती। तब तक विधान सभा भी बन्द हो जावेगी। कोई फिर सुनने वाला भी नहीं रहेगा। लोग भूखों मरेंगे बुरी तरह से। डाके पडेंगे, चोरियां होंगी या अपने आप मरेंगे। उस वक्त सरकार सुनने वाली नहीं। कलेक्टर के पास जावेंगे तो वह कहेंगा हम क्या करें। सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं हम काम, अनाज, बीज कहां से दें। अभी भी कलक्टर कहते हैं अनाज आवेगा तो बांट देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वहां से पैसा आवेगा तो काम चलेगा नहीं तो काम भी हम कहां से दें। यह बात उनकी सही भी है। उनके पास कहां से पैसा आवेगा। उनके हाथ में क्या है? जब सरकार नहीं भेजेगी तो वे वितरण कहां से करेंगे।

वितरण गलत हो सकता है, मजदूरी देने में भ्रष्टाचार हो सकता है। वह अलग बात है। पर होगा ही नहीं तो वे कहां से देंगे, करेंगे और हम जिलों में जाकर करेंगे क्या?

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 25 साल तो आपने बिगाड़ दिये, सो बिगाड़ दिये, कोई प्लान आपने ईमानदारी से पूरी नहीं की सो नहीं की, पर अब भी कांग्रेस को थोड़ा बहुत जिन्दा रखना है तो लोगों

(श्री बिट्ठल भाई)

को मरने नहीं दीजिये; इसकी सावधानी अभी से बरतिये; नहीं तो क्या होगा। आपके हीं लोग आन्दोलन करेंगे और आपकी पार्टी के लोग उनको आपके खिलाफ भड़कावेंगे क्योंकि उनको उनके बीच में रहना है। उनको वहीं जीना मरना है। नहीं तो उन पर जनता वह मार मारेगी कि वे वहां से भागेंगे क्योंकि जनता ने आपको वोट दिये हैं। अभी आपके सदस्य आपसे दबे हुए हैं। पर एक वक्त आवेगा जब आप कितने ही बन्धन में रखोगे तब भी बन्धन में नहीं रहेंगे। कोई पार्टी हो, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि जनता और उनको सभी को हमेशा के लिए आप दबा कर रख सकोगे।

आगे आपने लिखा है सबको अनाज मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। आदिवासियों के लिए इतने स्कूल खुलेंगे, इतने कुए खोदेंगे। पर आज कितने पर्सेन्ट हरिजन और आदिवासियों को आपने नौकरियां दी हैं क्या आप ठीक ठीक आंकड़े बता सकेंगे इन 25 सालों में।

एक माननीय सदस्य : दो पर्सेन्ट।

श्री बिट्ठल भाई : आज आप बतावें आदिवासी क्षेत्र में आपने कितनी बिजली दी? कितने पर्सेन्ट तालाब बनवाये? बनाये क्या? मैं तो कहता हूं नहीं बनाये। कुछ नहीं किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिला आदिवासी क्षेत्र है और भी हैं। प्रतापगढ़ जिला आदिवासी है। भीलवाड़ा जिला आदिवासी है। आबू सिरोही के पास का एरिया है। पाली में है। पर जहां भी देखते हैं कोई विकास की बात नहीं है। आदिवासी पहले से भी अधिक गिरी हुई हालत में हैं आज तो।

(3.51 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

ठीक है सौ में से पांच का आपने कहीं भला कर दिया तो कर दिया। पर वे भी आज आप में मिल गये हैं। सब मिला कर आज हालत बहुत खराब है। कुए नहीं बना पाये आज आप उनके एरिया में, पूरा पैसा नहीं दे पाये, बिजली पानी का प्रबन्ध नहीं कर पाये, सरकारी नौकरी में भी जितना पर्सेन्ट देना था वह भी नहीं दे पाये। ठीक है सरकारी मशीनरी ने धन का दुरुपयोग किया और जितना पैसा बंटा उसका आधा तो सरकारी नौकर खा गये। आधा पैसा जनता में गया। जहां देखो स्कूलें अधूरी पड़ी हैं, खुली हैं तो मकान नहीं हैं, मकान हैं तो स्टाफ नहीं है, मास्टर का पता नहीं। एनीकट हैं नहीं, है तो टूटे पड़े हैं, तालाब टूटे पड़े हैं। आपने जब कहा कि इतना रुपया खर्च किया तो गया कहां वह? स्कूलों में मकान नहीं बने, तालावों में पानी नहीं मिला। बांध टूटे पड़े हैं और उधर आप कहते हैं कि हमने सब विकास कर दिया। बिजली के लिए कहना चाहता हूं। जब तक आप सही रूप से अपने आपको सुधार करना नहीं चाहते हैं, अगर आप बिजली और पानी काश्तकार को नहीं देते हैं और नहीं दे पायेंगे तब तक आपको अकाल का सामना वर्षों तक करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। कम से कम आप बिजली और पानी के लिए जितना भी पैसा चाहिए दें। सब जगह नहीं

(श्री विट्ठल भाई)

कर पायेंगे मैं यह जानता हूं। यही कहेंगे कि पैसा नहीं और हिम्मत भी नहीं। लोगों को जिन्दा रखना है तो हिम्मत करो। आदिवासी इलाकों में बिजली पानी दो, नहीं दोगे तो अकाल तो दो तीन साल में पड़ता ही आया है इस साल 24 जिलों में पड़ गया तो दो तीन साल में कम जिलों में पड़ जायगा। आप अकाल की समस्या का निराकरण कर सकेंगे नहीं। अकाल यों ही पड़ता जायगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा बोलूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप बिजली और पानी की ओर ध्यान दें, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी और हरिजनों का नाम ले लिया। हमारे इलाके में हरिजन नहीं है। आदिवासी ही हैं। बांसवाड़ा के लिए कहना चाहता हूं कि छः लाख की जनसंख्या है उसमें से 5 लाख तो आदिवासी ही हैं। उधर की हालत को तो देखा जाय। करोड़ों रुपया समाज कल्याण विभाग से आया और खर्च हुआ। किस प्रकार से खर्च हुआ? आप जानते हैं। इस सबके लिए सरकार जिम्मेदार है। कोई विकास नहीं, तालाब या एनीकट के नाम से खर्च नहीं हुआ और न ही बिजली ही दी गयी। उस इलाके के लिए सरकार ने समझा कि आदिवासी कुछ नहीं समझते। यह सरकार ऊपर से आदिवासी और हरिजनों का नाम लेती है। लेकिन अन्दरूनी उनका भला नहीं करना चाहती है। यह आदिवासियों और हरिजनों को गरीब ही रखना चाहती है ताकि गरीब हरिजन और आदिवासी लोगों के इनको वोट मिलते रहें। गरीब रहेंगे तब तक ही इनको वोट मिलेंगे। खाता पीता हुआ है उससे तो नहीं मिलेगा। जानबूझ कर उनको गरीब रखना चाहते हैं। इस प्रकार यह सरकार गलत रूप से पैसे को काम में लेती है और गरीब आदिवासी और हरिजनों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है।

इसलिये वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे गरीब हरिजन और आदिवासियों की तरफ देखें। उनके विकास की ओर ध्यान दें।

अनाज वितरण के विषय में भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं। अनाज वितरण जो हो रहा है वह मैं आप से निवेदन कर दूं कि जैसे एक पंचायत में एक हजार कूपन हैं, 500 आदमियों को बड़ी मुश्किल से दस इन्सान के पेट भरने के लिये दस किलो से अधिक नहीं मिलता है और आधा किलो वाले तो हताश होकर घर चले जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इतनी व्यवस्था करें कि जिससे हर कूपन पर चार किलो या छः किलो अनाज मिले। उनको जिन्दा रहने के लिये उतना तो मिलना चाहिये। यदि आप यह व्यवस्था नहीं कर पाये तो अकाल और रिलीफ आपके चलते ही रहेंगे और लोग भूखों मर जावेंगे वैसे भूखों तो मरते हैं। आप कह दोगे कि भूख से नहीं मरा। अभी भी मना करते हो और आगे भी यही कहोगे कि भूख से नहीं मरा, मरना था इसलिये मर गया।

आदिवासी क्षेत्रों में शक्कर का नाम निशान नहीं है। सप्लाई विभाग कभी ध्यान नहीं देता है। कभी शक्कर कोटा वाले

(श्री विट्ठल भाई)

जाते हैं तो बाजार में बिक जाती है। आदिवासी लोगों के घरों में पांच सौ चार सौ ग्राम भी शक्कर नहीं जाती। और वे क्या करते हैं डीलर लोग अपने झूठे दस्तखत कर लेते हैं, झूठे साइन कर लेते हैं और हिसाब बता देते हैं। हमने कई मर्तबा जिलाधीश महोदय को कहा–बांसवाड़ा को; कई बार सप्लाई आफिसर से कहा। उन्होंने कहा जांच हो रही है। महीनों तक आपकी जांच ही चलती रहे, यह आपकी क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। शक्कर को तो इसलिये कहना चाहता हूं कि कि चीज है नहीं तो शक्कर बेचारे क्या खायेंगे। मेरा निवेदन है इस भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिये नहीं तो अनाज के वितरण में भी यही होगा।

अभी कुछ दिनों पहले मक्का आई तो लोगों ने गीली बताई, और मैंने भी देखा गीली थी। अभी इन दिनों हमने कहीं पानी बरसते तो नहीं देखा। फिर वो पानी डाल कर बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अब यह डीलर ने किया हो या सरकार ने किया हो, मुझे मालूम नहीं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मक्का में जो धतूरे के बीज हैं, सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। इस ओर उनको पूरा ध्यान देना चाहिये। इतना ही कह कर वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी!

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन है समय बढ़ाया जाय।

(समय 4.01 बजे)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : समय नहीं बढ़ायेंगे।

श्री मोतीलाल : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष जी आपके हुक्म का पालन करेंगे लेकिन मेरा निवेदन है गई साल भी मेरी पार्टी को पूरा समय नहीं मिला और इस साल भी मेरी पार्टी के दो सदस्य ही बोले हैं। मैं नम्र निवेदन करता हूं समय बढ़ाकर मेरी पार्टी को समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं भी निवेदन करता हूं–

(विराम)

आपकी पार्टी को एक घण्टा 15 मिनिट का समय दिया था जिसमें आपकी पार्टी ने एक घंटा और 58 मिनिट लिये हैं।

वित्त मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाने के बाद जब कोरम नहीं रहता है तो एडजोर्न करना पड़ता है।

श्री नाथूराम : कोई कोरम का अभाव नहीं रहता है। हम कई चीजें बताना चाहते है, हमें समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड के समय बता दीजिये।

वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चार दिन से इस सदन में 73–74 के बजट भाषण पर वाद–विवाद हो रहा है। उसके बारे में मुझे आज कुछ कहना है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार आमतौर पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने बजट का स्वागत किया है। यह दूसरी बात है, मेरे सामने बैठने वाले कुछ सदस्यों ने कुछ शब्दों में विरोध भी किया, स्वागत नहीं किया हो क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि अगर कांग्रेस पक्ष के द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करेंगे तो उनकी मान हानि हो जायगी, उनकी प्रतिष्ठा गिर जायेगी। मैं इसको मानता हूं विरोधी पक्ष को कितना ही अच्छा बजट पेश किया जाय, उनके लिये लाजमी है ····

श्री मूलचन्द : यह गलत है····

श्री चन्दनमल बैद : जब आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोल रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह बार बार कहा गया कि कांग्रेस के राज्य में 25 साल से जो कांग्रेस राज्य कर रही है उसमें उन्नति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ, कोई स्कूलें नहीं खुली, कोई सड़कें नहीं बनीं, अभी मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कहां स्कूलें खुलीं, कहां सड़कें बनीं, कहां तालाब बने, कहां काम हुआ है? अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का सारा कुछ काम होने के बावजूद और इस बात के बावजूद कि हम बहुत ही एक डिफिकल्ट ओड्स के अगेन्स्ट में काम कर रहे हैं। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि राजस्थान का प्रान्त 24–25 रिसायतों को मिलाकर बना है। उनकी अलग अलग शासन व्यवस्थायें थीं, उनकी अलग अलग सर्विसेज थीं, उनके काम करने का तरीका अलग था। उनको एक करके राजस्थान का प्रान्त बना–सबसे पहले तो हमारे सामने यह बात थी वह, दूसरी बात थी वह भौगोलिक स्थिति की भी। सारे हिन्दुस्तान का 65 प्रतिशत रेगीस्तानी भाग इस राजस्थान में है। हमारे प्रान्त के 85 प्रतिशत निवासी रेगिस्तान में रहते हैं जहां दो ढाई साल में एक बार अकाल पड़ना स्वाभाविक है लेकिन पिछले चार साल से इस ओड्स में जो हमने प्रगति की है उसका थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहता हूं, जिससे माननीय सदस्य इस बात का अन्दाज लगा सकते हैं। इन सारी बातों के बावजूद हम विकास की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं और कोशिश ही नहीं करते रहे हैं बल्कि आगे बढ़े हैं।

अगर सिंचाई के क्षेत्र को लें तो मैं आप को बताऊं सन् 50–51 में राजस्थान बने दो ही साल हुये थे और हम पंचवर्षीय योजनायें शुरू कर रहे थे, इसको मैं बेस लेता हूं जो हमारा सिंचित क्षेत्र 50–51 में था वह 11.74 लाख एकड़ था उसको 72–73 के अन्त तक 27.01 लाख एकड़ किया है। उसी तरीके से हमारे पास जो बिजली उपलब्ध थी सन् 50–51 में वह 8 मेघावाट थी और वह 72–73 के अन्त तक बढ़ कर 430 मेघावाट हो जायेगी और 50–51 में जहां हमारे कुल 42 लोकलिटीज में बिजली थी वह 72–73 के अन्त में 4793 लोकलिटीज में की जायेगी। जब माननीय सदस्य यह कहते हैं स्कूलें, बिजली, सड़कें कहां कहां लगी। मैं कहता हूं 42 लोकलिटीज में, जो बिजली थी; वह बढ़कर 4793 लोकलिटीज में

(श्री चन्दनमल बैद)

बिजली पहुंच जायेगी । इस राजस्थान में जहां 4793 लोकलिटीज में बिजली की व्यवस्था हो गई, अगर उनको यह भी नहीं दिखता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कसूर नहीं है। यह उनका राजनैतिक दृष्टिकोण है। कुओं के बारे में बता दूं, जहां कुओं में 50-51 में एक भी सिंचाई के कुये नहीं थे वहां अब 62,887 कुये हो गये हैं जिनसे बिजली द्वारा सिंचाई होती है और जहां 50-51 में हमारी सड़कों की लम्बाई कुल 17 हजार किलोमीटर थी वह 72-73 के अन्त तक 33 हजार किलोमीटर हो गई। जहां पर स्कूल जाने वालों की संख्या 6 से 11 वर्ष के बच्चों की 50-51 में 16.6 थी और अब 72-73 के अन्त तक यह संख्या 60 प्रतिशत हो गई है और 11 से 14 के उम्र वालों की परसन्टेज थी वह 5.4 प्रतिशत थी वह 72-73 के अन्त तक 28 प्रतिशत हो गई और कालेज की संख्या के बारे में अर्ज करू जहां 50-51 में 27 कालेज थे वहां अब 72-73 के अन्त तक यह संख्या 78 हो गई है।

हास्पीटल्स और डिस्पेन्सरीज जहां 1950-51 में 736 थी वहां 1972-73 के अन्त में 2465 हो गयी। इसी तरीके से अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम जहां 1950-51 में 5 थी वहां 1972-73 के अन्त में 111 हो जायेगी अगले साल के अन्त तक 157 जगह, जो कि सारी की सारी म्युनिसिपैलिटीज है, वहां जलप्रदाय योजनायें पूरी हो जायेंगी। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम जहां 1950-51 में एक जगह भी नहीं थी वहां 1972-73 में 517 जगह पर यह योजना पूरी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े मैंने कुछ दिये। अगर माननीय सदस्य कहना चाहते हों कि यह आंकड़े भी सही नहीं हैं, यह आंकड़े भी हमने मनगढन्त बनाये हैं तो मैंने बजट भाषण में भी पिछली साल की प्रगति का लेखा जोखा दिया था और यह भी लेखाजोखा दिया था कि अगली साल हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आपने तो केवल करों का बोझ बढ़ा दिया है और कुछ काम नहीं किया और जब राजस्थान बना था उस समय हमने आपको 16 करोड़ रुपये दिये थे और उसके बदले में आपने क्या काम किये। तो मैंने यह उचित समझा कि 22 साल में जो कुछ हमने किया है, उसका लेखाजोखा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। इससे आपको मालूम हो जायेगा कि अगर कर्जा किया है तो उससे उत्पादक कार्य किये हैं। अगर हमने 22 साल तक राज्य किया है तो इस प्रदेश में हम खुशहाली भी लाये हैं, बिजली पैदा की हैं, सड़कें बनाई हैं, स्कूलें बढ़ाई हैं और तरह तरह के उत्पादकता के काम किये हैं। लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोग एक दिन बेवकूफी के अन्दर वोट दे सकते हैं, दो बार दे सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है कि 25 साल तक बराबर कांग्रेस को वोट देती रहे। केवल आश्वासनों के आधार पर ही अगर वोट मिलते होते तो शायद जनसंघ को ज्यादा वोट मिले होते, स्वतन्त्र पार्टी को ज्यादा वोट मिले होते। आश्वासनों के आधार पर नहीं बल्कि सही कार्यों के आधार पर जो कार्य हमने किये हैं और जो जनता को करके दिखलाये हैं- इस कारण से जनता ने हमको शासन में बिठाया है और शासन में

(श्री चन्दनमल बैद)

बिठाती रहेगी जब तक हमारे कदम प्रगति की तरफ, जिस तरह हमने बढ़ाये हैं, बढ़ते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी है कि हम किसी एक जिले विशेष की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और कुछ जिले विशेष को हम छोड़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ काम कुछ जिलों में हो सकते हैं और कुछ काम कुछ जिलों में नहीं हो सकते। आज अगर मैं कोशिश करूं तो शायद भाखरा नहर, राजस्थान नहर, और गंग नहर चूरू जिले में नहीं बना सकता। आज अगर मैं कोशिश करूं तो शायद चम्बल नहर कोटा, बूंदी और झालावाड़ के एरिया में ही हम बना सकते हैं दूसरी जगह नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम चम्बल नहर बनाते हैं तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में ही बनायेंगे न कि चूरू में। आज अगर राजस्थान नहर, गंग नहर और भाखरा नहर बनाते हैं तो भी जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर के एरिया में ही बना सकते हैं। उसी तरीके से आज अगर कोई खनिज पर आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं तो उदयपुर, भीलवाड़ा में ही हो सकते हैं। इसी तरीके से आज अगर सिंचाई के लिए कुए बनाना चाहते हैं तो वह अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले में ही बना सकते हैं और दूसरी जगह हम चाहें तो भी उतनी मात्रा में उनको नहीं बना सकते हैं। जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर होगा वहीं ट्यूब वैल बन सकते हैं, अगर कोशिश करें और चाहें कि तारानगर से मैं चुनकर आया हूं इसलिए वहां सारे ट्यूब वैल लगा दूं तो सारी कोशिशें करने के बावजूद भी एक ट्यूब वैल भी वहां नहीं लगा सकता क्योंकि अण्डर ग्राउण्ड वाटर वहां नहीं है। इसलिए कोशिश इस बात को की जाती है कि जहां जैसी सम्भावना हो वहां वैसा काम किया जाये। हम यह कभी विचार नहीं रखते कि इस जिले में ज्यादा तरजीह देनी है और इस जिले में तरजीह नहीं देनी। माननीय सदस्य चूंकि एम. एल. ए. हैं और उस दृष्टि से देखते हैं, वह अपने क्षेत्र की दृष्टि से जरूर देख सकते हैं लेकिन एक बार मंत्रिमण्डल में आने के बाद और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बाद यह हमारा फर्ज हो जाता है कि सारे राजस्थान को अपना प्रदेश समझें, सारे राजस्थान की जनता को अपनी जनता समझें और उसकी प्रगति और बहबूदी को अपनी प्रगति और बहबूदी समझें और इस दृष्टि से अपने काम को करें। इसलिए यह कहना कि किसी जगह ज्यादा काम करते हैं और किसी जगह कम करते हैं मैं समझता हूं कि यह भ्रामक होगा।

अध्यक्ष महोदय; मैं जानबूझ कर आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि क्षेत्रीय भावना हमारे राजस्थान में पनपे। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं कि किस जगह पर कुए बनाए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस जगह पर लोकेलिटीज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। जहां जरूरत थी वहां पर हमने यह काम किये और जहां कुओं को ज्यादा बिजली देनी थी वहां बिजली दी। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जगह जिस चीज की ज्यादा संभावना थी, उस काम को उस जगह किया गया है और किया जायेगा। अगर आज ब्यावर में

(श्री चन्दनमल बैद)

पानी की कमी है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे चाहे उसके लिए हमको 3 करोड़ रुपया खर्च करना पड़े या 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़े और उस समस्या का हल करेंगे लेकिन कोई कहे कि यही 5 करोड़ रुपया जयपुर शहर में खर्च करो तो शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि जयपुर में पानी की वह तकलीफ नहीं है जो कि ब्यावर में है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखकर चलना चाहिये कि जिस जगह तकलीफ है, परेशानी है, हैरानी है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा दिया जाये बनिस्बत इसके कि क्षेत्रीय भावना की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कुछ आंकड़े आपके सामने इस बात के प्रस्तुत किये थे कि हमने 22 साल में क्या प्रगति की। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उद्योगों के बारे में आपने कोई प्रगति नहीं बताई। उद्योग के बारे में थोड़े से आंकड़े देना उचित समझूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा बेस ईयर 1951 है। सीमेन्ट का उत्पादन सन् 51 में 258 हजार मीट्रिक टन था उसके मुकाबले में 1972 में वह 1609 मीट्रिक टन होगया। याने पहले से करीब करीब 8 गुना नहीं हुआ तो 7 गुना जरूर हो गया। चीनी का उत्पादन जहां 1951 में 1.05 हजार मीट्रिक टन था वहां सन् 1972 में वह 10 हजार मीट्रिक टन तक हो गया। काटन का सन् 51 में 301 लाख मीटर था उसकी जगह सन् 1972 में वह 668 लाख मीटर हुआ। इसी तरह से काटन यार्न का 1951 में 120 लाख के. जी. था वहां वह 1972 में 358 लाख के. जी. हुआ। बाल बियरिंग का उत्पादन 1951 में निल था वह 1972 में 74 लाख हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर्स का 1951 में जीरो था वह सन् 1972 में 380 हजार इलेक्ट्रिक मोटर्स का हमारे यहां राजस्थान में उत्पादन हुआ। इसी तरीके से 21 इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरियाज हो गए, 11 इन्डस्ट्रियल शेड्स हो गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह सारी बातें दोहराऊं क्योंकि यह सारी चीजें बजट की जो पुस्तिका वितरित की गई है उसमें यह आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो आलोचना की गई कि हमने जैसे कोई काम ही नहीं किया और केवल आश्वासन ही देते रहते हैं और आश्वासनों को पूरा नहीं करते हैं, इसको मैं झुठलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। हो सकता है कुछ छोटे मोटे आश्वासन पूरे नहीं हुए हों लेकिन जो भी बड़े बड़े आश्वासन हमने दिये हैं उनको हमने पूरा किया है। यह सदन ही नहीं जानता बल्कि राजस्थान की जनता भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी आश्वासन दिये हैं उनको उसने पूरा किया है और पूरा करती रही है और इसी कारण से आज तक कांग्रेस पार्टी को मेसिव मेन्डेट हमेशा हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि मैंने बजट स्पीच में इन्द्र भगवान का नाम लिया। इस पर कहा गया कि 25 साल बीत गये फिर भी इन्द्र भगवान के ऊपर हम निर्भर हैं। और कब तक निर्भर करते

(श्री चन्दनमल बैद)

रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्द्र भगवान पर हमें बहुत बहुत वर्षों तक निर्भर रहना पड़ेगा बावजूद इसके कि बहुत से तालाबों का निर्माण भी कर लें, बांध बना लें, बावजूद इसके कि हम बहुत सी चीजें इस तरह की निर्माण कर लें उसके बावजूद भी हमें इन्द्र भगवान पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज सारे देश में बिजली की कमी क्यों आई ? इसलिए कि इन्द्र भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। अगर पानी बरस गया होता तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की हमारे यहां कमी नहीं होती और शायद जो बिजली का उत्पादन है वह बराबर होता और उसमें कमी नहीं हुई होती।

आज हमने हजारों हजारों तालाब बनाए हैं। हमारे अकाल राहत मंत्रीजी ने आपको बतलाया है कि कितने हजारों तालाबों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के सिलसिले में किया है। लेकिन जब पानी नहीं बरसे तो तालाब सूखे रह जायेंगे। पानी नहीं बरसे तो सिंचाई कैसे हो ? तो फिर तो इन्द्र भगवान पर निर्भर करना पड़ेगा और उस इलाके में जहां पानी बरसने के बाद हो कुछ पानी रिस कर नीचे जाए और कुओं में पीने का पानी मिले तो वहां इन्द्र भगवान पर निर्भर रहना नितान्त आवश्यक हो जाता है। तो इस वास्ते मैंने कोई कसूर नहीं किया है, सही बात कही है जो सही बात है। हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि जो इलाके हमारे डेजर्ट इलाके हैं, उन डेजर्ट इलाकों के लिए हम इस तरह की स्कीमें बनावें जिससे कि बहुत कुछ इन्द्र भगवान के भरोसे नहीं रह कर किसानों की, जो इकोनोमी है वह, किसी तरह सस्टेन होती रहे। लेकिन वहां भी हम यह मान कर चलते हैं कि आठ जिलों के सारे के सारे लोगों की इकोनोमी को सस्टेन कर देंगे और सारे के सारे लोगों के लिए स्कीम बना लेंगे यह सम्भव नहीं होगा। इसके लिए बहुत भागीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा, बड़ी भारी रकम खर्च करनी पड़ेगी और भागीरथ प्रयत्न और बहुत बड़ी रकम को खर्च करने के बाद भी आठों जिलों को, सारे के सारे जिलों को ड्राट प्रूफ कर देंगे यह सम्भव नहीं होगा। कुछ स्कीमें बना देंगे, कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी, कुछ ट्यूब-वेल बन जायेंगे, कुछ सिंचाई के साधन बन जायेंगे, कुछ नखलिस्थान बन जायेंगे, लेकिन फिर भी जो यह मान कर चलते हों कि हमारे स्कीमें बना देने से, केवल कुछ कार्य कर देने से उन आठों जिलों में अपने भरोसे हमेशा के लिए अमन चैन हो जाएगा तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके लिए बहुत धन लगाना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके साथ न केवल इस सदन का सहयोग, जनता का सहयोग बल्कि सारे हिन्दुस्तान की जनता का सहयोग हमें लेना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्या ने कहा था कि हमें पानी चाहिए, हम खून देने को तैयार हैं। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भी यह कहा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने इस मुल्क के सम्बन्ध में कहा था कि हम खून देते हैं हमें पानी दो। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि

(श्री चन्दनमल बैद)

जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सिर दिया, अपना खून दिया है, उनको अगर मेरा सिर चाहिए, मेरा खून चाहिए तो मैं भी अभी देने को तैयार हूं और इस विश्वास के साथ देना चाहता हूं कि जितना मुझ से बन पड़ेगा उस इलाके में पानी को तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं, अपना खून दिया और आजादी की रक्षा की है, उनको और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम पानी तो जरूर दें।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी आलोचना की गई कि हमारी पर-केपिटा इन्कम जो है वह इस तरीके से गिरी है। मैं मानता हूं इस बात को। जब पांच साल में चार साल अकाल पड़ता हो, पर-केपिटा इन्कम बहुत तेजी के साथ बढ जाय यह सम्भव नहीं है। हमारी पर-केपिटा इन्कम आप महाराष्ट्र से मिलाना चाहते हैं, हमारी पर-केपिटा इन्कम आप तामिलनाडु से मिलाना चाहते हैं यह सम्भव नहीं हो सकता है। यह मत भूल जाइये कि हम सारे हिन्दुस्तान का 65 पर्सेंट डेजर्ट लिए हुए हैं जिनमें हमारे करीब 85 लाख आदमी इस रेगिस्तान में रहते हैं। जिस रेगिस्तान में पांच साल में से चार साल भयंकर अकाल पड़ता है। इसके बावजूद हमारी पर-केपिटा बिना इन्कम उतनी नहीं गिरी है जितनी कि आपने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। सन् 54-55 में जो पर-केपिटा इन्कम फिक्स्ड टर्म्स पर 23; थ वह 55-56 में 236 थी। 60-61 में जो पर-केपिटा इन्कम 237 थी वह 67-68 में 247 थी। 69-70 में वह 268 थी और 70-71 में 306 थी। 70-71 हमारे लिए इन्द्र भगवान की कृपा से बहुत अच्छा साल रहा है और 71-72 में वह गिर कर 283 हो गई। तो मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हमारे प्रयत्नों से बराबर चाहे कितने ही भयंकर अकाल पड़े हों, हमारे प्रयत्नों से हमारी पर-केपिटा इन्कम कुछ न कुछ बढती रही है। हम आगे बढ़े हैं, हमने विकास किया है।

अध्यक्ष महोदय, ऋण के बारे में बहुत जोर शोर से यहां कहा गया। राजस्थान दिवालिया हो गया, टाट उलट गई, भिख-मंगे हो गए, भीख मांगने लग गए। मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूं। भारत सरकार से आज अगर हम कोई मांग करते हैं तो इस वास्ते मांग नहीं करते कि हम भिखमंगे हैं, बल्कि इस बात से मांग करते हैं कि संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए हैं। और मुझे अगर कोई यह बात कहता तो उतना आश्चर्य नहीं होता लेकिन जो इस विधान सभा में पांच साल तक उपाध्यक्ष रहे हैं, जो पांच साल तक अध्यक्ष रहे हैं और जो पांच साल तक मंत्री भी रहे हैं, अगर वे यह बात कहते हैं कि हम भिखमंगे हो गए हैं, भिख-मंगे की हालत में मांगते हैं तो मुझे उन पर थोडी दया आती है। वे भूल जाते हैं कि हमारे कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 269 और 275 में यह लिखा है कि सेंट्रल गवर्न-मेंट जो भी टैक्सेशन वसूल करती है उसमें हमारा हिस्सा है और उस हिस्से को पाने के हकदार हैं। भारत सरकार ने फाइनेंस

(श्री चन्दनमल बैद)

कमीशन की नियुक्ति की है। वह किसी पर दया करके नहीं की है, संविधान के उन आर्टिकल्स के तहत की है। और यह पहला फाइनेंस कमीशन नहीं है, छठा फाइनेंस कमीशन है। हर फाइनेंस कमीशन हर पांचवें वर्ष में नियुक्त किया जाता है और पांच साल के लिए वह अपनी रिकमण्डेशन करता है। उन रिकमण्डेशन्स को भारत सरकार मानती है और उन रिकमण्डेशन के अनुसार हर स्टेट को कुछ न कुछ मिलता है। उसके अनुसार ही हमने इस फाइनेंस कमीशन को इस बात के लिए पूरा जोर दिया है कि वह ऋण, जो कि अनुत्पादन है, जो ऋण हमें ड्राट से लडने के लिए, जो ऋण हमें फेमिन से लडने के लिए, फ्लड से लडने के लिए दिए गए हैं, जो ऋण हमें उन कामों के लिए दिया गया है जिन कामों से हमें उत्पादन का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है, जैसे कि राजस्थान केनाल को बनाने के लिए ऋण दिया गया है। राजस्थान केनाल पूरी बनी नहीं, उससे हमें अभी फायदा मिलना शुरू नहीं हुआ और उसकी किश्तें अभी से शुरू हो गई, ऐसे ऋण राइट आफ किए जायं। यह हमारी मांग वाजिब है। हमारी ही यह मांग नहीं है, बल्कि हमारे साथ साथ हमको देखकर दूसरे प्रदेशों ने भी यह मांग की है। इस सदन को गौरव होना चाहिए कि यह प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने इस बात की मांग की है कि सारे स्टेट्स के ऊपर जो इस प्रकार के ऋण हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जो इन प्रदेशों पर ऋण का भार बढ़ा हुआ है उसको राइट आफ किया जाना चाहिए। इस बात को बार बार भारत के वित्त मंत्री को लिखा गया किन्तु उन्होंने इन्कार किया तो राजस्थान के वित्त मंत्री ने लोबी तैयार की, मैंने लोबी तैयार की और इस सदन की मदद से उनको इस बात के लिए झुकना पडा और छठे फाईनेंस कमीशन के टर्म्स एण्ड रेफरेंस में सब ऋणों के बारे में विचार करने के लिए कहना पड़ा कि वह इन पर विचार करे। मुझे इस बात का गौरव है और खुशी है इस बात की कि जहां इस पिछड़े हुए राजस्थान को इस बात से कुछ फायदा होगा वहां हमारे साथ दूसरे पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनको करोड़ों करोड़ों रुपयों का इस बात से फायदा होगा। तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, खुशी प्रगट करनी चाहिए थी कि कम से कम हमारी एक बात मानी गई और उस कार्य को किया गया।

इसी तरीके से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो अभी यहां मौजूद नहीं है, उनके सुझाव पर मैंने यह भी लिखा था कि सारे देश में कैलेमिटी फण्ड बनाया जाय। जिस तरह से आज कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हैजा फैल गया, कहीं पर प्लेग हो गया, कहीं सूखा पड़ता है तो यह राष्ट्रीय विपत्ति मानी जानी चाहिए और उसी तरह से मुकाबला किया जाना चाहिए। इसके लिए लिखा गया लेकिन भारत सरकार हमेशा इसको टालती रही। उसके लिए सारे देश की लाबी बनाई गई। सारे वित्त मंत्रियों को लिखा गया और सारे देश के वित्त मंत्रियों ने हमारे देश के वित्त मंत्री महोदय को लिखा। उस पर उन्हें झुकना पडा और छठे फाईनेंस कमीशन को बात सौंपनी पडी कि वह इस बात पर विचार करे कि सारे राष्ट्र

(श्री चन्दनमल बैद)

की विपत्ति से कैसे निपटा जाय। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो दो बातें पिछले सदन में, पिछले बजट के समय कही थी उन बातों को माना गया और पहली बार छठे फाईनेंस कमीशन को पहली बार ये दो बातें सौंपी गई।

825 करोड और 54 लाख के ऋण के बारे मे भी बात कर रहे थे, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह ऋण भार कैसे हुआ और इस ऋण भार के अगेंस्ट हमने क्या असेट्स क्रियेट की। यह भी कहा गया है कि हमने अपने पर ऋण तो बढा लिया लेकिन ऋण के अगेंस्ट असेट्स क्या बनाई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक घन्टे की स्पीच को मैं दो घण्टे की स्पीच बना कर आप लोगों को बोर करूं। इस वास्ते बहुत छोटी से छोटी अपनी बजट स्पीच तैयार करके आपके सम्मुख रखी लेकिन जो दूसरे कागजात आपके सामने पेश किये हैं उसमें सारा ब्योरा दिया हुआ है। कोई चीज छिपायी नहीं गई है। पिछले साल भी मैंने आपके सामने सारा ब्योरा दिया था। फाइनेन्स मिनिस्टर को बजट तैयार करते समय इसका ब्योरा भी तैयार करना चाहिये। कभी कभी फाईनेन्स मिनिस्टर इस ब्योरा को नहीं देना चाहेगा परन्तु फिर भी मैंने इस सारे ब्योरा को दिया है। मैं इसको छिपाना भी नहीं चाहता। यह सदन सुप्रीम है। यहां पर जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधियों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। यह सारी बात जनता के प्रतिनिधियों के सामने आनी चाहिये और जरूर आनी चाहिये। यहां पर अध्यक्ष महोदय, यह बात कही गयी है कि हमारे पर ऋण भार अधिक है। यह करीब 825 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट में हमने क्या असेट्स क्रियेट किये हैं. यह मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं।

पब्लिक मार्केट लोन से 31-3-73 तक यह 858 करोड़ का लोन मैंने आपको बताया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने पर यह ऋण भार हमारे ऊपर 858 करोड़ का हो जायेगा। इसके पहले जो ऋण भार होगा वह घटता बढ़ता रहता है। आज भी ऋण का चुकारा हो सकता है और नया ऋण भी प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते यह कहना कि सरकार के ऋण के आंकड़ों में फर्क है, तो यह सही है। आप इस समय पूछेंगे तो आंकड़े दूसरे हैं और अगर मैं अभी घर पर चला जाऊंगा और फिर पूछेंगे तो इन आंकड़ों में फर्क आयेगा। ऋण तो हर मिनिट चढ़ता रहता भी है और उतरता भी रहता है। नया ऋण भी आता है और ऋण का चुकारा भी होता है। इस वास्ते 31-3-74 को क्या स्थिति है, या होगी, वह मैं यहां पर आपको अर्ज कर देना चाहता हूं :—

पब्लिक मार्केट लोन से 79 करोड़ 15 लाख
रिजर्व बैंक से 2 करोड़ 23 लाख

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से प्लान के अगेंस्ट और सेन्ट्रल स्पोन्सोर्ड स्कीम के अगेन्स्ट में यह 389 करोड़ 83 लाख, फेमिन के अगेंस्ट में 130 करोड़ 13 लाख,

बजट गेप, स्पेशल अकोमोडेशन, वेज एण्ड मिन्स में 203 करोड़ 40 लाख, अंदर

(श्री चन्दनमल बैद)

लोन प्लान 35 करोड़ 6 लाख, अदर इन्स्टीट्यूशनल लोन 17 करोड़ 87 लाख। इस तरह से 31-3-74 तक हमारा ऋण 858 करोड़ 67 लाख होगा और उसके अगेंस्ट में हमारी असेट्स क्रियेट होगी वे यह हैं :

इरींगेशन स्कीम्स राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल 177 करोड़ 25 लाख, भाखरा, चम्बल और व्यास 134 करोड़ 57 लाख, बिल्डिंग रोड्स 75 करोड़ 62 लाख, जागीर बोडस 41 करोड़ 05 लाख, इन्डस्ट्रीयल इकॉनोमिक डवलपमेन्ट शेयर 30 करोड़ 90 लाख, पब्लिक हैल्थ 27 करोड़ 63 लाख एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेन्ट इम्पलीमेन्ट्स 6 करोड 73 लाख, पावर असेट्स 182 करोड़ 19 लाख, गवर्नमेन्ट को घाटा 4 करोड़ 86 लाख इसको माइनस प्लस करने पर इसका टोटल होगा। 671 करोड 8 लाख लोन एन्ड एडवान्सेज दिये हैं 74 करोड़ 06 लाख। इस तरह से 745 करोड 14 लाख की असेट्स क्रिएट की है अब इसमें 121 करोड़ 13 लाख वह भी निकालिए जो कि फेमीन या अकाल से निबटने के लिये है। इन सबको जोड़ें तो सारी असेट्स 866 करोड़ 27 लाख की हो जाएगी। इसके अगेन्स्ट में हमारे ऊपर 74 को जो ऋण भार होगा वह 858 करोड़ 67 लाख का!

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य दें तो यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि यह ऋण भार हमारे ऊपर क्यों है। वैसे एक बात आप सब जानते हैं। एक कारण तो इसमें सबसे बड़ी फेमीन है। लेकिन फेमीन ही अकेला कारण हो यह भी नहीं है। और कई कारण हैं जिनको कि मैं अर्ज करना चाहता हूं। अब जो हमारे ऊपर फेमीन के कारण हैं वह ऋण भार तो 121 करोड़ का ही रहेगा लेकिन दूसरी जो असेट्स क्रिएट की है उसको असेस करें तो यह 700 करोड़ का इतने ही ऋण भार होगा। अगर हम ऋण लेकर असेट्स क्रिएट करते हैं तो कोई अन्याय नहीं करते हैं और मैं फिर सदन के माननीय सदस्यों को अर्ज करना चाहता हूं कि उत्पादन कार्यों के लिए चाहे हमें केन्द्रीय सरकार से, चाहे किन्हीं वित्तीय संस्थाओं से चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे जहां से हमें ऋण मिले हम लेंगे और उससे उत्पादन का काम करेंगे और असेट्स क्रिएट करेंगे। इस प्रकार असेट्स क्रिएट से ही जनता का भला हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है और जनता आगे बढ़ सकती है। अगर कोई कहे कि ऋण लिया जाएगा तो सरकार की कमर टूट जाएगी, सरकार दिवालिया हो जाएगी मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जब उनके दल की सरकार आवे तो इस तरह से ऋण न लें। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ये राजनीतिक दल सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि मेरी जिन्दगी में तो इनकी सरकार बनने वाली नहीं लेकिन यह सही बात है। हमको प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो हमको लोन लेना चाहिए और जहां से भी मिलता हो वह लेना चाहिए। अगर हम एल. आई. सी. से लोन नहीं लेते तो अजमेर की वाटर स्कीम्स कैसे पूरी होती। जयपुर की वाटर स्कीम्स को जिस तरह से रिआर्गेनाइज किया गया वह कैसे

(श्री चन्दनमल बैद)

पूरा होता। दूसरी जगहों पर 157 शहरों में और सैंकड़ों गांवों में हमने जो पानी की समस्या का समाधान किया है वह कैसे पूरा हो जाता।

आज हमने गांवों को बिजली देने के लिए गांवों से लोन लिया है। हमारे गांवों में बिजली हो। 80 हजार ग्रामीण कुओं को हम बिजली दे रहे हैं जिनसे कि उत्पादन हो रहा है। अगर लोन नहीं लेते तो इनको बिजली कहां से दे पाते? इसलिए इस बात को सोचना होगा। अगर हम ऋण लेकर इस देश का विकास और उत्पादन करते हैं तो जरूर करना चाहिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर भारत सरकार से किसी चीज को मांगते हैं तो यह हमारा अधिकार है। संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है। उसके तहत हम यह मांगते हैं और अगर नहीं भी मांगें तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार में आखिर क्या फर्क है। अगर पार्टी के दायरे को भूल जाएं तो हम एक ही देश के लोग हैं। राजस्थान की प्रगति और विकास और हिन्दुस्तान को प्रगति और विकास क्या भिन्न भिन्न है। जब पूर्वी हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुआ था तो उस समय क्या पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले लोग जो जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझनूं के रहने वाले हैं, क्या वे लोग लड़ने के लिए वहां पर नहीं गए थे। सारा हिन्दुस्तान एक है। उसकी प्रगति और विकास एक है। हमारे पर विपत्ति आती है, तकलीफ आती है तो उसके लिए हम हिन्दुस्तान की सरकार से राजस्थान सरकार सहायता मांगती है तो उसको भीख नहीं कहा जा सकता। अगर कोई इसको भीख कहता है तब भी हमको कोई शर्म नहीं है। हम यह सहायता कोई रूस से नहीं मांग रहे हैं, अमेरिका से नहीं मांग रहे हैं, चीन से नहीं मांग रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं मांग रहे है। जिनसे यह सहायता चाह रहे हैं वह हमारी केन्द्रीय सरकार है। संविधान ने यह अधिकार हमको दिया है। उस संविधान के तहत यह हमारी मांग है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं यह ऋण हमें मिलता रहे और उस ऋण के जरिए उत्पादन, विकास का जितना भी काम हम कर सकते हैं, करते रहना चाहिए और हम करते रहेंगे। इस बात के लिए हम बराबर प्रयत्न करते रहेंगे कि अनुत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण हमको दिया गया है वह जरूर माफ होना चाहिये। अनुत्पादक ऋण हम नहीं चुका सकते हैं। कोई भी नहीं चुका सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रगतिशील प्रदेशों ने भी इस बात पर जोर दिया है और हमारा साथ दिया। हमें पूरा भरोसा है कि इस बात से उनको भी फायदा होगा लेकिन हमारे जैसे पिछड़े प्रदेश को इस टर्म्स और रेफरेन्स से फायदा ही होने वाला है। वह कोई एक दो करोड़ का फायदा नहीं होगा, सैंकड़ों करोड़ का फायदा होगा। इसके लिए हमें खुशी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, और ज्यादा समय मैं आपका और सदन का नहीं लेना चाहता हूं। एक छोटी सी बात और कह देना चाहता हूं। एक बात यहां पर यह कही गई है कि हम खर्चे में कमी नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शायद कोई ऐसा वर्ष बीता होगा जिसमें हमने इकोनोमी कमेटी

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं बनाई हो और हमारे खर्चे में कमी नहीं की हो। इस साल भी एक करोड़ 37 लाख के खर्चे की कमी का प्रस्ताव पेश किया है और एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस सदन को बताया था, वह शायद अनस्टार्ड क्वेश्चन था और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, इस साल एक करोड़ सात लाख का हमारे प्रशासन के व्यय में कमी की गई है। अध्यक्ष महोदय इसकी भी एक सीमा है। ठीक है प्रशासन के व्यय में कमी होनी चाहिये। हम कमी करते रहे हैं, और यह कमी करती रहनी चाहिये लेकिन हमेशा खर्चे में कमी करना और यह कहना बार बार कि खर्चे में कमी नहीं की जा रही है, ऐसी गलत बात के कहने पर उसका दुरुपयोग होता है। हमने इस बात को देखा है। पिछले साल माननीय सदस्यों ने बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक बात को हो और दिल्ली में उस बात की लाबी बनी कि फैमीन के काम के लिए हमें जो पैसा केन्द्र से मिला था उसका दुरुपयोग किया गया है। इसके कारण से इस बार हमारे मुख्य मंत्री महोदय को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी कोशिशों के बाद उनको आश्वासन मिल गया कि जितना फैमीन का खर्चा होगा वह हमको केन्द्र से प्राप्त होगा लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करने पर एक बार हमको तकलीफ तो उठानी पड़ गई। इसी तरीके से बार बार यह कहना कि खर्चे में कमी करनी चाहिये तो इससे भी गलत लाबी बनती है। इस बार मैं भारत के वित्त मंत्रीजी से मिला तो मैंने उनको कुछ आंकड़े दिये। उनको बताया कि कितने काम करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमने सारे शरीर का मांस काटकर रख दिया, और अब तो हड्डियां रह गई हैं। वह निकाल कर रख दें तो वह सम्भव नहीं है। अब या तो यह हो सकता है कि हम रिट्रैंचमेंट करें। उसके बारे में भी मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपेण्डीचर परकैपिटा है, वह 9.6 है। जब कि राजस्थान में सिविल एक्सपेण्डीचर परकैपिटा 8.4 है। सारे हिन्दुस्तान में नानप्लाण्ड एक्सपेण्डीचर इण्टरेस्ट पेमेन्ट को छोड़ कर 64.4 है। जब कि राजस्थान का काम 62.1 है। आप इस बात को देख सकते हैं। हमारा नान प्लाण्ड एक्सपेण्डीचर और सिविल एक्सपेण्डीचर राजस्थान का काम है। हिन्दुस्तान के स्टेटिस्टिक्स ने मिलकर जो रिपोर्ट बनाई है, उसके अनुसार सड़कों का प्रावधान अगर हम करें तो 9 करोड़ करना चाहिए जो कि हमने 3 करोड़ 95 लाख कर सकेंगे। अगर बिल्डिंग्स के रखरखाव के लिए टैक्निकल अथारिटीज के अनुसार हम एक्सपेण्डीचर का प्रावधान करें तो सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 1 करोड़ 75 लाख होना चाहिये। उसके बदले हम 85 लाख कर सके हैं। इस प्रकार हमने खर्च को घटाया है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हमने खर्च को घटाया नहीं है। हमने एक पंचसूत्री कार्यक्रम बताया था। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खर्च में कमी करने को जहां जहां वश चलेगा, सम्भव होगा वह कमी की जायेगी। लेकिन यह सम्भव नहीं हो सकता है कि जो सड़क बनायें, उसके रख रखाव के लिए पूरा पैसा नहीं दें। तीन चार साल में वह खराब हो जाये। माननीय सदस्य शिकायत करें कि

Page No 119

(119)

(श्री चन्दनमल बैद)

सड़क खराब हो गई। हम इमारत बनायें, पूरे रखरखाव का पैसा नहीं दें। वह गिर जाये तो इन्जीनियर्स को दोष दें। यह भी ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इकानामी की भी एक हद है। उसको देखना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम देखें तो हमारी जो परिस्थितियां हैं, और आज की परिस्थिति को देखते हुये, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना छोटे से छोटा बजट हम बना सकते थे, उतना बनाने की कोशिश की है।

मैं क्षमा चाहूंगा, मावली से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि उनकी एक आदत है। भाषण के वक्त तो वह जरूर होते हैं लेकिन जवाब सुनने के वक्त वह नहीं होते हैं। वह अच्छा भाषण दे सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन मेरे में कमी है। मैं न ज्यादा बोल सकता हूं और न ज्यादा लिख सकता हूं। लेकिन अनुभव के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में मैं हमेशा उनसे अच्छा साबित हुआ हूं। मैं इन्ही शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ता. 12 मार्च, 1973 के प्रातः 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट पर सोमवार दि. 12-3-73 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 390 की सूची)

तलपोखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के सदस्यों मे ऋण बकाया की सूची

क्र.सं.	नाम सदस्य	नोन अवधिपार	अवधिपार	ब्याज	योग
1.	श्री चेला धन्ना गरासिया	–	40–00	54–00	94–00
2.	श्री चेला वन्ना	–	40–00	54–00	94–00
3.	सवीया घुडा भाम्बी	–	120–00	34–80	154–80
4.	साजा खीमा गरासीया	–	–	5–00	5–00
5.	केसा नाना भाम्बी	–	120–00	34–80	154–80
6.	वगता कैसा गरासीया	–	–	5–00	5–00
7.	भैरा वगता गरासीया	–	18–00	42–48	60–48
8.	खगारा माला भील	–	69–00	13–11	82–11
9.	शंकर लूम्बा भील	–	99-00	16–91	105–91
10.	देवा कैसा गरासीया	–	80–00	98–80	178–80
11.	मूला जैठा भाम्बी	–	100–00	58–00	258–00
12.	वीरा तेजा गरासीया	–	37–00	53–39	90–39
13.	धर्मा देवा भील	–	69–00	13–11	82–11
14.	सुना वीरा गरासीया	–	80–00	98–80	178–80
15.	बावजा पन्ना भील	–	160–00	46–40	206–40
16.	काना वीरा गरासीया	–	80–00	68–80	148–80
17.	दाना पाला भील	–	120–00	34–80	154–80
18.	भता धन्ना गरासीया	–	80–00	98–80	178–80
19.	सोमा रामा गरासीया	–	80–00	98–80	178–80
20.	कल्ला भीमा गरासीया	–	80–00	98–80	178–80
21.	वगता काना गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
22.	पेमा धन्ना गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
23.	केसा हिन्दु गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
24.	भूला ममना गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
25.	चमना वन्ना गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
26.	दाना वन्ना गरासीया	–	7–50	12–88	20–38

Page No 121

1	2	3	4	5
27. लाला अम्वा गरासीया	–	7–50	12–88	20–38
28. मगनलाल शंकरलाल	–	450·00	192–00	642–00
29. स्माईलखां उमरखां	–	300–00	136–00	436–00
30. श्री वेना वना हीरागर	–	120–00	56–20	176–20
31. श्री धन्ना पीथा सरगरा	–	180–00	74-20	254–20
32. दन्ना दरगा भाम्बी	–	120–00	56–20	176–20
33. धुमना देवा भाम्वी	–	180–00	74–20	254–20
34. जैसा भूला भाम्बी	–	360–00	157–60	517–50
35. जामतसिंह लाडूसिंह	160–00	540–00	200-00	900–00
36. हुसा ऊका भाम्बी	–	360–00	160–00	520–60
37. रतना गापा भाम्बी	100–00	350–00	192–00	642–00
38. दाना मरना रावत	29–00	–	5–80	34–80
39. मीका आपा भाम्बी	100–00	350–00	98–00	548–00
40. भीमा वगता भील	100–00	200–00	72–00	372–00
41. वीरखा भल्ला	100–00	200–00	54–00	354–00
42. खटीया वला भील	100–00	350–00	187–00	37–00
43. भूरा माना रेवारो	100–00	350–00	187–00	637–00
	789–00	6034–50	3020–56	9844–06

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूची)

चयनित गांवों में किये जा रहे विकास कार्य निम्न प्रकार हैं:–

1. कमजोर वर्ग के लोगों को आवास सुविधायें

ग्राम गिड़ानिया, कंवरपुरा व भारू में भूमिहीनों एवं भूमिहीन श्रमिकों को निःशुल्क भूमि का आंवटन किया जा चुका है।

2. पाठशाला भवन का निर्माण सुधार

गांव पुहानिया, गिड़ानिया, घूमनसर, बनगोठड़ी व कंवरपुरा में स्कूलों में कमरे बनवाने हेतु अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। ग्राम सांतोर में शालाभवन में एक कमरे का निर्माण किया जा चुका है। ग्राम भारू में स्कूल भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त कमरे बनवाए गए हैं।

3. सड़कों का निर्माण

मेहाड़ा जाटूवास से गोरीर तक सड़क निर्माण कार्य चालू है। ग्राम भारू एवं बाकरा को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

4. गांवों में बिजली की सुविधा

गांव गिड़ानिया, कंवरपुरा, पुहानिया, घूमनसर, बागोली, सिंगनोर व नागलीसिलेदी-सिंह में विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष गांवों के विद्युतीकरण की कार्यवाही चालू है।

5. कृषि विकास

ग्राम गिड़ानिया व कंवरपुरा में तथा गांव बाकरा व भारू में कृषि के विकास हेतु योजना तैयार कर कार्य शुरू किया है।

6. पीने के पानी की सुविधा

ग्राम भारू में दो कुओं को गहरा करवाने के लिये पंचायत समिति द्वारा अनुदान दिया जा चुका है। गांव सिंगनोर व बागोली में पानी की टंकी बनकर तैयार हो चुकी है और वहां पानी का वितरण शीघ्र किया जा रहा है।

7. ग्राम भारू में नई कालोनी बनवाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। यह योजना अप्रेल, 1973 तक पूर्ण होने की संभावना है।

8. ग्राम भारू व बाकरा में सार्वजनिक शौचालय बनाये जाने हेतु योजना बनाई जा चुकी है और कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची)

1. राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद एक्ट, 1959
2. राजस्थान मनी लैन्डर्स एक्ट, 1963
3. राजस्थान प्रि-ऐम्पशन एक्ट, 1966
4. राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टेक्शेसन एक्ट, 1959
5. राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट्स एण्ड एडवर्टाईजमेन्ट्स टैक्स एक्ट, 1957
6. राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1959
7. राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट, 1952
8. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, 1949
9. राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट, 1959
10. राजस्थान शूगर डीलर्स लाइसेन्सिंग आर्डर, 1967
11. समरी ऑफ लेजिस्लेशन इन राजस्थान इन 1964
12. क्राइटेरिया फार सीनियारिटी ऑफ टीचर्स ग्रेड III
13. हज कमेटी रूल्स
14. फैमिली प्लानिंग
15. राजस्थान मार्च अहेड
16. मुख्य मंत्री महोदय की रेडियो वार्ता

(14–16) जन सम्पर्क विभाग

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 412 की सूची)

राजस्थान सरकार राजस्व (ख) विभाग

प्रति :

जिलाधीश,
जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक– एफ. 2 (176) राज/ख। 65, जयपुर, दिनांक 10-10-69 ।

विषय: ग्राम राममढ़ पचवारा, तहसील लालसोट के काश्तकारों के ग्रामों के वृक्षों की कटाई व नीलामी के सम्बन्ध में काश्तकारन का प्रार्थना-पत्र ।

सन्दर्भ : इस विभाग का सम संख्यक पत्र दि. 20-3-65 ।

महोदय;

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार निवेदन है कि सिवायचक भूमि पर खड़े पेड़ नीलाम होने चाहिये अतः इस विभाग द्वारा दिये गये स्थगन आदेश सं. एफ 2(176) राज। ख। 65 दिनांक 10-5-65 को निरस्त किया जाता है ।

भवदीय,
ह.
शासन उप सचिव

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 397 की सूची)

क्रम सं.	नाम तहसील	संख्या जिन्हें खातेदारी अधिकार देने हैं
1.	बाड़मेर	72
2.	शिव	471
3.	चोहटन	70
4.	सिवाना	–
5.	पचपदरा	63
	योग ..	676

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 400 की सूची)

तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तालाबों की सूची

1. मोती सागर
2. नाजिमवाला
3. चन्दा पुरा
4. वनिया वाला
5. जोहरी वाला
6. बड़ा तालाब नवाबवाला
7. राम तालाब
8. तेलन वाला
9. टोक्सी बांध
10. जीवली तालाब
11. नया तालाब
12. खण्डिप बांध
13. पीडिया बन्धडी ।

(127)

Extract copy of rates notified vide Government Notification No. F. 18/(6)/Irg./66, dated 23rd January, 1967.

Part V-A.

Rates (per acre) in respect of old tanks of the areas of the former States named below;—

S. No.	Name of Crop	Chane 165 areas of former States of Jaipur and Jhalawar		
1	2	3		
1.	Sugarcane.	21.00	per year.	
2.	Garden, Pan.	17.16	per half year.	
3.	Vegetable and Singhara.	17.16	per crops.	
4.	Lucern, Tobacco and Poppy.	14.92	per year.	
5.	Rice.	8.64	—do—	
6.	Spices and Oilseeds except Zeera.	4.90 3.62 3.52 1.92	for 1st watering for 2nd watering for 3rd watering. and for every addl. watering.	per year.
7.	Wheat, Barley, Gojra.	2.88 1.60	for 1st watering and for every addl. watering.	per year.
8.	Gochani and Bejar.	4.58 3.30 3.20 1.60	for 1st watering for 2nd watering for 3rd watering and for every addl. watering.	per year.
9.	Maize.	2.88 1.60	for 1st watering for every addl. watering.	per year.
10.	Gram.	2.88 3.30 3.20 1.60	for 1st watering for 2nd watering for 3rd watering and for every addl. watering	per year.
11.	Gojra, Jawar, Gowar and other Fodder crops.	2.36 1.25	for 1st watering and for every addl. watering	per year.

1	2	3	
12.	Til, Moth, Pulses and other crops	4.25 for 1st watering 2.88 for 2nd watering. 2.88 for 3rd watering and 1.8 for every addl. watering	per year.
12(a)	Fodder crop	2.56 for 1st watering and 1.38 for more than one watering	per year.
13.	Palewa not followed by a crop	2.88 per crop	
14.	Zeerra.	5.50 for 1st watering 3.62 for 2nd watering 3.52 for 3rd watering and 2.92 for every addl. watering	per year.
15	Cotton	5.58 for 1st watering 3.30 for 2nd watering 3.20 for 3rd watering and 1.60 for every addl. watering	per year.

(129)

Water Rates Notified vide Govt. No. F. 13 (6) Irg./66 dated 10-3-1970, amended vide Govt. Notification No.F. 13 (6) Irg./66 dated 16-6-1970 and further amended vide Govt. Notification No. F. 13 (6) Irg./66 dated 26-4-1972.

(Rates per acre)

S. No.	Name of Crop	Rate on Gang Canal, Bhakra, Ghaggar Canal and Raj.Canal Irrig. (under perennial channels)	Rate in Chambal Canal area and all works constructed after 1st Jan., 52 and all works in the area of former States of Banswara, Dungarpur and Partapgarh.
1	2	3	4
1.	Sugarcane.	Rs. 30.00	Rs. 30.00
2.	Rice.	Rs. 14.00	Rs. 14.00
3.	Cotton.	Rs. 20.00	Rs. 20.00
4.	Garden.	Rs 34.00 per yr.	Rs. 34.00 per yr.
5.	Maize.	Rs. 7.00	Rs. 7.00
6.	Jawar.	Rs. 7.00	Rs. 7.00
7.	Bajra.	Rs. 7.00	Rs. 7.00
8.	Pulses.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
9.	Sunnhemp and Grass.	Rs. 4.00	Rs. 12.00
10.	Gowar.	Rs 12 00	Rs. 12.00
11.	Vegetable.	Rs. 14.00	Rs. 14.00
12.	Spices, Drugs and all other kharif crops not otherwise specified.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
13.	Oil Seeds.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
14.	Water Nuts.	Rs. 15.00	Rs. 17.00
15.	Indigo and other dyes.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
16.	Tobacco.	Rs. 12.00	Rs. 15.00
17.	lucern and Poppy.	Rs. 15.00	Rs. 15.00
18.	Palewa.	Rs. 4.00	Rs. 4.00
19.	Wheat.	Rs. 12.00	Rs. 12.00

(130)

1	2	3	4
20.	Barley and Oats.	Rs. 7.00	Rs. 7.00
21.	Fodder.	Rs. 4.00	Rs. 12.00
22.	Bejar and Gochani.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
23.	Melons, Fiberes & all other Rabi crops not otherwise specified.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
24.	(a) Gram if only one watering is given.	Rs. 7.00	Rs. 7.00
	(b) Gram with two & more watering.	Rs. 12.00	Rs. 12.00
25.	Zeera.	Rs. 13.00	Rs. 13.00

Non-perennial channels for Gang Canal and Rajasthan Canal areas.-

1 All Kharif Crops. Same rates as for perennial channels.

2 All Rabi Crops:—

(a) For first watering. Palewa rates would be charged.

(b) For second and subsequent watering. Full rates as applicable to perennial channels would be charged.

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची)

सूची भूमि आवंटन

क्रम संख्या	दिनांक आवंटन	नाम आसामी	चक	रकबा
1.	13-12-67	प्रेम प्रकाश पुत्र छजूराम खरल, तह0 करनपुर	4 एफ एफ व 5 एफ एफ	22) बीघा
2.	31-1-68	,, ,,	3 एफ एफ	9) बीघा बारानी

(132)

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 413 की सूचना)

तहसील सांचोर में जिन बांधों को बनाने के लिए स्थानीय जनता मांग कर रही उनकी सूची

क्रमांक	नाम	स्थिति
1.	डींगपुरा	इनकी स्वीकृति डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत होकर काम शुरू करा दिये गये हैं।
2.	केरिया	
3.	जालसन	
4.	सरनैऊ	
5.	सांकड	
6.	नेनोल	
7.	इसरोल	इन कार्यों की स्वीकृति अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत होकर काम शुरू कर दिये गये,है।
8.	बोखा	
9.	तेतंरोल	
10.	खेडियां	
11.	सांकडा ।।	
12.	केरिया ।।	
13.	काबूली ढानी	इन कार्यों के तखमीनें अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत हो गये है। अब शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
14.	अमरपुरा	
15.	खेजडीवाली ।।	
16.	सुराचन्द ।।	
17.	पुर	
18.	धमाना	
19.	सुथारों की ढानी	इन कार्यों का सर्वे होकर तखमीने बनाये जा चुके हैं। इनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही अकाल राहत में कार्य शुरू हो सकेगा।
20.	पावटा	
21.	खासोली	
22.	रामपुरा	
23.	चीतलाना नहर	इस पर कार्य डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत शुरू कर दिया गया है।
24.	बरनवा	इन कार्यों पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
25.	फोगरवा	
26.	मीढपुरा	
27.	पीजोपुरा	

(133)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची)

ब्यावर तहसील में छोटे बांधों की सूची

क्रमांक	बांध का नाम	विवरण
1	2	3
1.	लोरड़ी	बांध का कार्य लघु सिंचाई मद के अन्तर्गत चल रहा है और इस ही वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है। नहरों का कार्य भी प्रगति पर है और कार्य वर्षात पहिले ही पूरा किए जाने की संभावना है।
2.	भोमादेह	इस बांध का कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत शुरू किया गया था। यह योजना ब्यावर शहर के केवल पेय जल समस्या निवारण हेतु ली गई थी लेकिन जल प्रदाय विभाग इस योजना को कार्यान्वित नहीं कराना चाहता। यह कार्य अभी अधूरा पड़ा है।
3.	दुदालेश्वर	1970 के इस योजना के अधूरे को क्रेश योजना में इस वर्ष लिया गया था लेकिन इस मद में धनराशि के अभाव में बंद है। अगले वित्तीय वर्ष में इस ही मद के अन्तर्गत पूर्ण करने की संभावना है।
4.	भूजारेल	1970 में इस योजना को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत लिया गया था। इस पर पक्का कार्य होना बाकी है जिसे डी. पी. ए. पी. कार्यों में लेने का प्रस्तावित किया गया है।
5.	रूपनगर	इस कार्य को अभी अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ले लिया गया है और इस ही वित्तीय वर्ष में पूरा करने की संभावना है।
6.	देवसागर सिखारानी	इस योजना का कार्य 1967 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत लिया गया था जो कि अभी अधूरा पड़ा है। वैसे इस योजना पर पक्का काम ही शेष है। इस कार्य को डी. पी. ए. पी. के मद में प्रस्तावित किया गया है।
7.	सुराधारा फीडर	इस योजना का कार्य सन् 1964 एवं 1967 में अकाल राहत के अन्तर्गत लिया गया था एवं प्रायः 38000 रुपये व्यय किये गये

Page No 134

(134)

1	2	3
		थे। इस कार्य के अन्तर्गत एक मील फीडर केवल दो वर्ग मील के पानी को राजियावास तालाब में डालने हेतु बनाई गई थी। प्राय: 5 लाख की लागत कम फायदे एवं 50% मेटेरियल कम्पोनेन्ट होने से कार्य अकाल राहत में नहीं लिया गया है।
8.	नयागांव सारोठ फीडर	इस फीडर पर प्राय: गत अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 38000 रुपये व्यय किये गये थे एवं डेढ़ लाख रुपये का कार्य अधूरा रह गया था। इस योजना के अन्तर्गत एक पक्के ऐनिकट को दो फुट ऊंचा करना है एवं यह कार्य पूर्णतया पक्का होने की वजह से डी. पी. ए पी. में प्रस्तावित किया गया है एवं फीडर बनाने के अधूरे कार्य को एम. एफ. ए. एल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराके कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है।

135

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची)

जिला बाड़मेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों की सूची।

क्रम .सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम	उप केन्द्रों के नाम	भवन व्यवस्था है	भवन का अभाव है
1.	समदड़ी	कन्डाप	कन्डाप	
		रमनिया	रमनिया	
		पदरू	पदरू	
2.	गूंगा	मियाड़	मियाड़	गड़रा
		शियो	शियो	
		गडरा		
3.	रामसर	सिनाव		सिनाव
		रानीघाट		रानीघाट
		सनवार		सनवार
4	गुरमलानी	धोरीमाना	धोरीमाना	नगर
		भूनिया	भूनिया	
		नगर		
5.	मंडोली	कलामपुर	कलामपुर	
		कनाना	कनाना	
		पटोदी	पटोदी	
6.	बायतू	कवास		कवास
		बटाडू		बटाडू
		गीडा		गीडा
7.	सिदडी	पायलाकला	पायलाकला	नोखडा
		रावतसर	रावतसर	
		नोखडा		
8.	चौहटन	देदूसर	देदूसर	
		बकनासर	बकनासर	
		सेडवा	सेडवा	

जिला बाड़मेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वीकृत व कार्यरत स्टाफ का विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम

क्र. सं.	स्टाफ का ब्यौरा	मन्डली						गूंगा			रामसर			गुरमलानी			बायतू			सिदड़ी			चौहटन		
		स्वी.	का.	रि.	स्वा			स्वी.	का.	रि.	स्वी.	का.	रि.	स्वी.	का.	रि.	स्वी.	का.	रि.	स्वी.	का.	रि.	स्वी.	का.	रि.
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	चिकित्सक	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
	मेल नर्स ग्रेड I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	-	1
	मेल नर्स ग्रेड II	4	3	1	3	2	1	4	3	1	4	1	3	4	1	3	3	2	1	1	1	–	2	–	2
	एल. एच. वी.	1	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1
	ए. एन. एम.	–	4	–	4	–	–	4	–	–	4	–	–	4	–	–	4	–	–	4	–	–	4	4	–
	एस. आई.	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–
	ए. एच. डब्लू.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	3	3	–
	ड्राईवर	1	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	7	–	8	8	–	7	5	2	8	7	1	7	7	–	7	6	1	1	1	–	7	6	1

नोट:—प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के तीन उप केन्द्र होते हैं जिन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृत ए. एन. एम. के पद में से एक ए. एन. एम व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उप केन्द्र में लगाया जाता है।

137

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 1973)

कालम सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5	ऊपर से 15	इक्लयुड	कनेक्ट
9	,, 8	हूं	हूं कि
12	नीचे से 6	मक्शिका	मक्षिका
13	ऊपर से 8	नि्वेदन	निवेदन यह
16	नीचे से 14	रहे हैं	रहे हैं ?
,,	,, 6	ले लिया	दे दिया
17	ऊपर से 13	निरजन	निरंजन
,,	नीचे से 7	120 Tn	120 Th
18	,, 12	चिचोड़	निचोड़
,,	,, 9	कब	कब तक
20	ऊपर से 8	रत	रात
22	,, 2	जोड़ों	फोड़ों
23	नीचे से 12	व ां	वर्षों
24	,, 9	जागा	जायगा
,,	,, 8	है।	है ?
25	ऊपर से 6	Saha	Sahai
30	,, 8	बाय	बाई
31	,, 7	——	प्रश्न संख्या—393
35	,, 5	जावे	जाने
,,	नीचे से 2	को इसके	इसके
42	ऊपर से 3	पाने	पीने
64	नीचे से 8	का है	है
72	ऊपर से 1	गरुद्वारों	गुरुद्वारों
80	,, 11	श्री मीठामा	श्री मीठालाल
87	,, 3	उसे	उससे
87	,, 16	प्रोटेट	प्रोटेस्ट
,,	,, 18	काया	कराया

1	2	3	4
89	ऊपर से 1	मोहम्द	मोहम्मद
91	नीचे से 15	ाहर	बाहर
,,	,, 6	भे ा	भेजा
92	,, 4	अध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष
97	ऊपर से 4	धरे	धतूरे
100	शीर्ष 4	शासकी वक्तव्य	शासकीय वक्तव्य
138	ऊपर से 13	नयित	नियत
138	नीचे से 1	करा	करना
143	नीचे से 14	महोदया	महोदय
145	ऊपर से 3	बांधी	बांध
,,	नीचे से 8	मैं	मैं उनकी
147	,, 15	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
149	,, 1	लादीपुरा	सलादीपुरा
150	,, 2	उदाहृण	उदाहरण
165	ऊपर से 16	बड़	बढ़
166	,, 8	हता	चाहता
166	नीचे से 2	निवेन	निवेदन
181	ऊपर से 14	वाले वाले	वाले
225	नीचे से 10	5 पेसट	65 पर्सेंट
,,	,, 5	5-55	54-55
,,	,, 1	23 थ	230 था
243	ऊपर से 8	काश्तकारन	काश्तकारों
247	ऊपर से 12	Wafering	Watering